साहेब द्वारा प्रेस–विज्ञप्ति

वर्ष – 2013+14

भाग – (1)

केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून वर्ष 2013 में बदलाव लाकर उसे उद्योगों के अनुकूल बनाने से किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उक्त अधिनियम में बदलाव नहीं लाने।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि गरीबी मिटाना और गाँव का विकास करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों के हितों में लगातार की गई घोषणाओं की पृष्ठभूमि में 2013 में संशोधित किया गया भूमि अधिग्रहण कानून में किसी प्रकार का संशोधन करना किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के हित में नहीं होगा। उनकी सरकार ने गरीबी का पूर्ण निवारण करने के साथ हीं **"सबका साथ सबका विकास"** की नीति बतलाया है। राष्ट्रपति ने सरकार के आठ महीने में हर क्षेत्र में किये जाने वाले योजनाओं का उल्लेख करते हुए देश के सामने सरकार के भविष्य का रोड मैप प्रस्तुत किया। विशेषकर किसानों का ख्याल रखने का वायदा सरकार ने बजट में कृषि, ग्रामीण विकास तथा युवा शक्ति पर केन्द्रित रख प्रमाणित किया है। इन तथ्यों के आलोक में वर्तमान केन्द्र सरकार भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार कानून 2013 में संशोधन कर किसानों एवं खेतिहर कृषकों के अधिकारों पर आघात पहुँचाना उचित नहीं लगता है। केन्द्रीय स्तर पर इस कानून में बदलाव करके ग्राम सभा किसानों की हितों की बलि चढ़ाकर किसी निजी कम्पनियों के लिये अधिक फायदे मंद बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान स्वीकृत भूमि अधिग्रहण कानून में कहा गया था कि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के लिए 70 फीसदी भू–स्वामियों की लिखित सहमति के बाद ही अधिग्रहण किया जा सकता है। अब इस प्रावधान को या तो खत्म कर दिया जाएगा या सहमति के स्तर को कम कर 50 फीसदी तक लाया जाएगा। पीपीपी परियोजनाएं गति नहीं पकड़ पा रही हैं और करीब 18 लाख करोड़ रूपये की लम्बित परियोजनाओं में से 60 फीसदी हिस्सेदारी इसी की है। भू–अधिग्रहण में संशोधन से इन परियोजनाओं को नया जीवन मिल सकता है। परन्तु प्रस्तावित संशोधन में मुआवजे की बात कानून की नई अधिसूचना की तिथि से गणना की जायेगी, जबकि मौजूदा कानून में आकलन अध्ययन की तिथि से मुआवजा देने का प्रावधान है। मुआवजे की इस संशोधन से किसानों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और निजी क्षेत्र लाभान्वित होंगे। आजादी के बाद बनी सरकारों द्वारा अभीतक वर्ष 1894 में भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के तहद किसानों से उनकी जमीन लेकर निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की एजेन्सियों को दिया जाता रहा था। एक अनुमान के मुताबिक आजादी के बाद अबतक 2 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग इस कानून के तहद विस्थापित किये जा चुके हैं। उनमें से अधिकांश का पुनर्वास नहीं हो सका। विकास परियोजनाओं के लिये भूमि की मांग के निरंतर बढ़ते दबाव के कारण 2013 में संशोधित भूमि अधिकार कानून पास किया गया था, ताकि इस तरह का अन्याय फिर से न दुहराया जा सके। 1 जनवरी, 2014 को संशोधित कानून प्रभावकारी हो गया और उसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना गया। ऐसा पहलीबार हुआ था कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से प्रभावित किसानों और खेतिहर मजदूरों के हितों पर ध्यान दिया गया हो। निजी कम्पनियों के लिये यह बाध्यता तय कर दी गयी कि 80 फीसद प्रभावितों की सहमति मिलने के बाद ही उन्हें भूमि मुहैया करायी जायेगी। पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशीप परियोजनाओं के लिये 70 फीसद प्रभावितों की सहमति अनिवार्य रखी गयी। केन्द्र सरकार की प्रस्तावित संशोधन है कि 80 फीसद प्रावधान घटाकर 50 फीसद कर दिया जाय। ऐसा लगता है कि देश के निजी उद्योगपति किसानों से छल करने में ऐसे 50 फीसद सहमति के प्रावधानों से रक्षा नहीं की जा सकेगी। निजी उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहण करने में सरकार की भूमिका नहीं होनी चाहिये क्योंकि सरकारी अधिकारी बड़े कारबारियों के साथ मिलीभगत करके किसानों और जमीन मालिकों को धमकाते रहे हैं। स्थानीय लोगों से जमीन ले ली जा सकती है लेकिन लाभ में वे सहभागी नहीं बन सकेंगे। जो सरकार किसानों व खेतिहर मजदूरों के लिये समर्पित है वह सामाजिक प्रभाव तथा आकलन के प्रावधान को समाप्त करने की प्रावधान कर रही है। इसके साथ ही अधिग्रहण के मामले में अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन के नियम को भी आसान बनाया जा सकता है। अधिकारियो ने कहा कि यह प्रावधान केवल बड़ी और पीपीपी परियोजनाओं पर ही लागू होगा, जबकि फिलहाल सभी तरह के अधिग्रहण में यह लागू होता है। इसके तहत बड़ी परियोजना वाले क्षेत्रों में पर्यावरण और अर्थ की होने वाली क्षति का आकलन किया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधन में कानून में बदलाव संबंधी सबसे खतरनाक प्रस्ताव बहुफसलीय भूमि अधिग्रहण पर लगाये गये प्रतिबंध को समाप्त करना है। इस तरह खाद्य सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। मौजूदा कानून के तहद पूर्ण भूमि श्रमिकों को भी मुआबजा देने का प्रावधान है, जो आजीविका के लिये कृषि भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रावधान को भी समाप्त करने का विचार किया जा रहा है। उस प्रावधान को भी समाप्त किया जा रहा है जो अधिगृहित भूमि के दुरूपयोग पर रोक लगाता है। इस अधिनियम में वर्तमान सरकार संशोधन कर रही है किन्तु इस कानून को बनाने में भाजपा ने यूपीए सरकार को विपक्षी दल की ओर से सहमति दी थी। यूपीए सरकार के साथ अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में भाजपा की सहमति थी। उन कानूनों में सूचना का अधिकार कानून, वन अधिकार कानून, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार कानून, खाद्य सुरक्षा कानून और संशोधित भूमि अधिकार कानून सम्मिलित है। लेकिन वर्तमान सरकार उन कानूनों में भी संशोधन करने पर विचार कर रही है जिनमें उनकी सहमति थी। वर्तमान सरकार वन अधिकार कानून 2006 में भी परिवर्तन करना चाहती है ताकि कुछ परियोजनाओं के लिये वन भूमि अधिग्रहण करने के लिये उसे ग्राम सभा की सहमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वास्तव में इस कानून में यूपीए के समय में हीं एक संशोधन पर विचार प्रारंभ हुआ था परंतु पर्यावरण मंत्रालय के विरोध के कारण रुक गया था।

झारखंड राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास को बधाई एवं शुभकामना

झारखण्ड राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास को भेजे गये बधाई एवं शुभकामना संदेश में बिहार के तीन बार मुख्यमंत्री रहे डा. जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि पिछले 14 साल में लगातार राजनीतिक अस्थिरता के कारण झारखंड विकास का सपना दूर ही बना रहा, जबकि आदिवासी पहचान का अर्थ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी आदिवासी नेता की मौजूदगी भर रह गई। मई में राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता एवं विकास के पक्ष में आए जनादेश का ही परिणाम है कि अब झारखंड में भी एक नया दौर शुरू होने की स्थिति बनी है। चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। राज्य की बागडोर श्री रघुवर दास के हाथ में भाजपा के विधायकों ने सौंपा है। श्री दास को लम्बा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव के साथ–साथ उनके लिए दो बातें और भी अनुकूल हैं–पहली तो यह कि भाजपा–आजसू गठबंधन 81 सदस्यीय विधान सभा में 42 सीटों के साथ सुदृढ़ अवस्था में है और दूसरी यह कि केन्द्र में भी भाजपा की सरकार है। इससे विकास संबंधी नीतियों में तालमेल बनाना और उन्हें लागू करने के लिए उचित प्रशासनिक निर्णय लेना उनके लिए आसान होगा। खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध इस राज्य में उद्योग–धंधों और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए ऐसी सहमति तैयार करना बड़ी चुनौती है, जिससे विकास में सभी वर्ग अपना फायदा देखें। अतीत में ऐसा न होने के कारण आदिवासियों से अन्याय और 'प्राकृतिक संसाधनों की लूट' जैसे आरोप लगे। माओवाद के फैलाव में ऐसी धारणाओं की भी भूमिका रही। वाम चरमपंथी ने राज्य से शांति–व्यवस्था के लिए भारी मुश्किलें खड़ी कर रखी है। जब तक इस समस्या पर नियंत्रण नहीं होता, सर्वांगीण विकास की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती। पहले गठबंधन की मजबूरियों का बहाना था। अब श्री रघुवर दास के यह असुविधा नहीं होगी। राज्य के सामने आज असली मुद्दा आर्थिक पिछड़ेपन और विकास का है। राज्य की सारी ऊर्जा इस विकास की ओर केन्द्रित होनी चाहिए। धार्मिक हो या राजनीतिक, कोई दूसरा मामला उस असली सामाजिक दिशा से राज्य को भटकाएगा तो बड़ी गड़बड़ी होगी। राज्य के लिए गरीबी हटाना जरूरी है, उसके लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है, राजनीतिक रूप से स्थिर होना जरूरी है, आर्थिक और राजनीतिक समस्या का सामना करने की हैसियत रखना जरूरी है।

अनुभवी और स्वच्छ छवि के नेता श्री रघुवर दास को झारखंड का नेतृत्व सौंपा गया है। लम्बे समय के बाद झारखंड में बिना गठबंधन की सरकार बनी है। लम्बे समय तक राज्य में गठबंधन की सरकारें रहीं। विकास कार्य कम हुए और भ्रष्टाचार अधिक। अस्थिर सरकारों के ऐसे ही दुष्परिणाम सामने आते हैं। श्री रघुवर दास 1995 से लगातार विधायक हैं, पूर्व उपमुख्यमंत्री भी रहे हैं। पांच बार से लगातार विधायक बनना उनकी लोकप्रियता और मबजूत जनाधार का ठोस प्रमाण है। मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद श्री रघुवर दास के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी होंगी। आदिवासियों का भरोसा जीतने के साथ राज्य को भ्रष्टचार से मुक्त बनाने और विकास की धारा को तेज करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिये। अपार खनिज सम्पदा से धनी झारखंड में गरीबी और भ्रष्टाचार अधिक हैं। भ्रष्टाचार के कारण झारखंड की छवि काफी धूमिल हो गयी है। झारखंड में कानून व्यवस्था के साथ सभी वर्गों की जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को पारदर्शिता के साथ लागू करना होगा। राज्य मे सुशासन की अत्यंत आवश्यकता है।

संयुक्त बिहार के तीन बार मुख्यमंत्री रहे डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने झारखण्ड के मुख्यमंत्री पद को आदिवासी और गैर आदिवासी के रूप में जोड़कर देखने को अविवेकपूर्ण कहा है।

संयुक्त बिहार के तीन बार मुख्यमंत्री रहे डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री पद को आदिवासी और गैर आदिवासी से जोड़कर विवादास्पद बनाना अत्यंत ही निन्दनीय और असंसदीय है, क्योंकि लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद धर्म, जाति अथवा वर्ग आदि पर आधारित नहीं माना जाता हैं। निर्वाचित सांसद और विधायक दल का नेता का चुनाव करता हैं और वही प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री बनता है। इसलिए झारखंड के संबंध में यह कहना कि वहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी ही हो किसी भी तर्क से उचित नहीं माना जा सकता। वैसे भी झारखंड राज्य में 78 प्रतिशत गैर आदिवासियों की आबादी है। 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से अभी तक लगातार 14 वर्षों तक आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। यह सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री का पद किसी जाति अथवा धर्म के लिए आरक्षित नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता हैं। इसलिए सामाजिक सौहार्द और समरसता के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री पद को विवादास्पद बनाना किसी भी अर्थ में उचित नहीं है। यह भी ज्ञातव्य है कि झारखंड राज्य के निर्माण में आदिवासी और गैर आदिवासी ने संयुक्त रूप से संघर्ष किया। इसलिए इस राज्य पर दोनों समूह का समान रूप से अधिकार बनता है। झारखंड राज्य के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य का भी गठन हुआ था। वहाँ भी आदिवासी की आबादी काफी अधिक है। फिर भी छत्तीसगढ़ में लगातार गैर आदिवासी श्री रमन सिंह मुख्यमंत्री निर्वाचित होते रहे हैं। छत्तीसगढ में आदिवासी तथा गैर आदिवासी के बीच कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया जाता रहा है और यह सर्वविदित है कि पिछले 14 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ है, वहीं झारखंड राज्य लगातार पिछड़ता गया है। अपार प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद भी यह राज्य विकसित नहीं हो पाया। झारखंड राज्य के आदिवासियाँ के जीवन में विकास, सुधार अथवा परिवर्तन नहीं हो सका है। इस पृष्ठभूमि में गैर आदिवासी अत्यंत पिछड़ी जाति के श्री रघुवर दास का मुख्यमंत्री निर्वाचित होना राज्य के व्यापक हित में बड़ा ही उचित निर्णय हुआ है। अब झारखंड के आकांक्षाओं और विकास की संभावनाओं को श्री रघुवर दास के नेतृत्व में होना संभव दीखता है। अतः अब मुख्यमंत्री पद को आदिवासी और गैर आदिवासी के रूप में न आंका जाना चाहिये न हीं देखा हीं जाना चाहिये। लोकतांत्रिक प्रणाली से सर्वसम्मति से निर्वाचित मुख्यमंत्री को ही सभी समूह का व्यापक समर्थन प्राप्त हो और जिससे उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था उस उद्देश्य की पूति में श्री रघुवर दास सफल हों यही ईश्वर से कामना है।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 90वें जन्म–दिन के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किये जाने पर आदरपूर्ण बधाई एवं शुभकामना

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की राजनीति को नए आयाम प्रदान किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद पर पहुँचने और राजनीति को नरमपंथी हिन्दुत्व तक पहुँचाने में उनकी भूमिका को नरजअंदाज नहीं किया जा सकता। श्री वाजपेयी ने कभी भी स्वयं को कट्टरपंथी हिन्दू के रुप में प्रस्तुत नहीं किया। उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य अवश्य हुए जिन पर देश गर्व कर सकता है। मई, 1998 में पोखरन विस्फोट और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के दबाव व प्रतिबंध का साहसपूर्वक सामना कर उन्होंने समस्त विश्व को भारत की इच्छाशक्ति का अहसास कराया। इसके साथ ही उनके कार्यकाल के अंतिम वर्ष में भारत की धरती पर इजरायल के प्रधानमंत्री श्री एरियल शेरोन का स्वागत कर उन्होंने भारत की विदेश नीति को शीतयुद्ध की मानसिकता से बाहर निकालकर व्यवहारवादी दिशा दी। अमेरिका दबाव के बावजूद उन्होंने इराक में भारतीय सेना को नहीं भेजकर भारत की अपनी सार्वभौमिकता का परिचय दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में **'पूरब की ओर देखो'** नीति को सक्रिय कर पूर्वी एशिया के देशों को भारत के निकट लाने का प्रयास किया ताकि एशिया में चीन के साथ शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सके। सत्ता के केन्द्र में उनका प्रभामण्डल अवश्य था परन्तु वह व्यक्ति केन्द्रित नहीं था तथा नीतियों का निर्धारण आम सहमति से होता था। 1977 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में भाषण देकर देश का सिर गर्व से ऊँचा किया। 1996, 1998 और 1999 में प्रधानमंत्री बनने पर देश–विदेश में एक ईमानदार नेता की छवि बनी। उन्होंने भारत–पाकिस्तान में मतभेद मिटाने को आगरा शिखर वार्ता, लाहौर बस यात्रा जैसे बड़े कदम उठाये। संवेदनशील कवि, बेहतरीन सम्पादक और एक उदारवादी नेता के रूप में भाजपा के पहले पीएम जनता में बेहद लोकप्रिय रहे। यही वे प्रमुख तत्व हैं जिन्हें भारतीय राजनीति को उनकी देन माना जा सकता है। देश की राजनीति काफी लम्बे समय तक अब एक विचारधारा या एक व्यक्ति की नीतियों से संचालित नहीं हो सकती। तमाम विरोधाभासों के बीच जीवन जीते हुए उन्होंने सदैव मध्यम मार्ग अपनाया और अनेक तत्वों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की।

डा॰ मिश्र ने कहा कि उनकी मान्यता रही है कि देश–विदेश में त्वरित परिवर्तनों के दौर में उच्चतर प्रशासनिक सेवाओं को अच्छी सेवा के जरिये गरीब, दलित और कमजोर एवं वंचित वर्गो को संरक्षण प्रदान करना होगा। संविधान और विभिन्न कानूनों में उल्लिखित, भारत के लोकतांत्रिक आग्रहों और आकांक्षाओं को निष्पक्ष और पादर्शी ढंग से पूरा करना होगा। संविधान निहित भावना के अनुरूप गरीबों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ–साथ राज्य (सरकार) के बल प्रयोग की शक्तियों को सीमा में ही रखना होगा। सुशासन की नींव कानून के राज पर आधारित है। सुशासन में सत्ता के द्वारा अधिकारों का निरंकुश उपयोग वर्जित है। प्रशासन में अधिकारों का उपयोग राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के विकास का कुशलतापूर्वक प्रबंधन में होना आवश्यक है। एक प्रजातांत्रिक राज्य में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र लोकतांत्रिक मूल्यों के द्वारा परिभाषित होते हैं तथा राज्य की भूमिका अंततः सेवा प्रदान करने वाले संस्थान के समान होती है। सुशासन में संवैधानिक वैधता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्ष आम चुनाव, पारदर्शिता, कानून का राज, भ्रष्टाचार रहित शासनतंत्र, राजनैतिक खुलापन, जागरूक जीवंत निष्पक्ष सजग मीडिया, सूचना का अधिकार, कानूनी प्रावधानों की स्पष्टता तथा उनका स्थायीकरण, प्रशासकीय दक्षता एवं कुशलता, प्रशासकीय निरपेक्षता, सहनशीलता, बराबरी एवं समानता की भावना, नागरिकों की सतत् भागीदारी एवं सकारात्मक तथा रचनात्मक भूमिका, राजकोष का उपयोग एवं उपभोग आमजन के हित में करना अंतर्निहित है। यह प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्र हित में इन्हीं मुख्य बिन्दुओं को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने प्रशासन का मुख्य आधार बना रहे हैं। चार दशक से अधिक कालखण्ड का बेदाग सार्वजनिक जीवन उनके बारे में स्वयं ही बहुत कुछ बयान कर देता है। 90 वर्ष से अधिक की अवस्था प्राप्त करने के बाद भी देश के युवावर्ग के मध्य व्याप्त उनका स्थान इंगित करता है कि उनमें कुछ असंधारण गुण है।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं महामना पं० मदन मोहन मालवीय को राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से विभूषित करने की घोषणा का डा० जगन्नाथ मिश्र ने स्वागत करते हुए राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को बधाई दी।

भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं पं० मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से विभूषित करने की घोषणा का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि श्री वाजपेयी जी ने भारत की राजनीति को नए आयाम प्रदान किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद पर पहुँचने और राजनीति को नरमपंथी हिन्दुत्व तक पहुँचाने में उनकी भूमिका को नरजअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य अवश्य हुए जिन पर देश गर्व कर सकता है। मई, 1998 में पोखरन विस्फोट और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के दबाव व प्रतिबंध का साहसपूर्वक सामना कर उन्होंने समस्त विश्व को भारत की इच्छाशक्ति का अहसास कराया। उनके कार्यकाल में **'पूरब की ओर देखो'** नीति को सक्रिय कर पूर्वी एशिया के देशों को भारत के निकट लाने का प्रयास किया ताकि एशिया में चीन के साथ शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सके। सत्ता के केन्द्र में उनका प्रभामण्डल अवश्य था परन्तु वह व्यक्ति केन्द्रित नहीं था तथा नीतियों का निर्धारण आम सहमति से होता था। यही वे प्रमुख तत्व हैं जिन्हें भारतीय राजनीति को उनका देन माना जा सकता है। देश की राजनीति काफी लम्बे समय तक अब एक विचारधारा या एक व्यक्ति की नीतियों से संचालित नहीं हो सकती। चार दशक से अधिक कालखण्ड का बेदाग सार्वजनिक जीवन उनके बारे में स्वयं ही बहुत कुछ बयान कर देता है। महामना पं० मदन मोहन मालवीयजी भारत के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी, कर्मठ राजनीतिज्ञ, महान देशभक्त, उच्चकोटि के शिक्षाविद् और प्रतिभाशाली पत्रकार एवं साहित्यकार भी थे। मालवीयजी ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा, विद्वता, दूरदर्शिता और अद्भुत कार्य–संस्कृति से भारतीय समाज पर ऐसी अनुपम छाप छोड़ी थी, जिसकी मिसाल मिलना कठिन है। मालवीयजी ने एक प्रबुद्ध शिक्षा शास्त्री के रूप में वे जो अभूतपूर्व योगदान किया है उसे कदापि विस्मृत नहीं किया जा सकेगा।

उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय कहा था कि भारत केवल हिन्दूओं का देश नहीं है। यह मुसलमानों, इसाइयों और पारसियों का देश भी है। देश तभी मजबूत बन सकता है और विकसित हो सकता है जब भारत में विभिन्न समुदायों के लोग आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ रहें। ऐसे दो महान् विभूतियों को भारत रत्न से विभूषित कर राष्ट्र का गौरव राष्ट्रपति ने बढ़ाया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से अपनी पुरी उर्जा विकास की ओर लगाने और अपने समर्थक को निदेश करें कि वे उनके अनुरूप आचरण करें।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सख्ती से अपनी जमात के नेताओं, सांसदों और मंत्रियों को अनुशासन की सीमा में और लाल किले से किये अपने आह्वान के अनुरूप आचरण करने को कहें तो चीजें काफी हद तक संभल सकती हैं। लगातार नये–नये मुद्दे उठा कर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जा रहा है जिससे सभी मगर विशेष रूप से अल्पसंख्यक बेहद डरे हुए और परेशान हैं क्योंकि कोई भी आम हिंदुस्तानी नही चाहता कि उसके दैनिक जीवन में व्यर्थ के तनाव पैदा हो। लोगों के अपने पेशेवराना और पारिवारिक जीवन में वैसे ही तनाव कम नहीं हैं, उन्हे झेलते–झेलते ही लागों का दम निकलने लगता है तो ये तनाव वे कैसे झेलें, जिसके लिए वे जिम्मेवार नहीं है। वे मोदी समर्थक भी–जो भाजपाई नही हैं– अभी इस उम्मीद में हैं कि यह संघ परिवार और भाजपा के कुछ अतिवादी तत्त्वों का काम है जो प्रधानमंत्री के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, जो कि स्वयं विकास के एजेंडे के प्रति प्रतिबद्ध है।

श्री मोदी ने आम चुनाव में मतदाताओं से कहा था कि भाजपा के उम्मीदवार को मत देखो, मुझे देखो। अगले पांच वर्षों के लिये मोदी सरकार ने अपनी नीतियों में समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के साथ–साथ अल्पसंख्यकों पर विशेष जोर दिया है। जनता ने श्री मोदी की नीयतों पर अपनी सहमति जताई है। इसी जनादेश से उत्साहित होकर सरकार ने कार्य योजनाओं एवं पांच साल की प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। लोगों को उम्मीद है कि गुजरात के विकास की तरह पूरे भारत में भी ऐसा ही विकास दिखेगा। लेकिन इस समय उन्हे मिल रहा है वह है रोज–रोज की सांप्रदायिक बयानबाजीयाँ, धमकियाँ, फसाद, धर्मांतरण की ओछी हरकतें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सामने अलग चुनौति है। (1) उन्हें दुनिया के मंच पर फिर संस्थापित करना है। (2) देश में विदेशी निवेश लाना है तथा (3) भारत की व्यापक सुरक्षा का इंतजाम करना है। हमारे सामने आज असली मुद्दा आर्थिक पिछड़ेपन और विकास का है। सिर्फ संप्रदायिकता जैसा एक गलत कदम से हमारी ऐतिहासिक प्रक्रिया रूक जाएगी और वैसा ही बिखराव आ जाएगा, जैसा 1947 में आया था। धर्म के चोले में सांप्रदायिकता तबाही ला सकती है। राष्ट्रवाद का तकाजा यह है कि हम सांप्रदायिकता की चुनौती का आंखो में आंखे डालकर सामना करें। हमें फिलहाल विश्व में चल रही नई औद्योगिक क्रांति में हिस्सेदारी से चूकना नहीं चाहिए और वही हमारा असली राष्ट्रीय एजेंडा होना चाहिए। श्री नरेन्द्र मोदी एक बड़ी चुनावी जीत के बाद सत्ता में आयें हैं लोगों में यह उम्मीद है कि नई सरकार हिन्दु राष्ट्रवाद के चिन्ताजनक पहलुओं को हासिये पर रोकेगी और पुरे देश को तरक्की और काम के साथ जोड़ेगा। मगर दुर्भाग्य से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हिन्दु दक्षिणपंथियों ने उस चुनावी फतह को अपने लिए जनादेश मान लिया है और कई मोर्चो से उन्होने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। दुनिया हमारी आंखों के सामने बदल रही है और हमें इसके साथ ही बदलना होगा। ऐसा नही किया गया तो हम विश्व के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में किनारे कर दिए जाएंगे। हमारी सारी उर्जा इस विकास की ओर केंद्रित होनी चाहिए। धार्मिक हो या राजनीतिक, कोई दूसरा मामला उस असली सामाजिक दिशा से हमें भटकाएगा तो बड़ी गड़बड़ी होगी। जितने भी विखंडनकारी मुद्दे हैं, उन्हें तब तक पीछे फेंकना होगा, जबतक विकास की चुनौती से नहीं निपट लिया जाएगा। यही कसौटी है, जिस पर इतिहास में हमारे राष्ट्रवादी या राष्ट्र विरोधी होने का फैसला लिया जाएगा। अतीत हालांकि महत्वपूर्ण होता है और लोगों में आत्म विश्वास भी भरता है, लेकिन राष्ट्रीय महानता अतीत का बखान करने से नही आती। राष्ट्रीय महानता के लिए गरीबी हटाना जरूरी है, उसके लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है, राजनीतिक रूप से स्थिर होना जरूरी है, आर्थिक और राजनीतिक समस्या का सामना करने की हैसियत रखना जरूरी है और राष्ट्र की विदेश नीतियों पर पूरा नियंत्रण होना जरूरी है। भले ही हम दुनिया के सभी देशों के साथ विश्व समुदाय का हिस्सा बने रहें, आजादी और राजनीतिक ताकत आज आर्थिक मजबूती और समृद्धि, कृषि और उर्जा की आत्म निर्भरता और उत्पादकता पर निर्भर है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय एकजुटता, आर्थिक और सामाजिक विकास, सामाजिक और आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय से जो भी चीज ध्यान हटाती है, वह बुरी है और असल में राष्ट्र द्रोही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सम्प्रदायिकता के बजाए अपनी पुरी उर्जा विकास की ओर लगावें

हमारे सामने आज असली मुद्दा आर्थिक पिछड़ेपन और विकास का है। सिर्फ संप्रदायिकता जैसा एक गलत कदम से हमारी ऐतिहासिक प्रक्रिया रूक जाएगी और वैसा ही बिखराव आ जाएगा, जैसा 1947 में आया था। धर्म के चोले में सांप्रदायिकता तबाही ला सकती है। राष्ट्रवाद का तकाजा यह है कि हम सांप्रदायिकता की चुनौती का आंखो में आंखे डालकर सामना करें। हमें फिलहाल विश्व में चल रही नई औद्योगिक क्रांति में हिस्सेदारी से चूकना नहीं चाहिए और वही हमारा असली राष्ट्रीय एजेंडा होना चाहिए। श्री नरेन्द्र मोदी एक बड़ी चुनावी जीत के बाद सत्ता में आयें हैं लोगों में यह उम्मीद है कि नई सरकार हिन्दु राष्ट्रवाद के चिन्ता जनक पहलुओं को हासिये पर रोकेगी और पुरे देश को तरक्की और काम के साथ जोड़ेगा। मगर दुर्भाग्य से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हिन्दु दक्षिणपंथियों ने उस चुनावी फतह को अपने लिए जनादेश मान लिया है और कई मोर्चों से उन्होने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है।

दुनिया हमारी आंखों के सामने बदल रही है और हमें इसके साथ ही बदलना होगा। ऐसा नही किया गया तो हम विश्व के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में किनारे कर दिए जाएंगे। हमारी सारी उर्जा इस विकास की ओर केंद्रित होनी चाहिए। धार्मिक हो या राजनीतिक, कोई दूसरा मामला उस असली सामाजिक दिशा से हमें भटकाएगा तो बड़ी गड़बड़ी होगी। जितने भी विखंडनकारी मुद्दे हैं, उन्हें तब तक पीछे फेंकना होगा, जबतक विकास की चुनौती से नहीं निपट लिया जाएगा। यही कसौटी है, जिस पर इतिहास में हमारे राष्ट्रवादी या राष्ट्रविरोधी होने का फैसला लिया जाएगा। अतीत हालांकि महत्वपूर्ण होता है और लोगों में आत्मविश्वास भी भरता है, लेकिन राष्ट्रीय महानता अतीत का बखान करने से नही आती। राष्ट्रीय महानता के लिए गरीबी हटाना जरूरी है, उसके लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है, राजनीतिक रूप से स्थिर होना जरूरी है, आर्थिक और राजनीतिक समस्या का सामना करने की हैसियत रखना जरूरी है और राष्ट्र की विदेश नीतियों पर पूरा नियंत्रण होना जरूरी है। भले ही हम दुनिया के सभी देशों के साथ विश्व समुदाय का हिस्सा बने रहें, आजादी और राजनीतिक ताकत आज आर्थिक मजबूती और समृद्धि, कृषि और उर्जा की आत्मनिर्भरता और उत्पादकता पर निर्भर है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय एकजुटता, आर्थिक और सामाजिक विकास, सामाजिक और आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय से जो भी चीज ध्यान हटाती है, वह बुरी है और असल में राष्ट्रद्रोही है। जनता ने मनमोहन सिंह की भ्रष्ट और नाकारा सरकार के विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी और भाजपा को देखा। मोदी ने आम चुनाव में मतदाताओं से कहा था कि भाजपा के उम्मीदवार को मत देखो, मुझे देखो, तो लोगों को उम्मीद है कि गुजरात के विकास की तरह पूरे भारत में भी ऐसा ही विकास दिखेगा। लेकिन इस समय उन्हे मिल रहा है वह है रोज–रोज की सांप्रदायिक बयानबाजीयां, धमकियां, फसाद, धर्मातरण की ओछी हरकतें। नरेन्द्र मोदी के सामने अलग चुनौति है। (1) उन्हें दुनिया के मंच फिर संथापित करना है। (2) देश में विदेशी निवेश लाना है तथा (3) भारत की व्यापक सुरक्षा का इंतजाम करना है। जहां तक पहला लक्ष्य है इसमें भारी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्त्वि के कारण भारत एक बार फिर विश्व मंच पर अपने को स्थापित करने में सफल रहा है जो विदेशी अखबारेां की टिप्पणियों से भी पता चलता है।

घोटालों ने पिछली सरकार को ठप्प कर दिया इसलिए बहुत जरूरी था कि दुनिया को यह संदेश जाए कि इंडिया इज बैक। हम एक नई शुरूआत कर रहें है। इसके लिए नई विदेश नीति की भी जरूरत है और ऐसा वही प्रधानमंत्री ही कर सकता है जो मजबूत हो तथा जिसमें भारत की सुस्त व्यवस्था को बदलने का दम हो। बराक ओबामा ने उन्हे 'मैन आफ एक्शन' अकारण नही कहा।

देश के हित में प्रधानमंत्री मोदी कितनी तेजी से बढ़ रहे है यह इस बात से पता चलता है कि अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 66वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहेंगें। लगातार नए–नए मुद्दे उठा कर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जा रहा है जिससे सभी मगर विशेष रूप से अल्पसंख्यक बेहद डरे हुए और परेशान हैं क्योकि कोई भी आम हिंदुस्तानी नही चाहता कि उसके दैनिक जीवन में व्यर्थ के तनाव पैदा हो। लोगों के अपने पेशेवराना और पारिवारिक जीवन में वैसे ही तनाव कम नहीं हैं, उन्हे झेलते–झेलते ही लागों का दम निकलने लगता है तो ये तनाव वे कैसे झेलें, जिसके लिए वे जिम्मेवार नहीं है। वे मोदी समर्थक भी– जो भाजपाई नही हैं– अभी इस उम्मीद में हैं कि यह संघ परिवार और भाजपा के कुछ अतिवादी तत्वों का काम है जो प्रधानमंत्री के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, जो कि स्वयं विकास के एजेंडे के प्रति प्रतिबद्ध है। वें संविधान–विरोधी और सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने में बेहद जल्दबाजी दिखा रहे है। संघ के इस एजेंडे के आगे सारे एजेंडे फीके हैं। संघ मोदी के नेतृत्व में भारत को वहां ले जाने लिए कटिबद्ध है, जहां यह देश 1947 में विभाजन की त्रासदी को हिदुत्ववादी ढंग से भुनाने की ताबड़तोड़ कोशिशों के बावजूद नही जा सका था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में भी यह ख्वाब तामीर नही हो सका था। लगता है कि अब वें एक ऐसा देश बनाने की तैयारी में है जो हिन्दुत्ववादी सपने के बहुत नजदीक हों, जिसमें अल्पसंख्यक दोयम दर्जे के असुरक्षित नागरिक हो। वें मोदीजी के विकास के एजेंडे का दुश्मन हैं और उनके मूल एजेंडे 'सबका साथ सबका विकास' से उन्हें भटकाने की कोशिश करने लगे दिखते हैं।

एक वातावरण बनाया जा रहा है हिंदु राष्ट्र का, ताकि अघोषित रूप से यह देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, भले ही इसका संविधान कमोबेश यही रहे, बस उसे जमीन पर उतारना असंभव हो जाए। जबकी भारतीय संविधान की पहली पंक्ति ही यह घोषित करती है कि भारत एक धर्मनिपेक्ष गणराज्य होगा। मुश्किल यह है कि हिंदुत्व के दबाव में सेक्युलर विपक्ष भी इस हद तक है कि उसमें हिंदुत्व के एजेंडे का लगातार और कड़ा विरोध करने की हिम्मत नहीं बची है, क्योकि जमीनी संघर्ष करने का उसमें न मुद्दा है न हिम्मत है। वह संसद में तो तलवारें भांज सकता है, जो अत्यंत सुरक्षित रणक्षेत्र है, मगर जमीन पर नहीं, क्योंकि उसने अपना नैतिक आधार खो दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी को भेजे पत्र में बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के भूमिहीन तथा आवासविहीन लोगों के लिए जमीन का अधिकार देने संबंधी निर्णय का सराहना करते हुए राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने और किसानों की हालत सुधारने के लिए पूरी ताकत के साथ भूमि सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित करने की अपील।

आज पूर्व मुख्यमंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी को एक पत्र में कहा है कि बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के भूमिहीन तथा आवासविहीन लोगों के लिए जमीन का अधिकार देने संबंधी निर्णय सराहनीय है। इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने और किसानों की हालत सुधारने तथा कृषि कार्य को बढ़ावा देने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि पूरी ताकत के साथ भूमि सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाएं। यह भी देखा गया है कि कानून के खिलाफ होने पर भी भूमि की बहुत–सी बेनामी काश्तकारी चल रही है। फलतः वास्तविक भू–धारी कृषि का विकास करने के लिये सरकार से मिलनेवाली नगदी ऋण और अन्य प्रोत्साहनों से ऐसे लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि जिन क्षेत्रों में जो किसान वास्तविक रूप से कार्य कर रहे हैं, उन्हें कानूनी अधिकार देने के लिये अधिकार के अभिलेख सही ढंग से तैयार किये जाएं और अभिलेखों को अद्यतन बनाया जाय। सरकार सर्वेक्षण करके जानकारी प्राप्त करे कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोगों को कौन–सी जमीन दी गई थी और जिन्हें जमीन दी गई थी, उन्हें उक्त जमीन पर दरअसल कब्जा दिया गया या नहीं। यदि उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया गया हो तो एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कब्जा दिलाने की व्यवस्था की जाय। भूमि सीमा कानूनों के अंतर्गत सीमा से फाजिल जमीन का पता चलाकर उसका वितरण करना था, किन्तु अभीतक न्यायालयों बड़ी संख्या में इससे संबंधित मुकदमें लम्बित पड़े हैं। अतः इसके लिये समुचित व्यवस्था की जाय ताकि एक निर्धारित अवधि में ये मामले निबटा दिये जायें और भूमिहीनों में फालतू जमीन बांट दी जाय। ऐसी जमीन उन्हें वापस दिलाने की दृष्टि से कानूनी उपाय किए जायं। इस बारे में अभीतक बनाये गये कानूनों को सख्ती से पालन किया जाय। कृषि भूमि के लिए भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रम सख्ती से लागू किए जाय। राज्य सरकार नगर के लिए भी भूमि सीमा कानून बनाकर ऐसा उपबंध दृढ़ता एवं तेजी से लागू किये जा सकते हैं। भूमि सुधार के नाम पर भूमिहीन लोगों के बीच सिर्फ जमीन का आवंटन ही पर्याप्त नहीं है। आवंटित भूखण्डों पर गरीबों को प्रभावी कब्जा दिलवा पाना ही राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए आवश्यक है कि सुयोग्य श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य भूसम्पन्न वर्गों द्वारा जमीन के किसी भी प्रकार के अनाधिकृत कब्जे के निषेध हेतु कड़े दण्डात्मक प्रावधान किये जायें तथा उनके प्रभावी अनुपालन हेतु अनुमंडल स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त दण्डाधिकार भी दिये जायें। साथ ही, एक निश्चित समय–सीमा के अंदर उपयुक्त कार्रवाई न कर पाने या सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को प्रभावी रूप से आवंटित जमीन पर कब्जा न दिलवा पाने की स्थिति से संबंधित क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी दण्डात्मक कार्रवाईयों का प्रावधान होना चाहिए। लम्बे समय से लम्बित विवादों का निपटारा भूमि सुधार नीतियों की एक और प्राथमिकता के तहत होना चाहिए। विभिन्न न्यायालयों में भू–हदबंदी के कुल 1723 मामले काफी दिनों से लम्बित हैं, जिनमें कुल 159820.17 एकड़ जमीन सन्निहित हैं। राज्य सरकार द्वारा नवगठित भूमि सुधार अधिकरण द्वारा त्वरित सुनवाई से निष्पादन कराया जाय तो बड़ी संख्या में राज्य के भूमिहीनों के बीच जमीन बंटवारे के लिए उपलब्ध हो जाएगी।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

ललित बाबू की हत्या किसी षड्यंत्र के तहद हुई ऐसी आंशका लोगों के मन अभी भी बनी हुई है, जबकि चार दोषियों को आजीवन कैद की सजा सी.बी.आई. अदालत ने दी है। परन्तु इस सजा के बावजूद षड्यंत्र पक्ष क्या था, कैसे था तथा षड्यंत्र का मास्टर माइन्ड कौन था तथा उसका उद्देश्य क्या था, यह उजागर और साबित नहीं हो पाया है। यह बात भी सच है कि यह घटना तब घटी थी जब केन्द्र में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार थी वहीं बिहार में अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे। उसी समय यह मामला सी.बी.आई. को सुपूर्द किया गया। 1977 में सी.बी.आई. की जाँच से उस समय की जनता पार्टी केन्द्र की और राज्य की जनता पार्टी सरकार यदि असंतुष्ट होती तो जाँच की दूसरी एजेंसी बहाल हो सकती थी अथवा मामले की जाँच नये सिरे करायी जा सकती थी। परन्तु प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह तथा बिहार में मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर सरकार उस समय कोई आशंका सी.बी.आई. की जाँच पर प्रकट नहीं की थी। अगर तत्कालिन सरकार चाहती तो निश्चित रूप से मामले की जाँच केन्द्र और राज्य की जनता पार्टी की तत्कालिन सरकार नये सिरे से कराती। उस समय सी.बी.आई. की जाँच पर सवालिया निशान नहीं खड़ा किया और जाँच चलती रही। 1979 में उच्चतम न्यायालय के निदेश पर इस मामले को पटना सी.बी.आई. कोर्ट से स्थानान्तरित कर दिल्ली कोर्ट लाया गया उस समय भी केन्द्र में तथा राज्य में जनता पार्टी की सरकार थी। अकसर कहा जाता है कि देरी से मिला न्याय, अन्याय के ही समतुल्य होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में मुकदमों के जल्द से जल्द निबटारे के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में रेल मंत्री रहे ललित बाबू हत्या काण्ड के दोषियों को लगभग 40 साल बाद निचली अदालत ने आजीवन सजा सुनायी है। गौरतलब है कि 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित सरकारी समारोह के दौरान बम विस्फोट द्वारा तत्कालीन रेल मंत्री ललित बाबू की हत्या कर दी गयी थी। चार दशक के लम्बे अरसे के बाद चार लोगों को दोषी करार दिया गया और आजीवन कैद की सजा दी गई है। वह भी निचली अदालत द्वारा। अभी इन दोषियों के पास उच्च एवं सर्वोच्च अदालतों में जाने के पूरे विकल्प खुले हुए हैं। अब अंदाज लगाया जा सकता है कि जब निचली अदालत का फैसला आने में 40 वर्षों का समय लग गया तो उच्च एवं सर्वोच्च अदालतों का फैसला आने में कितना वक्त लगेगा? इस फैसले ने एक बार फिर से भारतीय न्याय व्यवस्था की गतिहीनता पर सवालिया निशान लगा दिये हैं। जब कैबिनेट स्तर के मंत्री की हत्या के मुकदमे का फैसला 40 साल बाद आता है तो आम आदमी के मुकदमों की स्थिति का अंदाजा अत्यंत सहजता से लगाया जा सकता है।

इतने लम्बे समय तक चले इस मामले में 20 से ज्यादा न्यायाधीशों ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसम्बर, 1979 के निर्देश पर यह मामला दिल्ली स्थानान्तरित हुआ और यह सबूत मिटाने के डर से राज्य से बाहर स्थानान्तरित होने वाला देश का पहला मामला बना। इस मामले में अभियोजन पक्ष के 161, आरोपी पक्ष के 43 और अदालत के गवाह के तौर पर 9 गवाहों सहित कुल 213 गवाहों से पूछताछ की गई। इससे पहले आरोपियों ने इस मामले में उनके खिलाफ जारी सुनवाई को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने 17 अगस्त, 2012 को उनकी याचिकाएं इस आधार पर खारिज कर दी थी की कार्यवाही सिर्फ इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती कि यह बीते 37 वर्ष में पूरी नहीं हुई है।

वह दिन आज भी उसी तरह मेरी नजर घूम रहा है, जिस दिन समस्तीपुर में समस्तीपुर–मुजफ्फरपुर बड़ी लाइन के उद्‌घाटन के बाद हुई मीटिंग के अंतिम क्षण में बम विस्फोट की घटना घटी। हम दोनों भाई गिर पड़े। उस समय जे॰पी॰ आंदोलन चरम पर था। 1974 की रेलवे हड़ताल को ललित बाबू ने शक्ति से विफल कराया था। इसमें हिंसा का माहौल चौतरफा विकृत रूप लिये हुए था। ऐसी अवस्था में ललित बाबू जैसे बड़े व्यक्तित्व व राजनेता के लिए जैसी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी। वैसी नहीं थी, यह सवाल भी जनमानस को उद्वेलित करता है। बम काण्ड में ललित बाबू के साथ मैं भी घायल हुआ था। घटना के बाद परिवार की ओर से कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। समस्तीपुर से ललित बाबू को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल नहीं ले जाया गया, जहाँ जल्दी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो सकती थी। दरभंगा के तत्कालीन डीआईजी बी॰एन॰ प्रसाद को घायल अवस्था में दरभंगा ले जाया गया, वहाँ वे बच गये। ललित बाबू को समस्तीपुर से विशेष ट्रेन से दानापुर ले जाया गया, जहाँ आठ घंटे लग गये। पीएमसीएच में नही ले जाकर दानापुर रेलवे अस्पताल में लाया गया, जहाँ चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं थी। चिकित्सा व्यवस्था करने में काफी समय लग गया। उनकी जान नहीं बचायी जा सकी। बम लगने के बाद भी ललित बाबू बोल रहे थे कि हमको कोई क्यों मारेगा! वे मेरे बारे में सबको कह रहे थे कि जगन्नाथ को देखो। उसको बचाओ। समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने, सुरक्षा इंतजाम नहीं होने, फौरी तौर पर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराने, समस्तीपुर से दानापुर लाने, पूरी जाँच प्रक्रिया में षड्‌यंत्र का मामला आइपीसी की धारा 120पी के तहद बनता था। परन्तु इन बिन्दुओं पर विस्तार से जाँच नहीं हुई। इस संबंध में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नही होना यह प्रमाणित करता है कि सीबीआई के पास भी षड्‌यंत्र से सम्बन्धित ठोस सबूत नहीं था। अभी भी पूरे मामले में जनमानस में भ्रम बरकरार है। ललित बाबू बिहार को, विशेषकर मिथिलांचल को देश की अगली पंक्ति में लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। ऐसे व्यक्ति की निर्मम हत्या की साजिश क्यों व कैसे रची गयी? ललित बाबू नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा न्याय की प्रतीक्षा कर रही होगी। मैं घायल था, संयोग से जीवित रहा। आज भी दुखी व उद्वेलित हूँ। यह सही तथ्यों का उजागर नहीं होना सम्पूर्ण न्याय प्रणाली व प्रशासनिक व्यवस्था भविष्य के लिए चुनौती है। वह श्रीमती इन्दिरा गांधीजी के लिए समर्पित थे। श्रीमती गांधी जी को कमजोर करने के लिए ललित बाबू पर आक्रमण होता रहा। उन्हें विवादास्पद बनाये रखा गया, जबकि ललित बाबू समझौता व समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी से बात कर

ललित बाबू ने यह श्रीमती गांधी व जे॰पी॰ के बीच 6 जनवरी, 1975 को मुलाकात कराने का भी कार्यक्रम बना कर जे॰पी॰ आंदोलन को खत्म कराने का उन्होंने मन बना लिया था। ऐसा श्री चन्द्रशेखर जी ने अपनी किताब में उल्लेख किया है।

ललित बाबू की हत्या किसी षड्यंत्र के तहद हुई ऐसी आंशका लोगों के मन अभी भी बनी हुई है, जबकि चार दोषियों को आजीवन कैद की सजा सी.बी.आई. अदालत ने दी है। परन्तु इस सजा के बावजूद षड्यंत्र पक्ष क्या था, कैसे था तथा षड्यंत्र का मास्टर माइन्ड कौन था यह उजागर और साबित नहीं हो पाया है। यह बात भी सच है कि यह घटना तब घटी थी जब केन्द्र में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार थी वहीं बिहार में अब्दुल गफ़ूर मुख्यमंत्री थे। उसी समय यह मामला सी.बी.आई. को सुपूर्द किया गया। 1977 में सी.बी.आई. की जाँच से उस समय की जनता पार्टी केन्द्र की और राज्य की जनता पार्टी सरकार यदि असंतुष्ट होती तो जॉच की दूसरी एजेंसी बहाल हो सकती थी अथवा मामले की जाँच नये सिरे करायी जा सकती थी। परन्तु प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह तथा बिहार में मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर सरकार न उस समय कोई आशंका सी.बी.आई. की जाँच पर प्रकट नहीं की। मामले की अगर कोई व्यापक राजनीतिक षड्यंत्र इस बम काण्ड में हुआ होता तो निश्चित रूप से मामले की जाँच केन्द्र और राज्य की जनता पार्टी की तत्कालिन सरकार नये सिरे से कराती। उस समय सी.बी.आई. की जाँच पर सवालिया निशान नहीं खड़ा किया और जाँच चलती रही। 1979 में उच्चतम न्यायालय के निदेश पर इस मामले को पटना सी.बी.आई. कोर्ट से स्थानान्तरित कर दिल्ली कोर्ट लाया गया उस समय भी केन्द्र में तथा राज्य में जनता पार्टी की सरकार थी।

अकसर कहा जाता है कि देरी से मिला न्याय, अन्याय के ही समतुल्य होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में मुकदमों के जल्द से जल्द निबटारे के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। आये दिन देश के कानून मंत्री एवं न्यायाधीश न्याय में विलम्बता को लेकर चिन्ता जताते हैं और जल्द से जल्द न्याय को गति देने का वादा भी करते हैं लेकिन फिर भी नतीजा ढाकके पात ही साबित होता है। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि देश भर की अदालतों में 3.3 करोड़ से ज्यादा मामले लम्बित पड़े हैं। देश के सर्वोच्च अदालत में 70 हजार के करीब मामले लम्बित हैं एवं उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या 45 लाख है जबकि निचली अदालतों में 2.7 करोड़ मामले लम्बित हैं। दिन–प्रतिदिन मुकदमों की बढ़ती संख्या और निबटारे की घटती गति को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि 2025 तक न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या 15 करोड़ हो जायगी जिसके निबटारे में तकरीबन 450 वर्षो का समय लगेगा। यह कहना गलत न होगा कि न्याय में विलम्ब के कारण लोगों का विश्वास भारतीय न्याय व्यवस्था से उठने लगा है। हालात यह है कि लोग अपने बाप–दादा के जमाने के मुकदमे की मार अभीतक झेल रहे हैं। इस दुनिया से इन्सान का निबटारा हो जाता है, लेकिन मुकदमें का नहीं। न्याय में इसी विलम्बता के चलते जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या भी दिनोंदिन कई गुना बढ़ती जा रही है। अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस लचर न्यायिक प्रणाली के लिए कौन जिम्मेदार है। भारत में इस लचर न्यायिक व्यवस्था के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। देश में आबादी के अनुपात में न्यायाधीशों की तादात में काफी .कमी है। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के तकरीबन 4,655 पद रिक्त पड़े हैं। एक तरफ अदालतों में मुकदमों का अम्बार लगता जा रहा है तो दूसरी ओर अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति ही नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में लम्बित मुकदमों के निबटारे एवं त्वरित न्याय की कल्पना कैसे की जा सकती है? भारत में अब न्यायिक लड़ाई लड़ना गरीबों के बस की बात तो रही ही नहीं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ने स्वीकारा है। मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज त्वरित न्यायिक व्यवस्था समय की मांग बन गयी है। भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी विडम्बना यह भी है कि जब भी कोई न्यायाधीश न्याय व्यवस्था में सुधार की कोशिश करता है तबतक उसके सेवानिवृत्ति का समय आ जाता है। अब देखना यह होगा कि सरकार और हमारी न्यायिक व्यवस्था पूर्व न्यायाधीश लोढा द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल करती है या नहीं। यदि इन सुझावों को अमल के स्तर पर लाया जाय तो निश्चय ही लम्बित मामलों के जल्द से जल्द निबटारे में सहायक होंगे और भारतीय न्याय प्रणाली को गति दे सकेंगे। ललित बाबू की हत्या के मामले का 40 वर्षों में निचले अदालत में निष्पादन अनेक प्रश्नों से हमारे मन को उद्वेलित कर रहा है।

बिहार के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी द्वारा बिहार के भूमिहीन एवं आवासविहीन लोगों के लिये जमीन का अधिकार देने के लिये कानून बनाने के निर्णय।

बिहार के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी द्वारा बिहार के भूमिहीन एवं आवासविहीन लोगों के लिये जमीन का अधिकार देने के लिये कानून बनाने के निर्णय का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि पहले बिहार विशेषाधिकृत वास भूमि अधिनियम के अंतर्गत बिहार में 80 के दशक तक 11 लाख परिवारों को वास भूमि का अधिकार संबंधी पर्चा देकर उन्हें कानूनी अधिकार दिया गया था। योजना आयोग के सर्वेक्षण के अंतर्गत संयुक्त बिहार में ऐसे 19 लाख परिवारों को चिह्नित किये गये जिन्हें आवासीय भूमि पर कानूनी अधिकार नहीं था। 80 के दशक में एक अभियान द्वारा ऐसे परिवारों को चिह्नित कर आवासीय भूमि अधिकार दिया गया। परंतु अब ऐसे परिवारों में सदस्यों की संख्या बढ़ने के कारण बड़ी संख्या में भूमिहीन लोग गृहविहीन और आवासविहीन होते गये हैं। इसलिये वर्तमान समय में बिहार सरकार का यह निर्णय बड़ा ही समीचिन है कि नये कानून द्वारा भूमि वास के लिए भूमि अधिकार कानून बनाकर ऐसे परिवारों के सभी व्यस्क महिलाओं के नाम पर बेघरों को अपना घर बनाने के लिये जमीन उपलब्ध करायी जाय। पहले 80 के दशक में 3 डिसमिल जमीन जमीन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। यदि सरकार जमीन उपलब्ध रही तो ऐसे परिवारों को मालिकाना हक दिया जाय और यदि ऐसी सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं थीं तो सरकार जमीन खरीद कर ऐसे परिवारों को घर के लिए जमीन उपलब्ध कराती परन्तु व्यवहारिक कठिनाईयों और भूमि की अनुपलब्धता के कारण 80 के दशक में लिये गये निर्णयों का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन संभव नहीं हो पाया था। इसलिये वर्तमान सरकार का यह निर्णय कि बिहार के सभी बेघरों एवं भूमिहीनों को घर का अधिकार देने के लिये कानूनी रूप से जमीन उपलब्ध करा दिया जाय। बिहार सरकार का यह निर्णय अत्यंत ही सराहनीय है। ऐसे कानून के अंतर्गत केवल दलितों को ही नहीं बल्कि इसके अंतर्गत अन्य जाति के भूमिहीन गरीबों को भी जमीन उपलब्ध करायी जायगी। इस कानून के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के भूमिहीन तथा बेघरों को यह अधिकार होगा कि उन्हें कम से कम उतनी जमीन मिल जायेगी जिसपर वे घर बना सकेंगे साथ ही बचे हुए भूखण्ड पर वे अपना जीवन–यापन कर सकेंगे। इस कानून के अंतर्गत दलित, महादलित, अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, गरीब विधवाओं एवं तलाकशुदा महिला जो अकेली रह रही है को प्राथमिकता दी जाय। इस कानून को समय–सीमा के भीतर कार्यान्वित करने का निर्णय भी मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी को लेना चाहिये, जिससे देश में एक मिशाल प्रस्तुत हो। 1947 आजादी के बाद डॉ॰ श्रीकृष्ण सिंह की सरकार ने बिहार विशेषाधिकृत वास भूमि अभिधृति अधिनियम 1947 बनाकर देश में मिशाल प्रस्तुत किया था और उसी कानून के अंतर्गत उनकी (डा॰ मिश्र की) सरकार ने 11 लाख परिवारों को जिस भूमि पर उनका आवास अवस्थित था उसका स्वामित्व कानूनी तौर पर सर्टिफिकेट देकर दिया था।

डा॰ मिश्र ने मुख्यमंत्री से कहा कि:– (1) इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने और किसानों की हालत सुधारने तथा कृषि कार्य को बढ़ावा देने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि पूरी ताकत के साथ भूमि सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाएं। यह भी देखा गया है कि कानून के खिलाफ होने पर भी भूमि की बहुत–सी बेनामी काश्तकारी चल रही है। फलतः वास्तविक भू–धारी कृषि का विकास करने के लिये सरकार से मिलनेवाली नगदी ऋण और अन्य प्रोत्साहनों से वंचित रह जाते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि जिन क्षेत्रों में जो किसान वास्तविक रूप से कार्य कर रहे हैं, उन्हें कानूनी अधिकार देने के लिये अधिकर के अभिलेख सही ढंग से तैयार किये जाएं और अभिलेखों को अद्यतन बनाया जाय। (2) सरकार सर्वेक्षण करके जानकारी प्राप्त करे कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोगों को कौन–सी जीमन दी गई थी और जिन्हें जमीन दी गई थी, उन्हें उक्त जमीन पर दरअसल कब्जा दिया गया या नहीं। यदि उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया गया हो तो एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कब्जा दिलाने की व्यवस्था की जाय। (3) भूमि सीमा कानूनों के अंतर्गत सीमा से फाजिल जमीन का पता चलाकर उसका वितरण करना था, किन्तु अभीतक न्यायालयों से संबंधित मुकदमें लम्बित पड़े हैं। अतः इसके लिये समुचित व्यवस्था की जाय ताकि एक निर्धारित अवधि में ये मामले निबटा दिये जायें और भूमिहीनों में फालतू जमीन बांट दी जाय। (4) ऐसी जमीन उन्हें वापस दिलाने की दृष्टि से कानूनी उपाय किए जायं। इस बारे में अभीतक बनाये गये कानूनों को सख्ती से पालन किया जाय। (5) कृषि भूमि के लिए भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रम सख्ती से लागू किए जाय। राज्य सरकार नगर भूमि सीमा कानून के उपबंध दृढ़ता एवं तेजी से लागू करे। (6) भूमि सुधार के नाम पर भूमिहीन लोगों के बीच सिर्फ जमीन का आवंटन ही पर्याप्त नहीं है। आवंटित भूखण्डों पर गरीबों को प्रभावी कब्जा दिलवा पाना ही राज्य प्रशासन की सबसे बडी चुनौती है। इसके लिए आवश्यक है कि सुयोग्य श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य भूसम्पन्न वर्गों द्वारा जमीन के किसी भी प्रकार के अनाधिकृत कब्जे के निषेध हेतु कडे दण्डात्मक प्रावधान किये जायें तथा उनके प्रभावी अनुपालन हेतु अनुमंडल स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त दण्डाधिकार भी दिये जायें। साथ ही, एक निश्चित समय–सीमा के अंदर उपयुक्त कार्रवाई न कर पाने या सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को प्रभावी रूप से आवंटित जमीन पर कब्जा न दिलवा पाने की स्थिति से संबंधित क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी दण्डात्मक कार्रवाईयों का प्रावधान होना चाहिए। लम्बे समय से लम्बित विवादों का निपटारा भूमि सुधार नीतियों की एक और प्राथमिकता के तहत होना चाहिए। विभिन्न न्यायालयों में भू–हदबंदी के कुल 1723 मामले लम्बित हैं, जिनमें कुल 159820.17 एकड़ जमीन सन्निहित हैं। राज्य सरकार द्वारा नवगठित भूमि सुधार अधिकरण द्वारा त्वरित सुनवाई से निष्पादन कराया जाय तो बड़ी संख्या में राज्य के भूमिहीनों के बीच जमीन बंटवारे के लिए उपलब्ध हो जाएगी।

पटना में मैथिली संघ, मैथिली महिला संघ भंगिमा, प्रतिमान, पटना, मिथिला सांस्कृतिक परिषद्, बोकारो, झारखण्ड मैथिली मंच, रांची द्वारा त्रि–दिवसीय आयोजन के लिए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आयोजनकों तथा सहयोगियों को बधाई दी।

पटना स्थित यूथ होस्टल फ्रेजर रोड के परिसर में मैथिली लेखक संघ, मैथिली महिला संघ भंगिमा, प्रमिान, पटना, मिथिला सांस्कृतिक परिषद्, बोकारो, झारखण्ड मैथिली मंच, रांची के संयुक्त तत्वावधान में मिथिला की सांस्कृतिक एवं परंपराओं पर आधारित कार्यक्रमों के अलावे मैथिली भाषा साहित्य के अनेक विधाओं से सम्बन्धित प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों का अवलोकन एवं विभिन्न पुस्तकों के स्टॉलों को देखकर प्रभावित होकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि मिथिला की संस्कृति एवं साहित्य के विभिन्न विषयों पर रचित पुस्तकें, मिथिला चित्रकारी, मिथिला परंपरा रीति–रिवाज से जुड़े कार्यक्रमों को इस आयोजन में प्रभावकारी ढंग से प्रदर्शित कर मिथिलांचल की सम्पूर्ण परंपरा तथा व्यवहार परिलक्षित होते देखकर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति हुई है। देश भर के मैथिली विद्वानों ने अपने रचनाओं को इस आयोजन में प्रदर्शित कर जनमानस को उद्वेलित कर दिया है। मिथिला की ऐतिहासिक परंपरा व्यवहार संस्कृति एवं साहित्य आज भी जीवित है। मिथिला के लेखक साहित्यकार जो देश के विभिन्न हिस्सों में रहने के बावजूद भी मैथिली की साहित्यिक भण्डार को सम्बर्द्धित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से सेवारत् हैं, जिससे मिथिलांचल की गरिमा एवं प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस आयोजन में मैथिली लेखकों, साहित्यकारों एवं नाटककारों की रचना प्रदर्शित कर उद्दीयमान लेखकों, काव्यकारों तथा नाटककारों ने नई प्रेरणा दी है। इस आयोजन से यह भावना बनी है कि मैथिली साहित्य की परंपरा एवं संस्कृति जीवित है, इस आयोजन ने संरक्षण करने का दायित्व नई पीढ़ी पर सौंपा है।

डा॰ मिश्र ने कहा कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में मैथिली अकादमी की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि मिथिलांचल में बिखरे विस्तृत मैथिली की अप्रकाशित साहित्य का संकलन तथा प्रकाशन हो। मैथिली की परंपराओं और आचार एवं व्यवहार जीवंत हो और साथ ही नई पीढ़ी में मिथिला की परंपरा और साहित्य के प्रति आकर्षण हो। नई पीढ़ी समर्पण की भावना से मिथिलांचल की सेवा विभिन्न रूपों में करने में सफल हों। मिथिलांचल की महिलाओं में मैथिली लोक गीत अभी भी जीवत है, किन्तु प्रकाशित नहीं हो पाई है। मिथिला की लोक संस्कृति परंपरा और व्यवहार में आघात होने की संभावना निरंतर बनी जा रही है उसे थामा जाय और पुनर्जीवित किया जाय। मैथिली अकादमी को इस उद्देश्य की प्राप्ति में बहुत सफलता नही मिल पायी। चेतना समिति से भी अपेक्षा रही है कि देश के विभिन्न हिस्सों में बिखरे मैथिली साहित्य के विद्वानों, लेखकों और नाटककारों को संगठित कर मिथिलांचल की सांस्कृतिक परपंरा को और भी सुदृढ़ और मजबूत करे। यह समिति एक संघीय रूप ले और उसकी इकाई देश के विभिन्न हिस्सों में बनायी जाय। मैथिली भाषा को बिहार लोक सेवा आयोग में चयनित विषय की सूची से 90 के दशक में हटाया गया। उच्च न्यायालय द्वारा उस निर्णय को निरस्त करने के बावजूद भी मैथिली भाषा–भाषियों द्वारा संगठित संघर्ष नहीं किये जाने के कारण मैथिली भाषा पर बड़ा आघात पहुँचा। राजनीतिक बदलाव 2005 में होने के बाद मैथिली भाषा को पुनः बिहार लोक सेवा आयोग के चयनित विषय सूची में वापस किया गया। केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में मैथिली को संविधान के अष्टम सूची में सम्मिलित किया गया। अब मैथिली भाषा केन्द्रीय लोक सेवा आयोग में सम्मिलित भी है। परंतु यह लोकोपयोगी और व्यापक जनाधार तभी ले सकेगी जब मैथिली भाषा के प्रति जागृति व चेतना लोगों में उत्पन्न की जाय जो ऐसे आयोजनों से संभव हो सकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस तीन दिवसीय मैथिली लिट्रेचर फेस्टीवल के अंतर्गत–(1) पन्द्रह विचारोत्तेजक सत्र। (2) अस्सी सँ बेसी साहित्यकार, शिल्पकार, चित्रकार आ रंगकर्मीक सहभागिता। (3) गीत–नाद, मैथिली फिल्म, मैथिली नाटक। (4) पुस्तक ओ कला प्रदर्शनी। (5) व्यंजन मेला, आर बहुत किछु। कार्यक्रमों ने लोकप्रियता अर्जित की।

डा॰ मिश्र ने इस कार्यक्रम के आयोजकों, सहयोगियों और ऐसे आयोजन करने वालों की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए बधाई दी साथ ही उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन–सहयोग ऐसे आयोजनों के लिए भविष्य में देने की प्रतिबद्धता जाहिर की।

सुपौल जिलान्तर्गत बलुआ बाजार स्थित स्व. पं. रविनन्दन मिश्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए मुख्य भवन निर्माण हेतु बिहार सरकार ने 3 करोड़ 80 लाख रूपये की निविदा आमंत्रित की है।

27 नवम्बर, 2014 को सुपौल जिलान्तर्गत बलुआ बाजार स्थित स्व. पं. रविनन्दन मिश्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी द्वारा सम्पन्न हुआ। बिहार सरकार ने उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये 5 करोड़ 77 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है जिसके अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ 80 लाख रूपये लागत का निविदा बिहार सरकार ने बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इन्फ्रस्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि. (बिहार सरकार का एक उपक्रम) द्वारा दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से आमंत्रित की है। इस निविदा को दाखिल करने का 5 जनवरी, 2015 अन्तिम तिथि है। आमंत्रित निविदा में इस कार्य को सम्पन्न करने की अवधि 12 माह निदेशित है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक के अवसर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र का पत्र।

योजना आयोग के स्थान पर किसी ऐसे संस्थान को लाना चाहिए जो संवैधानिक ढंग से स्थापित हो और वह उन्हीं कामों को अंजाम दे जो योजना आयोग को दिया गया था। अभीतक योजना आयोग एक ऐसा ताकतवर केन्द्र रहा जिसे संविधानेत्तर शक्तियाँ हासिल रही। लेकिन ऐसा इस वजह से नहीं था कि संविधान ने उन जरूरतों की अनदेखी की थी जिनकी भरपाई यह कर रहा था। केन्द्र से राज्यों को वित्तीय मद्द की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोगों को सौंपी गई थी जिनका गठन हर पांच साल पर किया जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल दो साल का होता है। केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वित नीति की जरूरत को महसूस करते हुए इसकी भी व्यवस्था की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 263 में एक अंतर राज्य परिषद् (आईएससी) की व्यवस्था की गई थी ताकि वह उन विषयों की जॉचकर सके जिसमें कुछ या सभी राज्यों का साझा हित हो या फिर ऐसे किसी भी विषय विशेष को लेकर बेहतर नीतिगत समन्वय और कदमों की अनुशंसा। उस लिहाज से योजना आयोग न केवल संविधानेत्तर था बल्कि वह असंवैधानिक भी था क्योंकि उसकी मौजूदगी के चलते 30 सालों तक आईएससी की नियुक्ति नहीं हो सकी। 60 वर्ष की योजनाओं में क्या उपलब्धि हुई है उसके संबंध में हाल ही में आई नमूना सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट देश में व्याप्त गरीबी की ही गवाही दे रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के ग्रामीण इलाकों में सबसे निर्धन लोग औसतन महज 17 रूपये प्रतिदिन और शहरों में सबसे निर्धन लोग 23 रूपये प्रतिदिन में जीवनयापन हैं। डॉ॰ आम्बेदकर राष्ट्र को चेताया था कि भारत में राजनीतिक समानता एवं दूसरी तरफ सामाजिक एवं आर्थिक असमानता का अंतर्विरोध स्थापित हो रहा है इसे शीघ्र समाप्त करने की जरूरत है, अन्यथा गैर–बराबरी के शिकार समूह राजनीतिक बराबरी में अपना विश्वास खो देंगे। आज 65 साल बाद भी डॉ॰ अम्बेदकर की चेतावनी प्रासंगिक है। असमानता एक भयंकर रोग है जो भारत में हर तरफ अपनी जड़ें मजबूती से जमाए हुए हैं। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, लैंगिक एवं राजनीतिक असमानता अन्यायकारी रूप धारण कर चुकी है। यह राजनीतिक लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था उसकी सामाजिक संरचना एवं आर्थिक आधार पर टिकी होती है। अलोकतांत्रिक समाज में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सफल होना असंभव है, इसकी सफलता के लिए सामाजिक लोकतंत्र एवं आर्थिक समानता एक पूर्व शर्त बन जाती है।

डा॰ मिश्र ने पत्र में कहा है कि भारत में शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं आम आदमी की पहुँच से दूर है। देश में हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसकी वजह से सरकारी सुविधाओं का फायदा भी ठीक तरह से आम लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद एक तबके का जबर्दस्त विकास हुआ है जबकि दूसरा तबका पिछड़ता गया। भारत में गरीबों की परिस्थितियाँ इतनी बुरी हैं कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन्हीं स्थितियों के कारण संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने अपनी 2013 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को दुनिया के 186 देशों में 136वें नम्बर पर रखा है।

डा॰ मिश्र ने सुझाव दिया है कि नया संगठन छोटा लेकिन काम करने में दक्ष हो, जो सुधारों को आगे बढ़ाये, परियोजनाओं की निगरानी करे एवं राज्य सरकारों का सक्रिय भागीदारी के साथ योजना का निर्माण करे ताकि इससे संघीय ढांचे को भी मजबूती मिले 'नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देने में इसकी सक्रिय भूमिका होनी चाहिये।' नई संस्था का कामकाज महज बजट तैयार करने से जुड़ी गतिविधियों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि योजगना आयोग का काम इसी तक सिमट कर रह गया था। इकाई ज्यादा 'उत्प्रेरक' होनी चाहिए। योजना आयोग अपने आप में बदलाव नहीं ला रहा था, लेकिन दुनिया में जितनी तेजी से बदलाव आ रहे हैं उसकी तुलना में यहाँ सुधार की प्रक्रिया बेहद धीमी थी।

बिहार के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी को 2008 की कोशी की प्रलयंकारी बाढ़ से उत्पन्न त्रासदी के समाधान अभीतक नहीं होने पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने 24 सूत्री समस्याएं और 14 सूत्री पुनर्निर्माण के सुझावों का पत्र में उल्लेख किया एवं त्वरित कार्रवाई की अपील की।

कोशी क्षेत्र के भ्रमण से वापस आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने आज यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी को एक पत्र देकर उनसे अपील की है कि 2008 की कोशी की प्रलयंकारी बाढ़ से उत्पन्न त्रासदी का समाधान 6 वर्ष बीतने के बाद भी नहीं हो पाना विस्मयकारी है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से कुसहा टूटबंध का निर्माण तो कराया परन्तु उनके द्वारा घोषित 4,900 करोड़ की लागत से कोशी की प्रलयंकारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया एवं अररिया जिलों के 3.50 लाख गृहविहीन परिवारों के लिए आवासों को पुनर्निर्माण एवं हरेक बस्ती में एक सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। विश्व बैंक से प्राप्त 1000 करोड़ की सहायता राशि से 1 लाख आवास एवं ग्रामीण सड़क के साथ–साथ अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की योजना भी कार्यान्वित नहीं हो पा रही है। कोशी प्रलय से संसाधनों की व्यापक क्षति हुई। उस क्षति की भरपाई करने एवं उन क्षेत्रों को पहले से बेहतर बनाने के लिए राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता एवं जिला स्तर पर मंत्री की अध्यक्षता में कोशी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण समितियों का गठन किया गया था परन्तु इन समितियाँ अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है। उसकी बैठक नहीं होती है। उपजाऊ जमीन बालू की रेत से भरी हुई है। सरकार द्वारा दी गई मुआवजा पर्याप्त नहीं है। बिहार सरकार को केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से विशेष अपील करनी चाहिए थी कि वह कृषि वैज्ञानिकों का एक दल कोशी क्षेत्र में प्रतिनियुक्त करे जो बालू से भरे जमीन एवं जमीन की बदली हुई स्थिति में गुणात्मक सुधार के लिए वैज्ञानिक अध्ययन कर समचुति सुधार हेतु सरकार एवं किसानों को सुझाव करे किन्तु ऐसा भी नहीं हो पाया है। राज्य एवं जिला स्तर पर पुनर्वास समिति के सक्रियता के अभाव में लेखा–जोखा नहीं हो पा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि कोशी की आपदा से भवनों, लोक सम्पतियों तथा आधारभूत संरचनाओं का विस्तृत आकलन भी नहीं हुआ है। आकलन के आधार पर पुनर्वास की आवश्यकता पूरी होनी चाहिये थी जो अभीतक नहीं हो पाया है। क्षेत्रों में आवागमन के लिए पुल सड़क निर्माण कार्य भी नहीं किया जा सका है। विस्मयकारी है कि अत्यंत गरीब परिवारों का आवास क्षति का मूल्यांकन अभीतक नहीं हो पाया है। इस कारण उन्हें आवास सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है। यह महसूस की जा रही है कि आवास क्षति का पुनर्सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। कोशी की प्रलयंकारी बाढ़ से जितनी बड़ी क्षति हुई है उसकी भरपाई करने और क्षेत्र को पहले से अच्छा बनाने के लिए राज्य सरकार का संकल्प अभी तक अधूरा है। प्रमुख सडकों एवं पुलों का निर्माण नहीं होने के कारण आवागमन सामान्य नहीं हो पाया है।

डा॰ मिश्र ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में 24 सूत्रीय कोशी बाढ़ पीडितों की समस्याओं के उल्लेख के साथ–साथ 14 बिन्दुओं पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता बताती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि विश्व बैंक से 1000 करोड़ की धन राशि एवं बिहार सरकार द्वारा 4,900 करोड़ की लागत से क्षेत्र का पुनर्निर्माण योजना को तत्परता से लागू कराने पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करें।

काले धन के मसले एवं वैश्विक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भारतीय रूख पर सहमत हुए वैश्विक नेता

दुनिया की प्रमुख 20 अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी–20 के ब्रिस्बेन शिखर सम्मेलन में भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है। समूह ने काले धन के मसले पर भारत के रूख का समर्थन करते हुए कर सचनाओं के विनिमय और पारदर्शिता के प्रस्ताव को मान लिया। काले धन पर बनती दिख रही वैश्विक सहमति भारत के नजरिये से बहुत मायने रखती है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस मंच पर काले धन के मसले को पुरजोर तरीके से उठायां था। श्री मोदी ने काले धन की समस्या से निपटने के लिए नये वैश्विक मानक और सूचनाओं के स्वतः आदान–प्रदान पर समर्थन का आह्वान किया। शिखर सम्मेलन में अपने सम्बोधन में श्री मोदी ने काले धन की समस्या से उपजी चुनौतियों से निपटने के लिए दुनियाभर के देशों के बीच बेहतर समन्वय से काम करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि कर सूचनाएं देने के नये मानकों से विदेशों में छुपाकर रखे गये काले धन से जुड़ी जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी और उसे देश में वापस लाया जा सकेगा। श्री मोदी ने खासतौर से कर चोरों की पनाहगाह माने जाने वाले देशों से संधि से जुड़े दायित्वों को निभाते हुए कर संबंधी सूचनाएं देने का आग्रह किया। काले धन का मसला श्री मोदी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि चुनाव के दौरान श्री मोदी ने इसे जोर–शोर से उठाया था। सरकार बनने के बाद श्री मोदी ने सबसे पहला फैसला ही काले धन की जाँच के लिए विशेष जाँच दल (एसआईटी) का गठन किया था।

भारत को विदेशों से काला धन लाने के लिए विदेशों की सार्वभौमिक सरकारों और सर्वप्रभुसत्ता सम्पन्न देशों को इस बात के लिए मनाना होगा कि उनके बैंकों में जमा धन राशियाँ दूसरे देशों में की गई गतिविधियों की मार्फत पैदा किया गया धन हो सकता है। पिछली मनमोहन सरकार के दौरान देश के वित्त मंत्री के रूप में काम करते हुए वर्तमान राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने इस मामले पर कहा था और इस दिशा में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर शुरूआत की थी। अब जो आस्ट्रेलिया में जी–20 देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को काले धन के मुद्दे पर अन्य सदस्य देशों का समर्थन मिला है उसकी वजह श्री मुखर्जी द्वारा 2009 से लेकर 2013 तक किये गये अथक प्रयास हैं। सबसे पहले जी–20 देशों के सम्मेलन में उन्होंने ही यह मुद्दा उठाकर पूरी दुनिया को चेताया था कि 'टैक्स हैवंस' बने हुए देश किसी भी सूरत में 'ब्लड मनी' के सहारे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को नहीं चला सकते हैं। इसी 'ब्लड मनी' में ब्लैक मनी छिपी रहती है। यह 'ब्लड मनी' वह है जो आतंकवादी गतिविधियों को वित्तीय मदद देने के लिए नशीले पदार्थों व हथियारों के अवैध कारोबार से प्राप्त की जाती है अतः टैक्स हैवंस माने जाने वाले देश परोक्ष रूप से मानवीयता के विरूद्ध काम कर रहे हैं। अतः ऐसे जमाकर्ताओं के बारे में सम्बन्धित देश को पूरी बैंक जानकारी उपलब्ध कराना उनका दायित्व बनता है। इतना ही नहीं श्री मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के मंचों पर भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था। यह सारा कार्य उन्होंने राष्ट्र संघ द्वारा पारित भ्रष्टाचार निरोधी प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में इस अंदाज से किया कि काला धन रखने का स्वर्ग समझे जाने वाले स्विट्जरलैंड को भारत से दोहरी कर अपवंचना सन्धि के लिए मजबूर होना पड़ा और वह सन्धि ऐतिहासिक थी क्योंकि इस सन्धि को पूरे स्विट्जरलैंड की पंचायती लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रत्येक सदन को स्वीकृति देनी पड़ी थी। प्रणव बाबू ने काले धन के मुद्दे पर संसद में बहस में भाग लेते हुए एक बात ऐसी कही थी कि पूरा विपक्ष सन्न रह गया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग यह कह रहे हैं कि विदेशों में जमा धन को राष्ट्रीय सम्पति घोषित कर दिया जाये तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इसे वापस लाने के लिए भारतीय फौज भेज दी जाये। राष्ट्रीय सम्पति घोषित करने का सीधा अर्थ होता है कि उस सम्पति को फौजी ताकत का इस्तेमाल करके भी हस्तगत किया जाये। उन्होंने जब इस बारे में समझाया कि मामला ऐसे दूसरे देश को अपनी शर्तों पर कुटनीतिक तरीके और द्विपक्षीय वार्ता के जरिये सुलझाने का है जिससे वह अपने बैंकों की सूचनाएं हमसे सांझा करे। श्री प्रणव मुखर्जी का वचन था अतः उन्होंने मई, 2012 में संसद में काले धन पर श्वेत पत्र प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि भारत ने कई टैक्स हैवंस देशों के साथ कर अपवंचना सन्धि को पुख्ता कर लिया है जिनकी संख्या–60 से ऊपर जा रही है और लगभग 35 हजार करोड़ रूपए का काला धन हम वापस लाने में सफल भी हुए हैं। वे एक काम कर सके कि उन्होंने टैक्स हैवंस समझे जाने वाले देशों पर बहुत कठिनाई से अंतर्राष्ट्रीय निर्णय के तहद ला दिया। श्री प्रणव बाबू लगातार से कह रहे थे कि भारत किसी भी तौर पर दुनिया के टैक्स हैवंस समझे जाने वाले देशों में जमा धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा और न ही अपने देश को टैक्स चोरों का स्वर्ग बनने देगा। उन्होंने स्विट्जरलैंड के साथ ऐसी सन्धि को साकार कर दिया था जिसकी कल्पना भारत में नहीं की जा सकती थी मगर इस सन्धि का मार्ग लम्बा था क्योंकि अपने बैंकिंग कानूनों में संशोधन की स्वीकृति स्विट्जरलैंड को अपने देश के कानून के मुताबिक विभिन्न जिलों की समितियों तक से लेनीथी यह काम दिसम्बर, 2012 में पूरा हो गया था और भारत को हक मिल गया था कि जनवरी, 2012 से स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के खातों के बारे में वह पूरी जानकारी ले सके। वर्तमान वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने उसी तथ्य की तस्दीक की है जो 2012 में प्रकट हुआ था और आज जी–20 भी वही कह रहा है जिस पर श्री मुखर्जी ने उसे राजी किया था। बेशक विपक्ष में रहते हुए भाजपा बहुत जोर–जोर से चिल्ला रही थी मगर सत्ता में आने के बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जाल में उलझी इस समस्या की हकीकत का आभास हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि विपक्ष में रहते हुए राजनीतिक दलों को सरकारी सत्ता दल का विरोधी रूख अख्तियार करना पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यह होती है कि भारत से बाहर विदेशों में न कोई श्री मनमोहन सरकार होती है और न श्री मोदी सरकार, वह केवल भारत की सरकार होती है और भारत की सरकार का पहला दायित्व अपनी पार्टी के हितों को साधने का नहीं बल्कि देश के हितों को साधने का होता है।

काले धन के मसले एवं वैश्विक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भारतीय रूख पर सहमत हुए वैश्विक नेता।

भारत को विदेशों से काला धन लाने के लिए विदेशों की सार्वभौमिक सरकारों और सर्वप्रभुसत्ता सम्पन्न देशों को इस बात के लिए मनाना होगा कि उनके बैंकों में जमा धन राशियाँ दूसरे देशों में की गई गतिविधियों की मार्फत पैदा किया गया धन हो सकता है। पिछली मनमोहन सरकार के दौरान देश के वित्त मंत्री के रूप में काम करते हुए वर्तमान राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने इस मामले पर कहा था और इस दिशा में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर शुरूआत की थी। अब जो आस्ट्रेलिया में जी–20 देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को काले धन के मुद्दे पर अन्य सदस्य देशों का समर्थन मिला है उसकी वजह श्री मुखर्जी द्वारा 2009 से लेकर 2013 तक किये गये अथक प्रयास हैं। सबसे पहले जी–20 देशों के सम्मेलन में उन्होंने ही यह मुद्दा उठाकर पूरी दुनिया को चेताया था कि 'टैक्स हैवंस' बने हुए देश किसी भी सूरत में 'ब्लड मनी' के सहारे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को नहीं चला सकते हैं। इसी 'ब्लड मनी' में ब्लैक मनी छिपी रहती है। यह 'ब्लड मनी' वह है जो आतंकवादी गतिविधियों को वित्तीय मदद देने के लिए नशीले पदार्थों व हथियारों के अवैध कारोबार से प्राप्त की जाती है अतः टैक्स हैवंस माने जाने वाले देश परोक्ष रूप से मानवीयता के विरूद्ध काम कर रहे हैं। अतः ऐसे जमाकर्ताओं के बारे में सम्बन्धित देश को पूरी बैंक जानकारी उपलब्ध कराना उनका दायित्व बनता है। इतना ही नहीं श्री मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के मंचों पर भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था। यह सारा कार्य उन्होंने राष्ट्र संघ द्वारा पारित भ्रष्टाचार निरोधी प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में इस अंदाज से किया कि काला धन रखने का स्वर्ग समझे जाने वाले स्विट्जरलैंड को भारत से दोहरी कर अपवंचना सन्धि के लिए मजबूर होना पड़ा और वह सन्धि ऐतिहासिक थी क्योंकि इस सन्धि को पूरे स्विट्जरलैंड की पंचायती लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रत्येक सदन को स्वीकृति देनी पड़ी थी। प्रणव बाबू ने काले धन के मुद्दे पर संसद में बहस में भाग लेते हुए एक बात ऐसी कही थी कि पूरा विपक्ष सन्न रह गया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग यह कह रहे हैं कि विदेशों में जमा धन को राष्ट्रीय सम्पति घोषित कर दिया जाये तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इसे वापस लाने के लिए भारतीय फौज भेज दी जाये। राष्ट्रीय सम्पति घोषित करने का सीधा अर्थ होता है कि उस सम्पति को फौजी ताकत का इस्तेमाल करके भी हस्तगत किया जाये। उन्होंने जब इस बारे में समझाया कि मामला ऐसे दूसरे देश को अपनी शर्तों पर कुटनीतिक तरीके और द्विपक्षीय वार्ता के जरिये सुलझाने का है जिससे वह अपने बैंकों की सूचनाएं हमसे सांझा करे। श्री प्रणव मुखर्जी का वचन था अतः उन्होंने मई, 2012 में संसद में काले धन पर श्वेत पत्र प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि भारत ने कई टैक्स हैवंस देशों के साथ कर अपवंचना सन्धि को पुख्ता कर लिया है जिनकी संख्या–60 से ऊपर जा रही है और लगभग 35 हजार करोड़ रूपए का काला धन हम वापस लाने में सफल भी हुए हैं। वे एक काम कर सके कि उन्होंने टैक्स हैवंस समझे जाने वाले देशों पर बहुत कठिनाई से अंतर्राष्ट्रीय निर्णय के तहद ला दिया। श्री प्रणव बाबू लगातार से कह रहे थे कि भारत किसी भी तौर पर दुनिया के टैक्स हैवंस समझे जाने वाले देशों में जमा धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा और न ही अपने देश को टैक्स चोरों का स्वर्ग बनने देगा। उन्होंने स्विट्जरलैंड के साथ ऐसी सन्धि को साकार कर दिया था जिसकी कल्पना भारत में नहीं की जा सकती थी मगर इस सन्धि का मार्ग लम्बा था क्योंकि अपने बैंकिंग कानूनों में संशोधन की स्वीकृति स्विट्जरलैंड को अपने देश के कानून के मुताबिक विभिन्न जिलों की समितियों तक से लेनीथी यह काम दिसम्बर, 2012 में पूरा हो गया था और भारत को हक मिल गया था कि जनवरी, 2012 से स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के खातों के बारे में वह पूरी जानकारी ले सके।

वर्तमान वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने उसी तथ्य की तस्दीक की है जो 2012 में प्रकट हुआ था और आज जी–20 भी वही कह रहा है जिस पर श्री मुखर्जी ने उसे राजी किया था। वेशक विपक्ष में रहते हुए भाजपा बहुत जोर–जोर से चिल्ला रही थी मगर सत्ता में आने के बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जाल में उलझी इस समस्या की हकीकत का आभास हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि विपक्ष में रहते हुए राजनीतिक दलों को सरकारी सत्ता दल का विरोधी रूख अख्तियार करना पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यह होती है कि भारत से बाहर विदेशों में न कोई श्री मनमोहन सरकार होती है और न श्री मोदी सरकार, वह केवल भारत की सरकार होती है और भारत की सरकार का पहला दायित्व अपनी पार्टी के हितों को साधने का नहीं बल्कि देश के हितों को साधने का होता है।

पं॰ रविनन्दन मिश्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित आम सभा में डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कोशी क्षेत्र की जनता की ओर से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा जिसमें बिहार सरकार का ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आकर्षित किया और मुख्यमंत्री से अपील की है कि इन बिन्दुओं पर सरकार की ओर से त्वरित कार्रवाई करायी जाय।

पं॰ रविनन्दन मिश्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित आम सभा में डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कोशी क्षेत्र की जनता की ओर से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा जिसमें बिहार सरकार का ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आकर्षित कियाः– (1) कृषि योग्य भूमि से होकर नदी की नई धार बनना। (2) कृषि योग्य भूमि पर बालू की रेत जमा होना। (3) फसल का नुकसान। (4) कृषि योग्य भूमि में अब बीज का अंकुरण नहीं होना। (5) बटाईदारों की समस्या (बटाईदार, ब्याज पर कर्ज लेकर बटाई खेती करते हैं। इनका सब कुछ चला गया। इनको कब क्या मिलेगा ये कहना कठिन है।) (6) कोशी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में पेड़ पौधे सूखने की समस्या। (7) पेयजल की समस्या। (8) गृह क्षतिग्रस्त की समस्या। (9) आवासहीनता एवं आवास भूमि की समस्या। (10) घरेलू सामग्री क्षति की समस्या। (11) यातायात बाधित क्षतिग्रस्त। (12) मृत्यु एवं विकलांगता की समस्या। (13) मवेशी क्षति की समस्या। (14) भूख की समस्या। (15) रोजगार (मजदूरी) की समस्या। (16) पलायन की समस्या। (17) अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेना। (18) मानसिक तनाव की समस्या (कोशी बाढ़ पीड़ितों स्थिति) (19) बाल मजदूरों का व्यापार। (20) महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की समस्या। (21) जानवरों को कम मूल्य पर बेचा जा रहा है। (22) वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था। (23) नेपाल प्रभाग में कुसहा तटबंध टूटा; वहाँ से जब कोशी नदी ने अपनी प्रलयंकारी धाराओं के साथ जब दिशा बदली और वह सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, कटिहार, खगड़िया के जिन क्षेत्रों में अपनी धाराओं में गुजरी तो अपने प्रभाव में आने वाले क्षेत्रों के जन–जीवन का नक्शा ही बदल कर रख दिया। कोशी नदी अपने साथ लाई बालू (गाद) से यहाँ की जमीनों का पूरा भौगोलिक परिवर्तन कर दिया। (24) कोशी की बाढ़ आने के पश्चात पर्यावरण में एक बड़े परिवर्तन को यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं।

डा॰ मिश्र ने उपर्युक्त बिन्दुओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अपील की है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर त्वरित कार्रवाई करायी जायः– (1) 1981 में सिमराही, छातापुर, बलुआ बाजार एवं बसानपट्टी में स्वीकृत रेफरल अस्पताल में से केवल सिमराही अस्पताल कार्यरत हैं। छातापुर एवं बसानपट्टी में मकान आदि का निर्माण होने के बावजूद अस्पताल का चालू नहीं हो पायी है। (2) उद्योग विभाग द्वारा वीरपुर में स्पीनिंग मिल का शिलान्यस होने के बावजूद मिल की स्थापना नहीं हो पायी है। (3) वर्ष 2006–07 में सुपौल के लिए एक चीनी मिल की स्थापना की स्वीकृति के बावजूद कार्यारंभ नहीं हो पायी है। (4) बाढ़ से क्षतिग्रस्त ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की सड़कें एवं प्रधानमंत्री सड़क मार्गों की मरम्मति एवं संधारण के लिएं पर्याप्त धन राशि आवंटित नहीं की गई है जिससे कि ग्रामीण आवागमन सामान्य बन सके। (5) मुख्य नहर प्रणाली एवं उप नहरें अभीतक क्षतिग्रस्त बनी हुई है। पूरा कोशी अंचल सिंचाई से लगातार वंचित है, अतः नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार एवं पूर्ण स्थापन आवश्यक है। (6) 70–80 के दशक में निर्मित 20 मेगावाट कटैया पन बिजली उत्पादन केन्द्र पूर्णतः क्षतिग्रस्त है– बिजली की आपूर्ति के लिए पन बिजली उत्पादन केन्द्र को पुनः संचालित किया जा सकता है। (7) कृषि योग्य भूमि पर बालू की रेत को हटाया जाना– इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से विशेष कार्य योजना बनायी जा सकती हैं। (8) कोशी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में पेड़ पौधे सूखने की लगातार समस्या– सूखे और सुख रहे पेड़ पौधों को पर्यावरण के हित में पुनर्वासित करना आवश्यक है। (9) पेयजल की लगातार समस्या– शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर केन्द्र सरकार की सहायता से ग्रामीण जल आपूर्ति योजना कार्यान्वित की जाए। (10) गृह क्षतिग्रस्त की समस्या– बिहार सरकार एवं विश्व बैंक की सहायता से निर्मित हो रही आवासों का निर्माण तत्परता से पूरा करना आवश्यक है। क्योंकि पिछले 5–6 वर्षों में आवासहीनता के कारण गरीबों को असीम कष्ट सहना पड़ रहा है। (11) आवासहीनता एवं आवास भूमि की समस्या। (12) रोजगार (मजदूरी) की समस्या लगातार बनी हुई है– कोशी क्षेत्र में लाखों लोग विवशता में दूसरे जगह रोजगार की खोज में पलायन कर चुके हैं। उनकी पुनर्वापसी के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी को अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। (13) विभिन्न बिमारियों से जानवरों के मृत्यु दर को घटाना। मवेशियों के बीमारियों के अध्ययन करने और समुचित ईलाज के लिए पशु चिकित्सालयों और पशु चिकित्सकों एवं दवायें बडे पैमाने पर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (14) वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था का विस्तार कराने और बैंको से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने इत्यादि की व्यवस्था बडे पैमाने पर की जा सकती है। कोशी क्षेत्र के स्वरूप को बदलने के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री के निश्चय को कार्यान्वित कराने की दिशा में उपर्युक्त सुझावों पर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की तत्परता से कार्य करने के संबंध में आप सख्त और निश्चित निदेश जारी कर सकते हैं।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से पत्र द्वारा 18वें दक्षेस शिखर सम्मेलन के अवसर पर कहा है कि बिहार की वर्षों से नेपाल सरकार की सहमति के लिये लम्बित परियोजनाओं के संबंध में नेपाल सरकार से त्वरित कार्रवाई कराने के लिये अपील करें।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पिछले नेपाल दौरा से भारत–नेपाल के बीच ठोस नई संभावनायें बनी हैं। प्रधानमंत्री के उस दौरे से नेपाल और भारत के बीच संदेह का वातावरण समाप्त हो गया है और अब दोनों राष्ट्र चुनौतियों का मुकाबला वास्तविक धरातल पर करने में सहमत हैं। उसी में इन दोनों देशों के बीच आर्थिक भविष्य भी निहित है। इन दोनों देशों के बीच विद्युत, पर्यटन और कृषि संबंधी उद्योगों के क्षेत्र में बढ़ने की असीम संभावनायें हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी 18वें दक्षेस शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए नेपाल की राजधानी काठमाण्डू पहुँचने पर नेपाल से मजबूत संबंधों की प्रतिबद्धता दर्शाते हुए पड़ोसी देश के साथ 10 समझौते किये। उन्होंने (श्री मोदी ने) दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। इन दोनो देशों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की भी असीम संभावनाएं हैं। अतः वे नेपाल के प्रधानमंत्री से कहे कि बिहार की जो परियोजनाएं वर्षो से नेपाल सरकार की सहमति के अभाव में लम्बित हैं, उन्हें नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यान्वयन के लिये सहमती प्रदान करें:– **(1) सप्त कोशी हाई डैम–** कोशी नदी से उत्तर बिहार के बहुत बड़े क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित होने की समस्या सर्वविदित है। यद्यपि पूर्व में भीम नगर बराज, वीरपुर और बहुत बड़े पैमाने पर नदी पर तटबंधों के निर्माण से नदी की धारा के पश्चिम की ओर के झुकाव पर नियंत्रण पाया जा सका है, किन्तु नदी की धार के साथ, बहुत बड़ी मात्रा में आने वाले सिल्ट के कारण, तटबंधों पर प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा दबाव, उनके उच्चीकरण की आवश्यकता तथा नहर प्रणाली की घटती क्षमता, राज्य सरकार के लिये चिन्ता का विषय रही है। इस समस्या के निदान हेतु नेपाल क्षेत्र में जलाशयों का निर्माण ही समस्या का स्थायी निदान है। वर्ष 1950 में सी॰डब्लू॰आई॰एन॰सी॰ द्वारा तैयार की गयी कोशी हाई डैम परियोजना को वर्ष 1980 में अद्यतन कर पुनः एक प्री फिजीविलिटी रिपोर्ट तैयार की गयी, जिसके अनुसार बराह क्षेत्र (नेपाल) में, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लाभ के साथ बहुत बड़ी मात्रा में पन–बिजली उत्पादन हेतु एक हाई डैम का निर्माण प्रस्तावित है। पिछले दशक में हुई विभिन्न भारत–नेपाल बैठकों में यह विषय चर्चा का मुख्य बिन्दु रहा है, इस विषय पर सहमति की दिशा में कुछ ठोस प्रगति हुई और अब सप्त कोशी हाई बहुउद्देशीय परियोजना हेतु भारत–नेपाल संयुक्त विशेषज्ञ दल के नाम से एक समिति गठित हो चुकी है, परन्तु अभीतक निर्णय नहीं हो पाया है। दिसम्बर, 1993 में भारत–नेपाल जल संसाधन परियोजनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने के लिये एक कार्य योजना पर नेपाल सरकार से सहमति हुयी थी, जिसके अंतर्गत, सप्त कोशी हाई डैम के संबंध में निम्नलिखित कार्य योजना बनायी गयी थी:– (क) दोनों देशों द्वारा इंनसेप्शन रिपोर्ट तैयार कर ली जाय। (ख) संयुक्त विशेष पदाधिकारी समिति की बैठक आहूत कर इसमें विस्तृत अन्वेषण प्रतिवेदन तैयार करने के तरीकों पर विचार किया जाय। (ग) संयुक्त परियोजना कार्यालय की स्थापना की जाय। परंतु अभीतक अग्रेत्तर कार्रवाई लम्बित है। आवश्यक है कि योजना का विस्तृत अन्वेषण कार्य प्रारंभ करते हुए, अन्य प्रारंभिक कार्य यथा कार्यालय की स्थापना, अप्रोच–पथ का निर्माण इत्यादि कार्य शीघ्र प्रारंभ कराये जायँ। **(2) कमला एवं बागमती परियोजना–** कमला एवं बागमती नदियों पर, नेपाल क्षेत्र में जलाशय निर्माण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कमला बहूद्देशीय योजना, जो तेतरिया नेपाल में अवस्थित है तथा बागमती बहूद्देशीय योजना, जो नूनथर के पास अवस्थित है, का संभावना प्रतिवेदन 1983 में ही भारत सरकार को भेजा गया था, जिसपर नेपाल सरकार की स्वीकृति अपेक्षित थी। इस संबंध में, भारत नेपाल से सम्बन्धित विभिन्न बैठकों में विचार–विमर्श किया जाता रहा और निर्णय लिया गया था कि कमला एवं बागमती बहूद्देशीय परियोजनाओं की अध्ययन–टिप्पणी नेपाल तैयार कर, भारत सरकार के मंतव्य के लिये भेजी जायेगी। नेपाल सरकार द्वारा, संक्षिप्त अध्ययन–टिप्पणी भारत सरकार के माध्यम से बिहार सरकार को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसपर बिहार सरकार का मंतव्य भारत सरकार को मार्च, 1994 में भेज दिया गया। उसके बाद की स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कमला एवं बागमती बहूद्देशीय परियोजना की अध्ययन–टिप्पणी पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन, इसके अनुसार कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहना न होगा कि कमला जलाशय परियोजना का निर्माण, इस राज्य की कमला सिंचाई योजना के अस्तित्व के लिये अनिवार्य है। उसी प्रकार बागमती जलाशय का निर्माण भी अपरिहार्य है, क्योंकि नेपाल द्वारा बागमती नदी, का सारा पानी अपने क्षेत्र में, प्रयोग करने के कारण, इस राज्य की बागमती सिंचाई योजना हेतु, जल की सुनिश्चितता, संदिग्ध हो गयी है। अतः राज्य के कमला नहर क्षेत्र में, वर्तमान सिंचाई सुविधा बरकरार रखने के साथ बागमती कमला क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कमला एवं बागमती जलाशयों का शीघ्र निर्माण अत्यावश्यक है।

वृहस्पतिवार दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को 12.00 बजे दिन में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार श्री जीतन राम माँझी बलुआ बाजार में रविनन्दन मिश्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन का शिलान्यास करेंगे।

सुपौल जिले के छातापुर प्रखण्ड के अंतर्गत बलुआ बाजार में स्वतंत्रता सेनानी स्व॰ पं॰ रविनन्दन मिश्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रस्तावित भवन का माननीय मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। वहीं, डा॰ मिश्र के पिता स्व॰ पं॰ रविनन्दन मिश्र की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। डा॰ मिश्र ने अस्पताल भवन के लिए दो एकड़ जमीन दान दी है। सरकार ने अस्पताल भवन निर्माण हेतु 5.77 करोड़ रूपए की स्वीकृति के साथ–साथ 41 विभिन्न पदों की स्वीकृति दी है। 1980 में बने बलुआ बाजार थाना भवन हेतु 76 डिसमिल भूमि डा॰ मिश्र ने दान दी है। उस जमीन पर थाना भवन का भी मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे और नवनिर्मित मवेशी अस्पताल के लिए 50 डिसमिल जमीन दी उस पर मवेशी अस्पताल डा॰ मिश्र की माताजी स्व॰ यमुना देवी के नाम पर बना है। निर्मित मवेशी भवन का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री बलुआ बाजार में 1.60 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित ग्रामीण जलापूर्ति योजना और नवनिर्मित यमुना देवी मवेशी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे।

इस अवसर पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री (बिहार) एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, **डा॰ जगन्नाथ मिश्र,** माननीय वित्त मंत्री, **श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,** माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, **श्री नरेन्द्र नारायण यादव,** माननीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री, **डॉ॰ महाचन्द्र प्रसाद सिंह,** माननीय पशु एवं मत्स्यपालन मंत्री, **श्री बैद्यनाथ सहनी,** माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, **श्री नीतीश मिश्रा,** बिहार विधान परिषद् सदस्य, **श्री विजय कुमार मिश्र** के साथ अन्य **सांसद, विधायक** एवं **पूर्व विधायक** इस समारोह में सम्मिलित होंगे।

वृहस्पतिवार दिनांक 27 नवम्बर, 2014 12.00 बजे दिन में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार श्री जीतन राम माँझी बलुआ बाजार में रविनन्दन मिश्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का शिल्यास करेंगे। इस अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनावें।

वृहस्पतिवार दिनांक **27 नवम्बर,** 2014 **12.00** बजे दिन में माननीय **मुख्यमंत्री,** बिहार **श्री जीतन राम माँझी** बलुआ बाजार स्थित, राज्य सम्पोषित ललित नारायण विद्या मन्दिर बलुआ बाजार के प्रांगण में आयोजित आम सभा को सम्बोधित करेंगे। इस अवसर पर **स्व॰ रविनन्दन मिश्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, स्व॰ पं॰ श्याम नारायण मिश्र, थाना भवन के शिलान्यास** के साथ ही परिसर में **रविनन्दन मिश्र की मूर्ति का अनावरण, स्व॰ यमुना देवी, राजकीय पशु चिकित्सालय भवन, ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना एवं उप–विद्युत केन्द्र 11 से 33 हजार के॰बी॰ की उंत्क्रमित केन्द्र का उद्‌घाटन** करेंगे। तत्पश्चात् ललित बाबू की समाधि स्थल पर माल्यार्पण करेंगे।

इस अवसर पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री (बिहार) एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, **डा॰ जगन्नाथ मिश्र,** माननीय वित्त मंत्री, **श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,** माननीय जल संसाधन मंत्री **श्री विजय कुमार चौधरी,** माननीय स्वास्थ्य मंत्री, **श्री रामधनी सिंह,** माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, **श्री नीतीश मिश्रा,** माननीय पशु एवं मत्स्यपालन मंत्री, **श्री बैद्यनाथ सहनी,** माननीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री, **डॉ॰ महाचन्द्र प्रसाद सिंह,** माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, **श्री नरेन्द्र नारायण यादव,** माननीय समाज कल्याण मंत्री, **श्रीमती लेसी सिंह,** माननीय लघु एवं जल संसाधन मंत्री, **श्रीमती बीमा भारती,** बिहार विधान परिषद् सदस्य, **श्री विजय कुमार मिश्र** के साथ अन्य **सांसद, विधायक** एवं **पूर्व विधायक** इस समारोह में सम्मिलित होंगे।

काले धन के मसले एवं वैश्विक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भारतीय रूख पर सहमत हुए वैश्विक नेता।

दुनिया की प्रमुख 20 अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी–20 के ब्रिस्बेन शिखर सम्मेलन में भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है। समूह ने काले धन के मसले पर भारत के रूख का समर्थन करते हुए कर सचनाओं के विनिमय और पारदर्शिता के प्रस्ताव को मान लिया। काले धन पर बनती दिख रही वैश्विक सहमति भारत के नजरिये से बहुत मायने रखती है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस मंच पर काले धन के मसले को पुरजोर तरीके से उठाया था। श्री मोदी ने काले धन की समस्या से निपटने के लिए नये वैश्विक मानक और सूचनाओं के स्वतः आदान–प्रदान पर समर्थन का आह्वान किया। शिखर सम्मेलन में अपने सम्बोधन में श्री मोदी ने काले धन की समस्या से उपजी चुनौतियों से निपटने के लिए दुनियाभर के देशों के बीच बेहतर समन्वय से काम करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि कर सूचनाएं देने के नये मानकों से विदेशों में छुपाकर रखे गये काले धन से जुड़ी जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी और उसे देश में वापस लाया जा सकेगा। श्री मोदी ने खासतौर से कर चोरों की पनाहगाह माने जाने वाले देशों से संधि से जुड़े दायित्वों को निभाते हुए कर संबंधी सूचनाएं देने का आग्रह किया। काले धन का मसला श्री मोदी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि चुनाव के दौरान श्री मोदी ने इसे जोर–शोर से उठाया था। सरकार बनने के बाद श्री मोदी ने सबसे पहला फैसला ही काले धन की जॉच के लिए विशेष जॉंच दल (एसआईटी) का गठन किया था।

भारत को विदेशों से काला धन लाने के लिए विदेशों की सार्वभौमिक सरकारों और सर्वप्रभुसत्ता सम्पन्न देशों को इस बात के लिए मनाना होगा कि उनके बैंकों में जमा धन राशियॉं दूसरे देशों में की गई गतिविधियों की मार्फत पैदा किया गया धन हो सकता है। पिछली मनमोहन सरकार के दौरान देश के वित्त मंत्री के रूप में काम करते हुए वर्तमान राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने इस मामले पर कहा था और इस दिशा में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर शुरूआत की थी। अब जो आस्ट्रेलिया में जी–20 देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को काले धन के मुद्दे पर अन्य सदस्य देशों का समर्थन मिला है उसकी वजह श्री मुखर्जी द्वारा 2009 से लेकर 2013 तक किये गये अथक प्रयास हैं। सबसे पहले जी–20 देशों के सम्मेलन में उन्होंने ही यह मुद्दा उठाकर पूरी दुनिया को चेताया था कि 'टैक्स हैवंस' बने हुए देश किसी भी सूरत में 'ब्लड मनी' के सहारे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को नहीं चला सकते हैं। इसी 'ब्लड मनी' में ब्लैक मनी छिपी रहती है। यह 'ब्लड मनी' वह है जो आतंकवादी गतिविधियों को वित्तीय मदद देने के लिए नशीले पदार्थों व हथियारों के अवैध कारोबार से प्राप्त की जाती है अतः टैक्स हैवंस माने जाने वाले देश परोक्ष रूप से मानवीयता के विरूद्ध काम कर रहे हैं। अतः ऐसे जमाकर्ताओं के बारे में सम्बन्धित देश को पूरी बैंक जानकारी उपलब्ध कराना उनका दायित्व बनता है। इतना ही नहीं श्री मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के मंचों पर भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था। यह सारा कार्य उन्होंने राष्ट्र संघ द्वारा पारित भ्रष्टाचार निरोधी प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में इस अंदाज से किया कि काला धन रखने का स्वर्ग समझे जाने वाले स्विट्ज़रलैंड को भारत से दोहरी कर अपवंचना सन्धि के लिए मजबूर होना पड़ा और वह सन्धि ऐतिहासिक थी क्योंकि इस सन्धि को पूरे स्विट्जरलैंड की पंचायती लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रत्येक सदन को स्वीकृति देनी पड़ी थी। प्रणव बाबू ने काले धन के मुद्दे पर संसद में बहस में भाग लेते हुए एक बात ऐसी कही थी कि पूरा विपक्ष सन्न रह गया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग यह कह रहे हैं कि विदेशों में जमा धन को राष्ट्रीय सम्पति घोषित कर दिया जाये तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इसे वापस लाने के लिए भारतीय फौज भेज दी जाये। राष्ट्रीय सम्पति घोषित करने का सीधा अर्थ होता है कि उस सम्पति को फौजी ताकत का इस्तेमाल करके भी हस्तगत किया जाये। उन्होंने जब इस बारे में समझाया कि मामला ऐसे दूसरे देश को अपनी शर्तों पर कुटनीतिक तरीके और द्विपक्षीय वार्ता के जरिये सुलझाने का है जिससे वह अपने बैंकों की सूचनाएं हमसे सांझा करे। श्री प्रणव मुखर्जी का वचन था अतः उन्होंने मई, 2012 में संसद में काले धन पर श्वेत पत्र प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि भारत ने कई टैक्स हैवंस देशों के साथ कर अपवंचना सन्धि को पुख्ता कर लिया है जिनकी संख्या–60 से ऊपर जा रही है और लगभग 35 हजार करोड़ रूपए का काला धन हम वापस लाने में सफल भी हुए हैं। वे एक काम कर सके कि उन्होंने टैक्स हैवंस समझे जाने वाले देशों पर बहुत कठिनाई से अंतर्राष्ट्रीय निर्णय के तहद ला दिया। श्री प्रणव बाबू लगातार से कह रहे थे कि भारत किसी भी तौर पर दुनिया के टैक्स हैवंस समझे जाने वाले देशों में जमा धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा और न ही अपने देश को टैक्स चोरों का स्वर्ग बनने देगा। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के साथ ऐसी सन्धि को साकार कर दिया था जिसकी कल्पना भारत में नहीं की जा सकती थी मगर इस सन्धि का मार्ग लम्बा था क्योंकि अपने बैंकिंग कानूनों में संशोधन की स्वीकृति स्विट्जरलैंड को अपने देश के कानून के मुताबिक विभिन्न जिलों की समितियों तक से लेनीथी यह काम दिसम्बर, 2012 मे पूरा हो गया था और भारत को हक मिल गया था कि जनवरी, 2012 से स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के खातों के बारे में वह पूरी जानकारी ले सके।

वर्तमान वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने उसी तथ्य की तस्दीक की है जो 2012 में प्रकट हुआ था और आज जी–20 भी वही कह रहा है जिस पर श्री मुखर्जी ने उसे राजी किया था। बेशक विपक्ष में रहते हुए भाजपा बहुत जोर–जोर से चिल्ला रही थी मगर सत्ता में आने के बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जाल में उलझी इस समस्या की हकीकत का आभास हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि विपक्ष में रहते हुए राजनीतिक दलों को सरकारी सत्ता दल का विरोधी रूख अख्तियार करना पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यह होती है कि भारत से बाहर विदेशों में न कोई श्री मनमोहन सरकार होती है और न श्री मोदी सरकार, वह केवल भारत की सरकार होती है और भारत की सरकार का पहला दायित्व अपनी पार्टी के हितों को साधने का नहीं बल्कि देश के हितों को साधने का होता है।

पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्म–दिवस के अवसर पर– डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र को चेताया था कि भारत में राजनीतिक समानता एवं दूसरी तरफ सामाजिक एवं आर्थिक असमानता का अंतर्विरोध स्थापित हो रहा है, इसे शीघ्र समाप्त करने की जरुरत है, अन्यथा गैर–बराबरी के शिकार समूह राजनीतिक बराबरी में अपना विश्वास खो देंगे। उनके द्वारा बनाये गये बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा राजा–महाराजाओं के प्रिवी पर्स तथा विशेषाधिकार समाप्त करने के कानून का सारे देश ने स्वागत किया और उसकी पुष्टि की, लोक सभा के सन् 1971 के चुनाव तथा 1972 के विधान सभाओं के चुनाव द्वारा। श्रीमती गांधी का बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल भारत का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस दौरान इन्दिरा जी ने पाकिस्तान को तोड़कर बंगलादेश बना डाला। पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में करके भारत की वैज्ञानिक परमाणु शक्ति का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया और सिक्किम का भारत में विलय करके भारतीय संघ की शक्ति के आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुए चीन और पाकिस्तान दोनों को ही चुनौती दी कि सांस्कृतिक एकात्मता की ऊर्जा में लोगों को आपस में जोड़ रखने की अपूर्व सामर्थ्य होती है। उन्होंने पंजाब में तब चल रहे आतंकवाद से डटकर लोहा लिया और उसी की वजह से उनका बलिदान भी हुआ।

डा॰ मिश्र ने कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी जनता की नब्ज भलीभांति पहचानती थी। उनको अहसास था कि देश की कोटि–कोटि जन की भावनाओं का, जो समाज में एक लम्बे अर्से से उपेक्षित चला आ रहा था। उन्होंने अनुभव किया कि जनता के धैर्य का प्याला लबालब भर चुका था और वह अब कोरे वादों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी संदर्भ में श्रीमती इन्दिरा गांधी की सोच थी कि किसी भी समाज के विकसित होने का एक अनिवार्य मापदंड समान अवसर का अधिकार होता है। समान अवसर का तात्पर्य जीवन के सभी क्षेत्रों शिक्षा, रोजगार, कला, संस्कृति और राजनीति में नागरिकों के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होने को सुनिश्चित करना होता है। श्रीमती इन्दिरा जी ने शक्ति दी थी **'भारत'** को। इसी संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में होते हुए उन्हें बंगला देश के संघर्ष में **"माँ दुर्गा"** कहा था।

क्षेत्रीय राजनीति का राष्ट्रीयकरण – डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

हाल ही में सम्पन्न हुए महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव एवं परीणाम के परिपेक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ० जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को राश्ट्रीय पहचान देने में अपनी लोकप्रियता का सफल प्रयोग किया है। पिछले लोकसभा चुनावों तक राश्ट्र स्तरीय मुद्दों से ज्यादा क्षेत्रीय मुद्दों पर वोट पड़ते रहे हैं। 1996 के बाद गठबंधन राजनीति युग के षुरूआत में कांग्रेस और भाजपा दोनों अलग–अलग अवसरों में औसतन 160 से 170 सीटें जीतती रही, जबकी स्थानीय राजनीतिक दल स्थानीय मुद्दों पर चुनाव जीतती रही। श्री मोदी भारतीय चुनावी राजनीति के स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में 282 सीटें जीती। यह परिणाम नई विचारों को प्रमाणीत करती हैं। श्री मोदी राश्ट्रीय राजनीति को नई उँचाई प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय राजनीति को बदलने की दिशा में एक सफल प्रयोग कहा जा सकता है। इस सफला के जड़ में श्री मोदी द्वारा समावेशी विकास आधारित भारत को प्रस्तुत करने कि सोंच सन्निहित है। श्री मादी ने राज्यों के चुनावों में अपना राश्ट्रवादी नजरिया प्रस्तुत किया है जिसकी मिसाल महाराश्ट्र और हरियाणा चुनाव है। यह चुनाव पूरी तरह से मोदी के नाम पर लड़ी गई है। महाराश्ट्र और हरियाणा में स्थापित किसी क्षेत्रीय पार्टी के नेता पर किसी ने कोई ध्यान नही दिया। कांग्रेस पार्टी में विधानसभा चुनावों में अपने राश्ट्रीय नेताओं पं० नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं श्री राजीव गांधी के नाम पर चुनाव लड़ने की परंपरा रही है। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के नाम कि घोषणा चुनाव पूर्व करने की परम्परा नही रही है। श्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में भाजपा भी कांग्रेस पार्टी की तरह चलती दीख रही है।

बलुआ बाजार स्थित स्व॰ पं॰ रविनन्दन मिश्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उत्क्रमित कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए बिहार के राज्यपाल के नाम से बलुआ बाजार थाना भवन के लिए और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने जमीन दान दी।

आज डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने (वीरपुर–उदाकिशुनगंज राज्य उच्च पथ के बगल में) सुपौल जिलान्तर्गत स्व॰ पं॰ रविनन्दन मिश्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बलुआ बाजार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में राज्य सरकार द्वारा उत्क्रमण के फलस्वरूप स्वास्थ्य केन्द्र के विस्तार के लिए एवं बलुआ बाजार थाना भवन (1980 में स्थापित थाना को अपना भवन नहीं था) के लिए (वीरपुर–उदाकिशुनगंज मार्ग) दो एकड़ जमीन बिहार के राज्यपाल के नाम दान पत्र निबन्धित कर सरकार को सौंपा है। उक्त दो एकड़ जमीन की सरकारी मूल्य लगभग 40 लाख रूपया निर्धारित है, जबकि इस दो एकड़ जमीन का बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ 20 लाख अनुमानित मूल्य माना जाता है। राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत जमीन दाता के सुझावानुसार संस्था को नामित किया जाता है। बलुआ बाजार में पहले पं॰ रविनन्दन मिश्र अतिरिक्त स्वास्क्य केन्द्र के लिए डा॰ मिश्र के बड़े भाई स्व॰ ललित नारायण मिश्र, रेल मंत्री ने स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 75 डीसमील भूमि और अस्पताल भवन तथा चिकित्सक निवास 75 डीसमील जमीन में निर्मित कर दान में देकर चिकित्सा केन्द्र की स्थापना की उस स्वास्थ्य केन्द्र का उत्क्रमण राज्य सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में करने का निर्णय किया है।

सुपौल जिलान्तर्गत स्व॰ पं॰ रविनन्दन मिश्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बलुआ बाजार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमण के फलस्वरूप अबराज्य सरकार ने निम्नाकिंत 29 अतिरिक्त पद स्वीकृति की है जिसमें चिकित्सक–9, स्टाफ नर्स–10, फार्मासिस्ट्स–1 आयुष सहित, टेक्नीसियन–3, रेडियोग्राफर–1, ऑफथालमिक सहायक–1, काउन्सलर/स्वास्थ्य प्रशिक्षक–1, निम्नवर्गीय लिपिक–4 ड्रेसर–1, वार्ड बांया/अटेंडेट (मैट्रिक उत्तीर्ण–3 कुल 29 पद सरकार ने स्वीकृत प्रदान की है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को दी गई चाय पार्टी के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिये गये संबोधन भाषण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉ० जगन्नाथ मिश्र के कहा है कि प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि गरीबी के विरूद्ध संघर्ष को दायित्व के रूप में देखना होगा और समावेशी लोकतंत्र के लिए कमजोर वर्गों के लाभ पर आधारित हर कार्यक्रम बनाना होगा। इसलिए सभी सहयोगियों को भी इस पर अच्छी तरह सोचना होगा कि वे जो कार्यक्रम बनायें जिसमें ध्यान रखें कि इससे गरीबों का कितना हित साधित होगा। डॉ० मिश्र ने कहा कि गरीबी मिटाओं का नारा और इसके लिए बनाये गये कार्यक्रम कोई नया नही है, जो भी सरकारें आती है उनकी मजबूरी है की गरीब का नाम ले उनके उत्थान की बात करे परंतु यह विचारणीय मुद्दा है कि क्या कारण है कि गरीबों कि संख्या में वांछित कमी नही आ रही है; उल्टे पूँजी शक्ति और साधनों का केन्द्रीयकरण 5 प्रतिशत लोगों तक हीं सिमटता जा रहा है। घोषित योजनायें और कार्यक्रम सफल क्यों नही हो पा रहें है? क्या उसका मुख्य कारण यह नही है कि गरीबी मिटाओं एक नारा दिखावा बन गया है। सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम बनते है उनका सबसे अधिक लाभ मुट्ठी भर लोगों को ही पहुँच रहा है। यह जानना आवश्यक है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं इसकी वजह यह तो नही है कि संसद एवं विधानसभाओं में पहले के अपेक्षा अब करोड़पतियों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। इनसब के अपने स्वार्थ है इसलिए विभिन्न सरकारों द्वारा जो योजनायें बनती रही है उनका लाभ ज्यादा सुविधायें वाले लोगो को ही मिलता रहा है। डॉ० मिश्र ने कहा कि यह हैरत की बात नही है कि गरीबी रेखा से नीचें रहने वालों की स्थिति में बदलाव नही आ पा रहा है। भूमंडलीकरण की बहुत आवश्यकता बताई जाती है। उससे समाज के मुट्ठी भर लोगों को ही सबसे अधिक लाभ मिल रहा है, जिससे विषमता बढ़ती जा रही है और गरीब लाभों से लगातार वंचित होता जा रहा है।

किसी भी समाज के विकसित होने का एक अनिवार्य मापदंड समान, अवसर का अधिकार होता है। समान अवसर का तात्पर्य जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, रोजगार, कला, संस्कृति और राजनीति में नागरिकों के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होने को सुनिश्चित करना होता है।

गरीबी के विरूद्ध संघर्ष को सदभाव के रूप में नही देख कर इसे दायीत्व के रूप में देखना होगा

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को दी गई चाय पार्टी के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिये गये संबोधन भाषण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉ० जगन्नाथ मिश्र के कहा है कि प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि गरीबी के विरूद्ध संघर्ष को दायित्व के रूप में देखना होगा और समावेशी लोकतंत्र के लिए कमजोर वर्गों के लाभ पर आधारित हर कार्यक्रम बनाना होगा। इसलिए सभी सहयोगियों को भी इस पर अच्छी तरह सोचना होगा कि वे जो कार्यक्रम बनायें जिसमें ध्यान रखें कि इससे गरीबों का कितना हित साधित होगा। गरीबी मिटाओं का नारा और इसके लिए बनाये गये कार्यक्रम कोई नया नही है, जो भी सरकारें आती है उनकी मजबूरी है की गरीब का नाम ले उनके उत्तथान की बात करे परंतु यह विचारणीय मुद्दा है कि क्या कारण है कि गरीबों कि संख्या में वांछित कमी नही आ रही है; उल्टे पूँजी शक्ति और साधनों का केन्द्रीयकरण 5 प्रतिशत लोगों तक हीं सिमटता जा रहा है। घोषित योजनायें और कार्यक्रम सफल क्यों नही हो पा रहें है? क्या उसका मुख्य कारण यह नही है कि गरीबी मिटाओं एक नारा दिखावा बन गया है। सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम बनते है उनका सबसे अधिक लाभ मुठ्ठी भर लोगों को ही पहुँच रहा है। यह जानना आवश्यक है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं इसकी वजह यह तो नही है कि संसद एवं विधानसभाओं में पहले के अपेक्षा अब करोड़पतियों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। इनसब के अपने स्वार्थ है इसलिए जो योजनायें बनती है उनका लाभ ज्यादा सुविधायें वाले लोगो को मिलता है। यह हैरत की बात नही है कि गरीबी रेखा से नीचें रहने वालों की स्थिति में बदलाव नही आ पा रहा है। भूमंडलीकरण की बहुत आवश्यकता बताई जाती है। उससे समाज के किस वर्ग को सबसे अधीक लाभ मिल रहा है जिसे हम गरीब असहाय कहतें है। उसके काम के अवसर बढ़ने के बजायें घट रहें है। इसलिए मुख्य मामला तो यह है कि गरीबी मिटाने के लिए काम के अवसरों का सृजन करना होगा।

किसी भी समाज के विकसित होने का एक अनिवार्य मापदंड समान, अवसर का अधिकार होता है। समान अवसर का तात्पर्य जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, रोजगार, कला, संस्कृति और राजनीति में नागरिकों के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होने को सुनिश्चित करना होता है। सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक स्तरों पर जो वर्ग या समूह हाशिये पर हो उसका सशक्तिकरण इस प्रकार किया जाय ताकि वंचित, पिछड़े, शोषित लोग समान अवसर के अधिकार का उपयोग कर सकें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद तमाम खामियों और चुनौतियों से गुजरा है, जिनका समाधान निकलता नहीं दिख रहा। भारत की सामाजिक–आर्थिक स्थिति इसके लिए चुनौती भी बन रही है और एक बड़ा खतरा भी। भारत में आज जो विकृत वैश्वीकरण का चेहरा उभर रहा है, वह हमारे किये–धरे का ही परिणाम है। इससे हमारे वे मूल्य मर रहे हैं जो गांधी, नेहरू, लोहिया, जय प्रकाश नारायण और अम्बेदकर ने इस देश को दिये थे और वे एक व्यक्ति, एक मूल्य की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध थे।

भारत ने जबसे नवउदारवादी नीतियों को अपनाया है तबसे अरबपतियों की संख्या और उनकी दौलत में तो नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई ही है, लेकिन मानव आबादी के सबसे निचले हिस्से की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। परिणाम यह हुआ कि विषमता की खाई लगातार चौड़ी होती चली गई। भारत का सच यह है कि यहाँ लगभग आधे या आधे से अधिक लोग गरीबी में बसर कर रहे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की लगभग 41.6 प्रतिशत आबादी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे है। 1990 से देश में असमानता के स्तर में भी भारी वृद्धि हो रही है। वित्तीय परिसंपत्तियों का स्वामित्व सीमित हाथों में केन्द्रित है। प्रायः समस्त वित्तीय संपदा जनसंख्या के 1 प्रतिशत से भी कम लोगों के पास निहित है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि संसाधन के वितरण में असमानता, अवसरों की असमानता में बदल जाती है, जो भारत की आर्थिक नीति के घोषित लक्ष्य–समावेशी विकास को ही नकार देती है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने भी कहा है कि भारत ने पिछले 15 वर्षों में अरबपतियों की संपदा में 12 गुणा वृद्धि हुई है। यह अंतर्विरोध दर्शाता है कि देश में विकास की गति असंतुलित है। असमानता एक भयंकर रोग है जो भारत में हर तरफ़ अपनी जड़ें मजबूती से जमाए हुए हैं। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, लैंगिक एवं राजनीतिक असमानता अन्यायकारी रूप धारण कर चुकी है। यह राजनीतिक लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था उसकी सामाजिक संरचना एवं आर्थिक आधार पर टिकी होती है। अलोकतांत्रिक समाज में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सफल होना असंभव है, इसकी सफलता के लिए सामाजिक लोकतंत्र एवं आर्थिक समानता एक पूर्व शर्त बन जाती है। भारतीय संविधान को संविधान सभा को सौंपते हुए इसके मुख्य शिल्पकार डॉ॰ अम्बेदकर ने 26 नवम्बर, 1949 को राष्ट्र को चेताया था, कि भारत में राजनीतिक समानता एवं दूसरी तरफ सामाजिक एवं आर्थिक असमानता का अंतर्विरोध स्थापित हो रहा है इसे शीघ्र समाप्त करने की जरूरत है अन्यथा गैर–बराबरी के शिकार समूह राजनीतिक बराबरी में अपना विश्वास खो देंगे। आज 65 साल बाद भी डॉ॰ अम्बेदकर की चेतावनी प्रासंगिक है। वर्तमान में अगर हम भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करें जिसकी वजह से समाज एवं अर्थव्यवस्था का लोकतंत्रीकरण नहीं हो पा रहा है तो यह सुनिश्चित हो जायेगा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की बुनियाद असमानता अत्याचार, अपमान, अन्याय एवं अलगाव जैसी भेदभावकारी अलोकतांत्रिक बीमारियों के ऊपर नहीं रखी जा सकती। भारत में आज लोकतंत्र एक प्रक्रियात्मक यंत्र के रूप में संचालित हो रहा है तो यह कहना गलत न होगा। भारत सरकार स्वीकार कर रही है कि 82 करोड़ लोग अपने लिए दो वक्त का खाना जुटाने मे सक्षम नहीं हैं। यदि लोकतंत्र वर्तमान गति से काम करता रहा तो 65 साल सभी भारतीयों को अपना तन ढकने में और 130 साल सिर ढकने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यह एक गंभीर रोग की ओर इशारा करता है जबतक इसका कारण न जाना जाय और उसके निवारण की उचित प्रक्रिया न अपनायी जाय, भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना एवं रक्षा एक भ्रम ही रहेगा। भारत में समावेशी लोकतंत्र की अनिवार्यताएं काफी हद तक युवाओं से जुड़ी हैं। युवाओं की अधिकारिता, उनकी शिक्षा, सेहत, उनके लिए लैंगिक न्याय, निचले स्तर पर स्वशासन में उनकी भागीदारी जैसे मसले समावेशी लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं।

मधुबनी जिलान्तर्गत ठाढ़ी गाँव स्थित भगवती परमेश्वरी देवी मन्दिर में पूजा–अर्चना के बाद मन्दिर एवं मूर्त्ति धोये जाने सम्बन्धित राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित

बिहार में किसी प्रकार का छूआछूत किसी भी स्तर पर नहीं है। दलित एवं अन्य वर्गों के बीच लगातार सामाजिक समरसता एवं एकजुटता बनी रही है। किसी भी स्तर पर कभी भी यह शिकायत नहीं आयी है कि इस राज्य में कभी कोई धार्मिक विवाद हुआ हो। राज्य के किसी भी मन्दिर में दलितों के साथ प्रवेश करने पर किसी प्रकार का भेदभाव हुआ है। बिहार इस मामले में दक्षिण के राज्यों से सर्वथा भिन्न रहा है। बिहार में न सामाजिक न मन्दिर के प्रवेश मामले में विवाद हुआ है। बिहार की यह छवि लगातार बनी रही हैं। यहाँ छूआछूत काफी वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। यहाँ विभिन्न जातियों के बीच किसी भी अवस्था में सामाजिक स्तर पर उनके बीच किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं होता है। बिहार में एक हीं बार ऐसा हुआ था जब विनोबा भावे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के साथ सामूहिक रूप से देवघर स्थित बैद्यनाथ मन्दिर में दलितों के साथ प्रवेश किये थे। तत्पश्चात् इतने वर्षों से सामाजिक समरसता और धार्मिक एकजुटता स्थापित है तो ऐसी अवस्था में सुनी–सुनाई बातों पर ऐसे संवेदनशील मामले को किसी प्रकार का महत्व और तुल देने का औचित्य नहीं हैं। ऐसे संवेदनशील धार्मिक मुद्दे को विवादास्पद बनाना न समाज न हीं राज्य हित में कहा जा सकता है। डा॰ मिश्र ने कहा कि वे पांच बार झंझारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और उनकी असीम भक्ति ठाढ़ी स्थित परमेष्वरी देवी मन्दिर में है। वे अपने प्रारंभिक जीवन में भी ठाढ़ी रहकर भगवती की अराधना की और प्रत्येक विधान सभा चुनाव में नामांकन के पूर्व एवं निर्वाचित होने के बाद सभी जातियों के कार्यकर्ताओं के साथ मन्दिर में पूजा–अर्चना की। श्री विलट पासवान 'विहंगम', श्री रामलशन राम जैसे दलित विधायक तथा उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मन्दिर में पूजा–अर्चना करते रहे हैं। इतने वर्शों से किसी ने किसी प्रकार की शिकायत भगवती दर्शन के संबंध में नहीं की। **"पृथ्वीयां पुत्रास्ते, जगन्मातर"** आदि व्यापक षब्द जो पूजा के क्रम में हम सभी उच्चारण करते हैं जिसका अर्थ है भगवती सम्पूर्ण पृथ्वी, जगत की माँ हैं। विराट् ब्रह्माण्ड नायिका माँ के लिये जाति, वर्ण, लिंग, क्षेत्र आदि तुक्ष बातें सर्वथा अनुचित एवं वर्जित है। डा॰ मिश्र स्वयं लगातार अनेक दलितों और अन्य जाति के साथ मन्दिर में जाते रहे हैं, कभी भी किसी का अपमान नहीं हुआ। हम सभी माँ भगवती के संतान है और वह सभी लोगों में संभाव से देखती है। न भगवती जातीय आधार पर पूजा और भक्ति स्वीकार्य या अस्वीकार्य करती न हीं कोई इस आधार पर भगवती की पूजा–आराधना हीं करता है। डा॰ मिश्र महसूस करते हैं कि ऐसे संवेदनशील धार्मिक मामले को राजनीतिक रूप देना किसी आधार पर कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता है। वहाँ के पूजारी और दो–दो मंत्रियों के साथ–साथ स्थानीय लोगों ने भी इस समाचार का लगातार खण्डन किया है कि मुख्यमंत्री के दर्शन के बाद किसी प्रकार से मूर्त्ति एवं मन्दिर धोने की बात हुई हो। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भगवती परमेष्वरी मन्दिर में कोई मूर्त्ति नहीं है वरन् मिट्टी का बना पिण्ड है, उसी की पूजा–आराधना होती है। उसे पानी से धोने की संभावना नहीं हो सकती। डा॰ मिश्र ने भगवती के प्रति पूर्ण आस्था और भक्ति समर्पित करते हुए प्रार्थना की है कि वैसे लोगों को वे सद्बुद्धि प्रदान करें जो अनावष्यक रूप से इस प्रकार के मामले उठाते हैं। इस प्रकार के मामले से बिहार की प्रतिभा और छवि को आघात पहुँचाने जैसा कार्य हुआ है। बिहार में सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता को किसी प्रकार से राजनीति कारणों से विनश्ट करना बिहार की छवि खासकर मिथिलांचल की छवि पर आघात पहुँचाना है। यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य के दूसरे भागों में दलित और गैर–दलित के बीच विवाद हुए हैं, नरसंहार हुए हैं किन्तु मिथिलांचल में कभी भी जातीय तनाव एवं हिंसात्मक घटना नहीं घटी है और न हीं किसी स्तर पर सामूहिक भेदभाव प्रतिवेदित हुआ है। डा॰ मिश्र इस घटना से काफी मर्माहत हैं। उन्होंने कहा कि ठाढ़ी स्थित परमेष्वरी भगवती जैसी ऐतिहासिक मन्दिर को अनावष्यक रूप से विवाद का विशय बनाना निष्चय हीं विस्मयकारी और दुर्भाग्यपूर्ण है।

भारतीय मुसलमानों के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिये गये वक्तव्य को डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने सराहा और स्वागत किया।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोक सभा चुनाव के बाद पहलीबार भारतीय मुसलमानों के संदर्भ में कहा है कि भारतीय मुसलमान देश के लिये ही जीयेंगे और मरेंगे। डा॰ मिश्र ने इस वक्तव्य की सराहना करते हुए कहा कि श्री मोदी की यह उक्ति राजनीति की बुनियाद–सामाजिक समरसता, समावेशी विकास, धर्मनिरपेक्षता, सभी जातियों की सहभागिता पर आधारित है संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं बरतेगा पर हीं आधारित है। डा॰ मिश्र ने यह भी कहा है कि श्री मोदी का यह वक्तव्य तत्कालिन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा गुजरात दंगे के बाद कही गयी उक्ति पर आधारित है। उन्होंने कहा था कि सरकार को राजधर्म का निर्वहन करना चाहिये। प्रत्येक देषवासी भारत के प्रति समर्पित–प्रतिबद्ध हैं जिसमें मुसलमान किसी से कम नहीं है। अतः उनके साथ किसी भी प्रकार का धर्म, जाति तथा क्षेत्र के आधार पर षासन द्वारा भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारत के मुसलमानों के प्रति जो बातें प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सी॰एन॰एन॰ को दिये गये साक्षात्कार में कही वह श्री मोदी के प्रति किये जा रहे धर्मनिरपेक्षता एवं साम्प्रदायिकता के संबंध में फैलाये जा रहे भ्रमों को पूर्णतः समाप्त करता है। श्री मोदी अपनी सरकार के लगभग चार माह पूरा करने पर भारत के मुसलमानों के प्रति जो भावना व्यक्त की है वह सचमुच सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। चार महीने में राश्ट्रीय हताशा समाप्त हुई है, आशा और उत्साह का सृजन हुआ है। मुद्रास्फीति घटने के क्रम में है। रूपयों की कीमत मजबूत हुई है। विदेश नीत की चौतरफा प्रशंसा हो रही है। जन–धन–योजना को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सरकारी संस्कृति बदल रही है और समावेशी विकास के लिये सभी प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं। इस क्रम में भारत में मुसलमानों के लिये यह कहना कि वे देश के लिये जीयेंगे और मरेंगे निःसंदेह धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करेगी और मुसलमानों में विश्वास उत्पन्न करेगा। यह श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिये गये उस निदेश का अनुपालन है जिसमें उन्होंने राजधर्म की अनुपालन करने का निदेश दिया था।

मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री रामधनी सिंह को सुपौल जिलान्तर्गत बलुआ बाजार स्थित स्व॰ रविनन्दन मिश्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उत्क्रमित कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा

कोशी की 2008 की त्रासदी से उत्पन्न परिस्थिति एवं अनेक प्रकार की बीमारियाँ जो इस क्षेत्र में लगातार बढ़ती गयीं उनको ध्यान में रखते हुए डा॰ मिश्र लगातार बिहार सरकार से यह माँग करते रहे कि बलुआ बाजार कोशी त्रासदी से प्रभावित रहा है; इस कारण वहाँ स्वास्थ्य सेवा में विस्तार एवं कुशलता लाने के लिये सुपौल जिला के छातापुर प्रखण्डान्तर्गत बलुआ बाजार स्थित स्व॰ रविनन्दन मिश्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमित करना आवष्यक है। स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिये 1 लाख 20 हाजर की आबादी पर 30 शैय्या वाला एक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की योजना है। इस पक्ष में बिहार सरकार ने छातापुर प्रखण्डान्तर्गत बलुआ बाजार अवस्थित स्व॰ रविनन्दन मिश्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा देने का निर्णय 09 सितम्बर,2014 की मंत्रिपरिशद् की बैठक में निर्णय लिया। इस अस्पताल की स्थापना 1952 में पूर्व रेल मंत्री स्व॰ ललित नारायण मिश्र ने अपने पिता स्व॰ रविनन्दन मिश्र की स्मृति में की थी। स्वास्थ्य केन्द्र के लिये भूमि और मकान उन्होंने ने ही दी थी। कालान्तर में राज्य सरकार ने उसे राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिया। 1982 में बिहार सरकार ने उसे रेफरल अस्पताल की स्वीकृति दी थी। राजनीतिक कारणों से यह अस्पताल चालू नहीं किया जा सका। इस क्षेत्र में आबादी का बहुत बड़ा बोझ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही बिहार के वर्तमान् मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी की सरकार ने उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा देकर इस क्षेत्र के लिये बड़ी सेवा की है।

मंत्रिपरिशद् के निर्णयानुसार अब इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 41 कर्मचारी होंगे, जिनमें चिकित्सक–9, नर्स–10, फार्मासिस्ट्स–2, टेक्नीसियन–3, रेडियोग्राफर–1, स्थानीक सहायक–1, स्वास्थ्य शिक्षक–1, न्यू बायोलिजिस्ट–4, वार्ड असिस्टेन्ट–5, अनुसेवक–3 एवं एक सफाई कर्मी। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों के लिये 63 लाख 59 हजार वार्षिक देय की स्वीकृति दी गयी है। इस स्वास्थ्य केन्द्र के लिये 4 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण किया जायेगा। इसके लिये डा॰ मिश्र ने अपने पिता की स्मृति में (वीरपुर–उदाकिशुनगंज) सड़क के किनारे बलुआ में 2 एकड़ जमीन भी दान स्वरूप देने के संकल्पानुसार बिहार के राज्यपाल के नाम से निबंधन करने का भी राज्य सरकार को वचन दिया है।

अस्तु, बिहार सरकार के इस निर्णय से उस क्षेत्र की जनता की ओर से डा॰ मिश्र ने मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री रामधनी सिंह के साथ–साथ इस अस्पताल को उत्क्रमित करने के कार्य में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे के प्रति आभार प्रकट किया है। जिला एवं राज्य स्तरीय स्वास्थ्य पदाधिकारियों द्वारा किये गये सहयोग के लिये भी उन्होंने उन सबों को धन्यवाद दिया है।

मुख्यमंत्री बिहार एवं स्वास्थ्य मंत्री को सुपौल जिलान्तर्गत बलुआ बाजार स्थित स्व॰ रविनन्दन मिश्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उत्क्रमित कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा

सुपौल जिला के छातापुर प्रखण्डान्तर्गत बलुआ बाजार स्थित स्व॰ रविनन्दन मिश्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 षैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमित करने पर मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के प्रति डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने आभार प्रकट करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी। स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिये 1 लाख 20 हाजर की आबादी पर 20 षैय्या वाला एक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की योजना है। इस पक्ष में बिहार सरकार ने छातापुर प्रखण्डान्तर्गत बलुआ बाजार अवस्थित स्व॰ रविनन्दन मिश्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा देने का निर्णय कल (09 सितम्बर,2014) की मंत्रिपरिशद् की बैठक में निर्णय लिया। कोशी की 2008 की त्रासदी से उत्पन्न परिस्थिति एवं अनेक प्रकार की बीमारियाँ जो इस क्षेत्र में लगातार बढ़ती गयीं उनको ध्यान में रखते हुए डा॰ मिश्र लगातार बिहार सरकार से यह माँग करते रहे कि बलुआ बाजार कोशी त्रासदी से प्रभावित रहा है; इस कारण वहाँ स्वास्थ्य सेवा में विस्तार एवं कुषलता लाने के लिये उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमित करना आवष्यक है। इस अस्पताल की स्थापना 1952 में पूर्व रेल मंत्री स्व॰ ललित नारायण मिश्र ने अपने पिता स्व॰ रविनन्दन मिश्र की स्मृति में की थी। स्वास्थ्य केन्द्र के लिये भूमि और मकान उन्होंने ने ही दी थी। कालान्तर में राज्य सरकार ने उसे राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिया। 1982 में बिहार सरकार ने उसे रेफरल अस्पताल की स्वीकृति दी थी। राजनीतिक कारणों से यह अस्पताल चालू नहीं किया जा सका। इस क्षेत्र में आबादी का बहुत बड़ा बोझ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही बिहार के वर्तमान् मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी की सरकार ने उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा देकर इस क्षेत्र के लिये बड़ी सेवा की है।

मंत्रिपरिशद् के निर्णयानुसार अब इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 41 कर्मचारी होंगे, जिनमें चिकित्सक–9, नर्स–10, फार्मासिस्ट्स–2, टेक्नीसियन–3, रेडियोग्राफर–1, स्थानीक सहायक–1, स्वास्थ्य शिक्षक–1, न्यू बायोलिजिस्ट–4, वार्ड असिस्टेन्ट–5, अनुसेवक–3 एवं एक सफाई कर्मी। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों के लिये 63 लाख 59 हजार वार्शिक देय की स्वीकृति दी गयी है। इस स्वास्थ्य केन्द्र के लिये 4 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण किया जायेगा। इसके लिये डा॰ मिश्र ने अपने पिता की स्मृति में (वीरपुर–उदाकिशुनगंज) सड़क के किनारे बलुआ में 2 एकड़ जमीन भी दान स्वरूप देने के संकल्यानुसार बिहार के राज्यपाल के नाम से निबंधन करने का भी राज्य सरकार को वचन दिया है। अस्तु, बिहार सरकार के इस निर्णय से उस क्षेत्र की जनता की ओर से डा॰ मिश्र ने हार्दिक आभार प्रकट किया है, साथ हीं इस अस्पताल को उत्क्रमित करने के कार्य में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे के प्रति भी आभार प्रकट किया है। जिला एवं राज्य स्तरीय स्वास्थ्य पदाधिकारियों द्वारा किये गये सहयोग के लिये भी उन्होंने उन सबों को धन्यवाद दिया है।

मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी से पूर्व मुख्यमंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने बिहार के रूग्न लघु उद्योग को चालू कराने एवं नये उद्योग की स्थापना के लिये अपील की।

लघु उद्योग इकाइयों के राज्यस्तरीय नैदानिक अध्ययन के अनुसार, बिहार की 70 प्रतिशत लघु उद्योग इकाइयाँ रूग्न अथवा बंद हैं। हालांकि आवश्यक सहायता देकर 60 प्रतिशत इकाइयों को पुनर्वासित–पुनर्जीवित किया जा सकता है। इससे उनकी पूंजीगत परिसंपत्तियाँ फिर से उत्पाद उपयोग में लग सकेंगी। यह रोजगार के विशाल अवसर उपलब्ध कराने के अलावा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण वृद्धि में भी योगदान करेगा। सरकार उसे रूग्न/बंद इकाइयों के पुनर्वास हेतु कुल ऋण का न्यूनतम 50 प्रतिशत विशेष सब्सिडी अनुदान के रूप में प्रदान करे। बिहार राज्य औद्योगिक निवेश सलाहकार परिषद् की बैठक में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए रोड–मैप तैयार करने का निर्णय भी लिया गया। यह रोड–मैप देश के कॉरपोरेट दिग्गज राज्य सरकार के साथ मिलकर तैयार करना था। इसके लिए परिषद् की विशेष कमिटी बनाने का फैसला किया गया था जिससे विशेष बल एग्रो–इंडस्ट्री, ग्रामीण विकास और रोजगार पर दिया गया था। परन्तु यह विस्मयकारी है कि इस दिशा में प्रगति अभीतक नहीं हो पायी है। बिजली संकट दूर करने की कार्य योजना बनाने का निर्णय लिया गया था जिसमें सफल सुधार संभव नहीं हो पाया है। कृषि आधारित उद्योग, वैल्यू एडेड फार्मिंग और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिये जाने का फैसला हुआ था। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने की योजना बनाने का निर्णय हुआ। यह उम्मीद की गई थी कि प्रदेश में अगले दो साल में बड़ा निवेश होगा। राज्य उद्योग प्रोत्साहन बोर्ड ने कुल 838 कम्पनियों के प्रस्ताव में सहमति दी थी। इनमें 31 कम्पनियाँ ऐसी थी जो दस करोड़ रूपये से अधिक की पूंजी लगाती। पांच करोड़ से कम पूंजी लगाने वाली कम्पनियों की संख्या ज्यादा बतायी गयी थी। इन उद्योगों में सीमेंट, राइस मिल, कोल्ड स्टोरेज, बिस्कुट, रिफाइंड आयल, खाद्य प्रसंस्करण, चीनी मिल, डिटर्जेंट और शैक्षणिक संस्थान जैसी इकाइयाँ शामिल थी। कुल प्रस्तावों में से अभीतक बहुत कम काम शुरू हो पाया है। यह कुल स्वीकृत प्रस्तावों का 10 प्रतिशत हीं है। ऐसी सूचना मिली है कि जिन कुछेक कंपनियों ने पहले प्रस्ताव दिये थे अब वे काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इसी तरह राज्य सरकार ने उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए जो नयी औद्योगिक नीति लागू की उसमें बिजली की कमी बड़ी बाधा बनी हुई है, इसलिये बड़े उद्योगपति इस ओर अपना रूख नहीं कर रहे हैं।

डा. मिश्र ने मुख्यमंत्री से विशेष अपील की है कि वे अपने स्तर पर उपरोक्त विषयों की समीक्षा करे और पूर्व के निर्णयों को कार्यान्वित करने का शीघ्र निर्णय ले।

पूर्व रेल मंत्री स्व० ललित नारायण मिश्र एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र की तीसरी पीढ़ी की राजनीति सक्रियता में सफलता।

पूर्व रेल मंत्री स्व० ललित नारायण मिश्र के पौत्र श्री ऋषि मिश्रा जाले विधान सभा क्षेत्र से बिहार विधान सभा के जद (यू०) विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। यह मिश्र परिवार की तीसरी पीढ़ी बिहार विधान मण्डल के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। सुपौल जिला के बलुआ बाजार निवासी ललित बाबू का परिवार स्वतंत्रता सेनानी के लिये विख्यात रहा है। इस परिवार के 11 सदस्य स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं परंतु इन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन नहीं लिया। यह बिहार का एक ऐसा परिवार है जिसका कोई न कोई सदस्य 1926 से आजतक संसद या बिहार मण्डल का सदस्य होते रहा है। सर्वप्रथम पण्डित राजेन्द्र मिश्र बिहार प्रदेश कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष रहे। 1926 में ही बिहार विधान परिषद् सदस्य निर्वाचित हुए और वे बिहार विधान सभा का सदस्य 1937 में निर्वाचित हुए। उसके बाद 1946, 1962 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। पूर्व रेल मंत्री ललित बाबू 1952, 1957 और 1972 में लोक सभा के सदस्य और 1964 एवं 1966 में राज्य सभा के सदस्य रहे। उनके छोटे भाई डा० जगन्नाथ मिश्र क्रमशः 1968 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य एवं 1972, 1977, 1980, 1985 और 1990 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और बिहार सरकार के मंत्री एवं मुख्यमंत्री तीन बार बने। राजेन्द्र मिश्र के पुत्र श्री अमरेन्द्र मिश्र, 1972, 1980, 1985 तथा 1990 बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे बिन्देश्वरी दूबे एवं भागवत झा आजाद के मंत्रिमण्डल में सदस्य हुए। ललित नारायण मिश्र के पुत्र श्री विजय कुमार मिश्र 1976 में बिहार विधान परिषद्, 1985, 1990, 1995, 2000 एवं 2005 में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा 1984 में लोक सभा सदस्य निर्वाचित हुए। डा० जगन्नाथ मिश्र के पुत्र श्री नीतीश मिश्रा 2005, 2010 बिहार विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए जो श्री नीतीश कुमार एवं वर्तमान में श्री जीतन राम माँझी के मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं। इस तरह मिश्र परिवार का कोई न कोई व्यक्ति संसद अथवा बिहार विधान मण्डल का सदस्य 1926 से लगातार निर्वाचित होते रहे हैं। श्री ऋषि मिश्रा जो ललित बाबू के पौत्र एवं श्री विजय कुमार मिश्र के पुत्र हैं। उनका जाले विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होना मिश्र परिवार की कड़ी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह बिहार का एकलौता परिवार है जो 1926 से लगातार बिहार विधान मण्डल या संसद सदस्य निर्वाचित होते रहे हैं।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से पत्र द्वारा बिहार की वर्षों से नेपाल सरकार की सहमति के लिये लम्बित परियोजनाओं के संबंध में नेपाल सरकार से त्वरित कार्रवाई के लिये अपील की।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेपाल दौरा से भारत–नेपाल के बीच ठोस नई संभावनायें बनी हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा इतिहास का उपयोगी मार्गदर्शक है जिसकी पृष्ठभूमि में सभी चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से नेपाल और भारत के बीच संदेह का वातावरण समाप्त हो गया और अब दोनों राष्ट्र चुनौतियों का मुकाबला वास्तविक धरातल पर करने में सहमत होंगे। इन दोनों देशों के बीच आर्थिक भविष्य भी निहित है। इन दोनों देशों के बीच विद्युत, पर्यटन और कृषि संबंधी उद्योगों के क्षेत्र में बढ़ने की असीम संभावनायें हैं। उन्होने नेपाल की संप्रभुता के प्रति भारत का सम्मान जताया और उनके इसी रूख ने नेपाली नेताओं एवं जनता का दिल जीत लिया। इस तरह उन्होंने (श्री मोदी ने) दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। इन दोनो देशों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की भी असीम संभावनाएं हैं। अतः प्रधानमंत्री नेपाल सरकार से कहा कि बिहार परियोजनाएं वर्षों से नेपाल सरकार की सहमति के अभाव में लम्बित है। योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये सहमती प्रदान करेः– (1) **सप्त कोशी हाई डैम–** कोशी नदी से उत्तर बिहार के बहुत बडे क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित होने की समस्या सर्वविदित है। यद्यपि पूर्व में भीम नगर बराज, वीरपुर और बहुत बड़े पैमाने पर नदी पर तटबंधों के निर्माण से नदी की धारा के पश्चिम की ओर के झुकाव पर नियंत्रण पाया जा सका है, किन्तु नदी की धार के साथ, बहुत बड़ी मात्रा में आने वाले सिल्ट के कारण, तटबंधों पर प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा दबाव, उनके उच्चीकरण की आवश्यकता तथा नहर प्रणाली की घटती क्षमता, राज्य सरकार के लिये चिन्ता का विषय रही है। इस समस्या के निदान हेतु नेपाल क्षेत्र में जलाशयों का निर्माण ही समस्या का स्थायी निदान है। वर्ष 1950 में सी॰डब्लू॰आई॰एन॰सी॰ द्वारा तैयार की गयी कोशी हाई डैम परियोजना को वर्ष 1980 में अद्यतन कर पुनः एक प्री फिजीविलिटी रिपोर्ट तैयार की गयी, जिसके अनुसार बराह क्षेत्र (नेपाल) में, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लाभ के साथ बहुत बड़ी मात्रा में पन–बिजली उत्पादन हेतु एक हाई डैम का निर्माण प्रस्तावित है। पिछले दशक में हुई विभिन्न भारत–नेपाल बैठकों में यह विषय चर्चा का मुख्य बिन्दु रहा है, इस विषय पर सहमति की दिशा में कुछ ठोस प्रगति हुई और अब सप्त कोशी हाई बहुउद्देशीय परियोजना हेतु भारत–नेपाल संयुक्त विशेषज्ञ दल के नाम से एक समिति गठित हो चुकी है, परन्तु अभीतक निर्णय नहीं हो पाया है। दिसम्बर, 1993 में भारत–नेपाल जल संसाधन परियोजनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने के लिये एक कार्य योजना पर नेपाल सरकार से सहमति हुयी थी, जिसके अंतर्गत, सप्त कोशी हाई डैम के संबंध में निम्नलिखित कार्य योजना बनायी गयी थी :– (क) दोनों देशों द्वारा इंनसेप्शन रिपोर्ट तैयार कर ली जाय। (ख) संयुक्त विशेष पदाधिकारी समिति की बैठक आहूत कर इसमें विस्तृत अन्वेषण प्रतिवेदन तैयार करने के तरीकों पर विचार किया जाय। (ग) संयुक्त परियोजना कार्यालय की स्थापना की जाय। परंतु अभीतक अग्रेत्तर कार्रवाई लम्बित हैं। आवश्यक है कि योजना का विस्तृत अन्वेषण कार्य प्रारंभ करते हुए, अन्य प्रारंभिक कार्य यथा कार्यालय की स्थापना, अप्रोच–पथ का निर्माण इत्यादि कार्य शीघ्र प्रारंभ कराये जायँ।

(2) **कमला एवं बागमती परियोजना–** कमला एवं बागमती नदियों पर, नेपाल क्षेत्र में जलाशय निर्माण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कमला बहुद्देशीय योजना, जो तेतरिया नेपाल में अवस्थित है तथा बागमती बहुद्देशीय योजना, जो नूनथर के पास अवस्थित है, का संभावना प्रतिवेदन 1983 में ही भारत सरकार को भेजा गया था, जिसपर नेपाल सरकार की स्वीकृति अपेक्षित थी। इस संबंध में, भारत नेपाल से सम्बन्धित विभिन्न बैठकों में विचार–विमर्श किया जाता रहा और निर्णय लिया गया था कि कमला एवं बागमती बहूद्देशीय परियोजनाओं की अध्ययन–टिप्पणी नेपाल तैयार कर, भारत सरकार के मंतव्य के लिये भेजी जायेगी। नेपाल सरकार द्वारा, संक्षिप्त अध्ययन–टिप्पणी भारत सरकार के माध्यम से बिहार सरकार को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसपर बिहार सरकार का मंतव्य भारत सरकार को मार्च, 1994 में भेज दिया गया। उसके बाद की स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कमला एवं बागमती बहूद्देशीय परियोजना की अध्ययन–टिप्पणी पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन, इसके अनुसार कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहना न होगा कि कमला जलाशय परियोजना का निर्माण, इस राज्य की कमला सिंचाई योजना के अस्तित्व के लिये अनिवार्य है। उसी प्रकार बागमती जलाशय का निर्माण भी अपरिहार्य है, क्योंकि नेपाल द्वारा बागमती नदी, का सारा पानी अपने क्षेत्र में, प्रयोग करने के कारण, इस राज्य की बागमती सिंचाई योजना हेतु, जल की सुनिश्चितता, संदिग्ध हो गयी है। अतः राज्य के कमला नहर क्षेत्र में, वर्तमान सिंचाई सुविधा बरकरार रखने के साथ बागमती कमला क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कमला एवं बागमती जलाशयों का शीघ्र निर्माण अत्यावश्यक है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दो दिवसीय नेपाल यात्रा ने दोनों देशों के बीच विश्वास का माहौल बनाने को सफल किया है और अब वास्तविक चुनौती दोनों देशों के बीच सम्पर्क बढ़ाकर विश्वास बनाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दक्षेस राष्ट्रों के संबोधन में अपने ऐजेन्डे पर ऐसे समय ही काठमांडू की धरा पर कदम रखा और नेपाल के राजनीतिज्ञों का ही नहीं अपितु वहाँ के लोगों का भी दिल जीत लिया। पिछले 17 वर्षो से भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नेपाल जाने में रुचि नहीं दिखायी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने पड़ोसी देशों को महत्व देने की नीति का नेपाल के दो दिवसीय दौरा एक महत्वपूर्ण निर्णय है। अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी दक्षिण एशियाई देशों को आमंत्रित करके उन्होंने इस नीति का प्रारंभ किया है। उन्होंने अपनी बातों को नेपाल के समक्ष प्रभावकारी रूप से प्रस्तुत किया है। उनका यह कहना हैं कि नेपाल अपने भविष्य के बारे में कोई भी निर्णय लेने के लिये पूरी तरह स्वतंत्र है। इसमें 1950 के मित्रता समझौते पर पुनर्विचार के लिये स्वतंत्र हैं। प्रधानमंत्री ने अपने पदाधिकारियों को यह आदेश दिया है कि पूर्व की सभी योजनाओं और परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करे जिसका परिणाम शीघ्र दिखने लगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा इतिहास का उपयोगी मार्गदर्शक है जिसकी पृष्ठभूमि में सभी चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से नेपाल और भारत के बीच संदेह का वातावरण समाप्त हो गया और दोनों राष्ट्र चुनौतियों का मुकाबला वास्तविक धरातल पर करने में सहमत होंगे। इन दोनों देशों के बीच आर्थिक भविष्य भी निहित है। अभी मानव विकास के संकेतों से उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इन दोनों देशों के बीच विद्युत, पर्यटन और कृषि संबंधी उद्योगों के क्षेत्र में बढ़ने की असीम संभावनायें हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह भी संकेत दिया है कि नेपाल के लोगों की धारणा थी कि भारत अपने वायदों का निर्वहन ईमानदारीपूर्वक नहीं कर पाता है और दूसरी ओर चीन नतीजे देता है। यह प्रसन्नता की बात है कि 17 वर्षों के बाद श्री मोदी की यात्रा में इन दोनों देशों के संबंध अब ऊँचाई पर हैं। अब दोनों देश अपने वायदों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करेंगे।

डा॰ मिश्र ने कहा कि भारत की उदासीनता के कारण ही चीन तथा पाकिस्तान नेपाल में अपना प्रभाव बनाते रहे। भावनात्मक मुद्दे उठा कर नेपाली के बीच भारत विरोधी माहौल बनाया जाता रहा। प्रधानमंत्री श्री मोदी की नेपाल यात्रा का उद्देश्य हिमालयी राज्य पर चीन के बढ़ते प्रभावों को कम करना है। भारत ने लम्बे समय से नेपाल को नजर अंदाज किया है, वहीं चीन ने वहाँ अपनी उपस्थिति बढ़ायी है, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में, जो चिन्ताजनक है। श्री मोदी की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने एवं नेपाल पर चीन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। नेपाल के साथ भारत कि सीमा सटी है, फिर भी नेपाल में चीन का प्रभाव पिछले दशक में बढ़ा है। हालांकी नेपाल के लिए भारत अधिक मददगार साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नेपाली संसद् में अपने भाषण से सभी नेपालियों का दिल जीत लिया। नेपाल कर शिकायत थी कि भारत उसे समानता के स्तर पर व्यवहार नहीं करता, साथ ही आंतरिक मामलों मे हस्तक्षेप करता है। नेपाल के कई प्रधानमंत्रियों की भारत यात्रा के बावजूद 17 वर्षो तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ न जाएँ तो ऐसी सोंच को पूर्णतः निराधार नहीं कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नेपाल जाकर न सिर्फ रूके सिलसिले को तोड़ा बल्कि वहां उन्होंने बेलाग ऐलान किया कि नेपाल अपने लिए कौन सी दिशा चुनेगा यह नेपाल का काम है। उन्होने नेपाल की संप्रभुता के प्रति भारत का सम्मान जताया और उनके इसी रूख ने नेपाली नेताओं एवं जनता का दिल जीत लिया । इस तरह उन्होंने दोनों देशों के संबंधो को नई दिशा देने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। 1950 की संधि, जो अक्सर मनमुटाव पैदा करती रही है, के संशोधन पर भी भारत ने अपनी रजामंदी दी है। श्री मोदी ने अपने दो दिवसीय दौरे के क्रम में नेपाल–भारत संबंध में व्यापक सुधार कर दिया है। इन दोनो देशों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की असीम संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री के इस व्यापक दृष्टिकोण का नेपाल सरकार पर प्रभाव पड़ा है। श्री मोदी ने अपना कोई सपना नेपाल पर थोपने की कोशिश नहीं की, बल्कि प्रत्येक नेपाली नागरिक को अपने सपने देखने और साकार करने की प्रेरणा दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा से कोशी की संभावित त्रासदी के टलने से कोशी क्षेत्र की जनता की ओर से भारत सरकार, नेपाल सरकार तथा बिहार सरकार

नेपाल सरकार, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के संयुक्त पर्यत्नों से नेपाल में भूस्खलन से कोशी धारा में पैदा हुए अवरोध को हटाने के लिए नेपाल सरकार द्वारा कोई विस्फोट नही करने की घोषणा से बिहार सरकार के साथ ही कोशी क्षेत्र के लाखो लोगो को राहत मिली और संभावित बाढ़ से कोशी क्षेत्र की संरक्षण में बड़ी मदद मिली है। भूस्खलन से जो खतरा उत्पन्न हो गया था उससे कोशी क्षेत्र कि जनता असुरक्षित महसूस कर रही थी। 2008 के कोशी त्रासदी से जितनी बड़ी क्षति हुई थी उसी आशंका से दहशत और बड़ी विनाश कि संभावना का अनुमान करते ही बिहार राज्य के इन आठ जिलों के लोगों का जीवन दुभर हो गया था। परंतु बिहार सरकार तथा भारत सरकार ने नेपाल सरकार के सहयोग एवं समर्थन से इस त्राशदी से क्षेत्र को बचाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कोईराला एवं बिहार के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी के प्रयत्नो और दुर अंदेशी की सरहाना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ० जगन्नाथ मिश्र ने कहा है की यह संयोग था और कोशी के उस क्षेत्र को संकट से उबरना था क्योंकि ऐसे समय मे हीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का द्विदिवसीय नेपाल में कार्यक्रम बना। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नेपाली संसद को अपने संबोधन में कोशी कि खतरे कि चर्चा करते हुए नेपाली सरकार एवं जनता के स्तर पर सहयोग एवं समर्थन देने की मांग की। कोशी क्षेत्र को नेपाल सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री के भाषण से बडा ही बल मिला। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दक्षेस राष्ट्रो के संबोधन में अपने ऐजेन्डे पर ऐसे समय ही काठमांडु के धरा पर कदम रखा और नेपाल के राजनीतिज्ञों का ही नही अपितु वहाँ के लोगो का भी दिल जीत लिया। पिछले 17 वर्षो से भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नेपाल जाने में रूची नही दिखाई। भारत ने नेपाल को नजर अंदाज किया यही कारण था कि 2008 में कुशहा तटबंध के टुटान के समय नेपाल सरकार से अपेक्षीत सहयोग नही मिला। भारत कि उदासीनता के कारण ही चीन तथा पाकिस्तान नेपाल में अपना प्रभाव बनाते रहा। भावनात्मक मुद्दे उठा कर नेपाली के बीच भारत विरोधी माहौल बनाया जाता रहा। प्रधानमंत्री श्री मोदी की नेपाल यात्रा का उद्देश्य हिमालयी राज्य पर चीन के बढ़ते प्रभावों को कम करना है। भारत लम्बे समयों से नेपाल को नजर अंदाज किया है, वहीं चीन ने वहाँ अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, खासकर उर्जा के क्षेत्र मे जो चिन्ताजनक है। श्री मोदी की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधो को मजबूत बनाने एवं नेपाल पर चीन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। नेपाल के साथ भारत कि सीमा सटी है फिर भी नेपाल में चीन का प्रभाव पिछले दशक में बढ़ा है। हालांकी नेपाल के लिए भारत अधिक मददगार साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नेपाली संसद में अपने भाषण से सभी नेपालीयों का दिल जीत लिया। नेपाल कि शिकायत थी कि भारत उसे समानता के स्तर पर व्यवहार नही करता साथ ही आंतरिक मामलों मे हस्तक्षेप करता है। कई नेपाल के प्रधानमंत्रियों की भारत यात्रा के बावजुद 17 वर्षो तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहा न जाए तो ऐसी सोंच को पूर्णतः निराधार नही कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी नेपाल जाकर न सिर्फ रूके सिलसिले को तोड़ा बल्कि वहां उन्होने बेलाग ऐलान किया की नेपाल अपने लिए कौन सी दिशा चुनेगी यह नेपाल का काम है। उन्होने नेपाल के संप्रभुता के भारत के प्रति भारत का सम्मान जताया और उनका यही रूख नेपाली नेताओं एवं जनता का जीत लिया । इस तरह उन्होने दोनो देशों के संबंधो को नई दिशा देने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। 1950 कि संधी जो अक्सर मनमुटाव पैदा करती रही है के संसोधन पर भी भारत ने अपनी रजामंदी दी है। श्री मोदी ने अपने दो दिवसीय दौरे के क्रम मे नेपाल-भारत संबंध में व्यापक सुधार कर दिया है। इन दोनो देशों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की असीम संभावनाएं है। प्रधानमंत्री के इस व्यापक दृष्टिकोण का नेपाल सरकार पर प्रभाव पड़ा है। इसका ज्वलंत उदाहरण वर्त्तमान भूस्खलन से बने अवरोध के खतरा से बिहार की विशाल आबादी का संरक्षरण हुआ है और संभावित खतरा टल गया है। नेपाल सरकार की ऐसी सहयोगात्मक दृष्टिकोण 2008 में नही थी, क्योंकि भारत सरकार कि विश्वसनीयता नेपाल सरकार में नही थी। यह निर्विवाद है कि पिछले दशक में नेपाल कि निरंतर भारत ने उपेक्षा कि और उसकी इसी अदुरदर्शिता के वजय से चीन को वहाँ अपने पैर फैलाने का मौका मिलता रहा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह भी स्पष्ट किया की नेपाल कि आंतरिक राजनीत में भारत कि कोई हस्तक्षेप की कामना नही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह भी स्पष्ट किया की वे नेपाल को लेकर काफी उत्साहित हैं कि वह संघीय जनतांत्रिक गणराज के रूप में अपने को स्थापित किया है। श्री मोदी ने अपना कोई सपना नेपाल पर थोपने की कोशिश नही की बल्कि प्रत्येक नेपाली को अपने सपने देखने और साकार करने कि प्रेरणा दी। वर्त्तमान खतरे से बचाने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कि सकारात्मक योगदान और बिहार के मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी की व्यतिगत दिलचस्पी ने 2008 जैसी त्रासदी को पूनः उत्पन्न नही होने दी। भारत सरकार एवं बिहार सरकार की आपातकालिन व्यवस्था ने आम लागों में सरकार के प्रति आस्था-विश्वास दर्शाया है।

वर्ष 2013 में संशोधित किया गया भूमि अधिग्रहण कानून किसानों और खेतिहर मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले अधिनियम में बदलाव नहीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं लोकसभा और राज्यसभा में अपने भाषण में राष्ट्रपति द्वारा अधिभाषण में कही गयी हर बात को पूरा करने का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गरीबों और गाँव की बात की और हाशिये के लोगों को मुख्य धारा में लाने पर जोर देते हुए कहा कि गरीबी मिटाना और गाँव का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मकसद भारत को अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रधानमंत्री की इन घोषणाओं की पृष्ठभूमि में 2013 में संशोधित किया गया भूमि अधिग्रहण कानून में किसी प्रकार का संशोधन करना किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के हित में नहीं होगा। श्री मोदी सरकार ने गरीबी का पूर्ण निवारण करने के साथ हीं **"सबका साथ सबका विकास"** की नीति बतलाया। राष्ट्रपति ने सरकार के आठ महीने में हर क्षेत्र में किये जाने वाले योजनाओं का उल्लेख करते हुए देश के सामने सरकार के भविष्य का रोड मैप प्रस्तुत किया। विशेषकर किसानों का ख्याल रखने का वायदा सरकार ने बजट में कृषि, ग्रामीण विकास तथा युवा शक्ति पर केन्द्रित रख प्रमाणित किया। इस तथ्य के आलोक में वर्तमान केन्द्र सरकार भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार कानून 2013 में संशोधित किसानों एवं खेतिहर कृषकों के अधिकारों का रक्षा करता है। केन्द्रीय स्तर पर इस कानून में बदलाव करके ग्राम सभा किसानों की हितों की बलि चढ़ाकर किसी निजी कम्पनियों के लिये अधिक फायदे मंद बनाने पर विचार किया जा रहा है। आजादी के बाद बनी सरकारों द्वारा अभीतक वर्ष 1894 में भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के तहद किसानों से उनकी जमीन लेकर निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की एजेन्सियों को दिया जाता रहा था। एक अनुमान के मुताबिक आजादी के बाद अबतक 2 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग इस कानून के तहद विस्थापित किये जा चुके हैं। उनमें से अधिकांश का पुनर्वास नहीं हो सका। विकास परियोजनाओं के लिये भूमि की मांग के निरंतर बढ़ते दबाव के कारण 2013 में संशोधित भूमि अधिकार कानून पास किया गया था, ताकि इस तरह का अन्याय फिर से न दुहराया जा सके। 1 जनवरी, 2014 को संशोधित कानून प्रभावकारी हो गया और उसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना गया। ऐसा पहलीबार हुआ था कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से प्रभावित किसानों और खेतिहर मजदूरों के हितों पर ध्यान दिया गया हो। निजी कम्पनियों के लिये यह बाध्यता तय कर दी गयी कि 80 फीसद प्रभावितों की सहमति मिलने के बाद ही उन्हें भूमि मुहैया करायी जायेगी। पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशीप परियोजनाओं के लिये 70 फीसद प्रभावितों की सहमति अनिवार्य रखी गयी। केन्द्र सरकार के स्तर पर ऐसी सोच है कि 80 फीसद प्रावधान घटाकर 50 फीसद कर दिया जाय। ऐसा लगता है कि देश के निजी उद्योगपति किसानों से छल करने में ऐसे 50 फीसद सहमति के प्रावधानों से रक्षा नहीं की जा सकेगी। निजी उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहण करने में सरकार की भूमिका नहीं होनी चाहिये क्योंकि सरकारी अधिकारी बड़े कारबारियों के साथ मिलीभगत करके किसानों और जमीन मालिकों को धमकाते रहे हैं। स्थानीय लोगों से जमीन ले ली जा सकती है लेकिन लाभ में वे सहभागी नहीं बन सकेंगे। जो सरकार किसानों व खेतिहर मजदूरों के लिये समर्पित है वह सामाजिक प्रभाव तथा आकलन के प्रावधान को समाप्त करने की सोच रही है। इसके तहत बड़ी परियोजना वाले क्षेत्रों में पर्यावरण और अर्थ की होने वाली क्षति का आकलन किया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधन में कानून में बदलाव संबंधी सबसे खतरनाक प्रस्ताव बहुफसलीय भूमि अधिग्रहण पर लगाये गये प्रतिबंध को समाप्त करना है। इस तरह खाद्य सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। मौजूदा कानून के तहद पूर्ण भूमि श्रमिकों को भी मुआबजा देने का प्रावधान है, जो आजीविका के लिये कृषि भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रावधान को भी समाप्त करने का विचार किया जा रहा है। उस प्रावधान को भी समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है जो अधिगृहित भूमि के दुरूपयोग पर रोक लगाता हो। इस अधिनियम में वर्तमान एनडीए सरकार संशोधन पर विचार कर रही है किन्तु इस कानून को बनाने में एनडीए ने यूपीए सरकार को विपक्षी दल की सहमति प्राप्त थी। यूपीए सरकार के साथ महत्वपूर्ण फैसलों में भाजपा की सहमति थी। उन कानूनों में सूचना का अधिकार कानून, वन अधिकार कानून, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार कानून, खाद्य सुरक्षा कानून और संशोधित भूमि अधिकार कानून सम्मिलित है। लेकिन वर्तमान सरकार उन कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है जिनमें उनकी सहमति थी। वर्तमान सरकार वन अधिकार कानून 2006 में भी परिवर्तन करना चाहती है ताकि कुछ परियोजनाओं के लिये वन भूमि अधिग्रहण करने के लिये उसे ग्राम सभा की सहमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वास्तव में इस कानून में यूपीए के समय में हीं एक संशोधन पर विचार प्रारंभ हुआ था परंतु पर्यावरण मंत्रालय के विरोध के कारण रूक गया।

श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की कृषि, ग्रामीण विकास तथा युवा शक्ति आधारित श्री अरूण जेटली द्वारा प्रस्तुत प्रथम बजट

श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की कृषि, ग्रामीण विकास तथा युवा शक्ति आधारित श्री अरूण जेटली द्वारा प्रथम बजट का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों से मुद्रास्फीति को नीचे रखने और इसमें स्थिरता आने की संभावना बनेगी। राजकोषीय मजबूती के जरिये यह काम किया जा सकता है। खाद्यान्न के लिये प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय बाजार सृजित करने के साथ–साथ औद्योगिक नीत के लिये एक खाका तैयार करने की आवश्यकता बतलायी गयी है। इन सुधारों को आगे बढ़ाने से मुद्रा स्फीति की अनिश्चितता दूर होगी और स्थिर व्यवसायिक परिवेश स्थापित होगा। मुद्रास्फीति में नरमी की धारणा से घरेलू वित्तीय वचतों में बढ़ोतरी होगी और निवेश के संसाधन उपलब्ध होंगे। सरकार की ओर से निवेश और प्रशासन संचालन को बेहतर बनाने के लिये जो निर्णय बजट में लिये गये हैं उनसे आने वाले वर्षों में आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 7–8 प्रतिशत तक पहुँच सकती हैं। बजट से ऐसा लगता है कि सरकार कर प्रशासन को सरल स्थिर तथा विश्वसनीय बनाने में सफल होगी। एक प्रगतिशील एवं समृद्ध अर्थव्यवस्था के लिये सरकार के समक्ष दक्ष, पारदर्शी होना और सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध रहना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि शीर्ष स्तर पर पहुँचने से पहले दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं ने 'गवर्नस' तथा 'स्ट्रेक्चर' को पारदर्शी बनाने पर अधिक जोर दिया। वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते कहा कि यह बजट मुख्य तौर पर कृषि, ग्रामीण तथा युवा शक्ति पर केन्द्रित है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की सोच केवल लोगों को खुश करना नहीं है बल्कि सरकार का मकसद भारत को अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। वित्त मंत्री ने देश को आर्थिक रूप से महाशक्ति की पहचान देने हेतु उन कार्यक्रमो चिह्नित किया है जिसमें राजकोषीय मजबूती, चालू खाता घाटा बंद करना, मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, विनिर्माण और राज्यों तथा केन्द्र के मध्य जिम्मेवारी बहन करना सम्मिलित है। वित्त मंत्री का मानना है कि इन कार्यों को प्रभावकारी रूप से कार्यान्वित करके हीं देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनायी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि विश्व में सर्वाधिक युवा शक्ति भारत में है। युवा शक्ति को सक्षम, योग्य व शिक्षित बनाने से ही देश विश्व में अपना नाम चमका सकता है। उन्होंने अपने बजट भाषण में देश में बढ़ती युवा शक्ति को चुनौती के रूप में नहीं अपितु, अवसर करार देते हुए युवाओं के लिये उँच तकनीकी शिक्षा, कौशल सम्बर्द्धन एवं उनके लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था पर जोर दिया है। युवाओं को कुशल और दक्ष बनाने हेतु सुविधायें भी उपलब्ध करने के साथ हीं बेरोजगार हाथों को काम देने की भी बात कही है। उन्होंने गाँव के लिये सड़क, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अनेक मूलभूत प्रावधानों की भी बात इस बजट में किये हैं। शिक्षा विकास की पूँजी होती है। इसी के मद्देनजर सरकार की ओर से ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में सुधार बढाने के लिये अनेक योजनाओं के लिये पर्याप्त धन आवंटित किया गया है। किसानों को 8 लाख करोड़ का ऋण केवल 7 प्रतिशत सूद पर देने का प्रावधान होने से किसानों को बड़ी सहायता मिलेगी। किसान ऋण पत्रों (केसीसी) स्मार्ट कार्ड में बदल सकता है जिससे वे एटीएम का लाभ उठा सके। वित्त मंत्री ने "आधार" को सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन मानते हुए "आधार योजना" को लागू करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। महिला सुरक्षा पर मंडराते खतरे को कम करने के लिये बजट में प्रावधान किये गये हैं। ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें बढ़ावा देने का प्रावधान किया है। ग्रामीण इनफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। इनफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो ने से ही विकास में बल मिलेगा। बजट में सरकार ने इनफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया है क्योंकि इनफ्रास्ट्रक्चर को बिना मजबूत किये विकास संभव नहीं जिसके लिये बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने सड़क, बन्दरगाह, हाईवे का तेजी विकास करने की घोषणा भी की गयी है। वित्त मंत्री इनफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों की क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। सरकार ने श्री नरेन्द्र मोदी की चुनावी घोषणा के अनुरूप चौमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए हीं समावेशी विकास के लिये समुचित प्रावधान बजट में किये गये हैं। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की बजट गांधी जी की उस मान्यता पर आधारित है कि आजादी की शुरूआत निचली स्तर से होना चाहिये। गांधी जी ने कहा था कि "मैं एक ऐसे भारत के लिये कोशिश करूँगा जिसमें देश का अन्तिम व्यक्ति भी महसूस करे कि यह देश उसका है तथा उसके आवाज का महत्व है। स्त्री तथा पुरूष को समान अधिकार मिलेगा। देश में शांति और भाईचारे का संबंध होगा।" इसी मान्यता को केन्द्र में रखकर श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार गांधी की मान्यता को साकार करना चाहती है।

श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की पहली लोक कल्याण की भावना से प्रेरित और राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा बतलाये गये निर्देशों पर आधारित रेल बजट।

श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की पहली रेल बजट को रेल मंत्री श्री सदानन्द गौड़ा द्वारा दिये गये भाषण का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि यह भाषण पूर्णतः संसद के समक्ष राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा बतलाये गये निर्देशों पर आधारित हैं। बजट भाषण में हाई स्पीड ट्रेनों की हीरक चतुर्भुज परियोजना सहित अनेक योजनाओं का उल्लेख किया गया है। रेलवे को गतिशील बनाये रखने के लिये रेलवे के विकास से जुड़े योजनाएं व्यापक हों और कार्य योजनायें उतनी ही हाथ में ली जाय जो तय समय सीमा और उपलब्ध धन पूरी की जा सके। विकास की इन बुनियादी सिद्धांतों को पिछली सरकारों द्वारा की गयी अवहलेना के वजह से ही आज रेलवे को 368 परियोजनाएं लम्बित हैं और इन्हें पूरा करने के लिये 1 लाख 78 हजार करोड़ रूपये की जरूरत है। इनमें से ज्यादातर पिछले 40 वर्षों से निर्माणधीन है। विभिन्न रेल मंत्रियों की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के चलते ही कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनको पूरा होने के बाद ही रेलवे को कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिये जरूरत है कि इन परियोजनाओं में धन लगाने के वजाय पहले लाभदायी योजनाओं को आगे बढ़ायी जाय। ऐसा किया जाता है तो रेलवे को योजना पूर्ण होने के साथ हीं आय भी शुरू हो जायेगा। श्याम पितौदा समिति की सिफारिशों को माना जाय तो रेलवे को आधुनिकीकरण और सुरक्षा उपायों से जोड़ने के लिये लगातार आठ साल तक 6 लाख करोड़ रूपये की जरूरत होगी जो कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि रेलवे का अपना रोज–मर्रा का खर्च भी खुद की श्रोत से नहीं जुटा पा रही है। रेल बजट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने के लिये बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी तथा सेवा में सुधार के लिये साधन जुटाना बड़ी चुनौती है। इस समय रेलवे 26 हजार करोड़ का घाटा दिखा रहा है और जो ताजा किराया वृद्धि हुई है उससे केवल 5 हजार करोड़ की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। इस वृद्धि के बाद भी 21 हजार करोड़ का घाटा बना रहेगा। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया है कि रेल धन को समझदारी से ऐसे तकनीकी उपाय पर खर्च करने की जरूरत है जिसका लाभ यात्रा सुरक्षा में दिखायी दे। यह जरूरी है कि रेलवे को ऐसे आधुनिक संकेतों से जोड़ा जाय जिसे सर्दीयों के दिनों में कोहरे में जिन ट्रेनों को घंटों लेट होने तथा ट्रेन बंद करने की लाचारी झेलनी पड़ती है उसमें सुधार हो सकेगा। सुरक्षा संबंधी उपायों मे तत्काल मानव रहित रेल पार पथों को अन्डर या ओवर ब्रीज में बदलने की जरूरत है। रेल मंत्री ने मानव रहित रेलवे पार पथों को समाप्त करने की भी घोषणा की है। शहरी क्षेत्रों में क्रॉशिंग है उन्हें स्वचालित बनाने की जरूरत है ताकि फाटक को खोलने का दबाव नहीं बनाया जा सके। रेलवे का मौजूदा ट्रैक तेज रफ्तार यात्री ट्रेनों और ज्यादा वजन ढोने वाली मालगाड़ियों के लिहाज से अनुपयुक्त है। इसका नवीनीकरण होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मजबूत पटरियाँ बिछाई जानी चाहिए। रेलवे में कलपुर्जों की खरीद और गुणवत्ता जाँचने के तरीके भी ठीक नहीं हैं। इससे घटिया पुर्जों की खरीद हो रही है इसे ठीक करने की जरूरत है। संरक्षा, सुरक्षा और आधुनिकीकरण पर रेल मंत्री ने संतोषप्रद बात कही है। रेल संरक्षा आयोग ने रेल मंत्रालय को सतर्क किया है कि रेल की सुरक्षा एवं संरक्षा खतरें में हैं। देश भर में फैले 1 लाख 2 हजार रेलवे पुल की स्थिति जर्जर हो चली हैं। इस हालत पर रेल संरक्षा आयोग ने गहरी चिंता व्यक्त की है। पुलों के रख–रखाव पर ध्यान दिए बिना क्षमता से अधिक मालगाड़ियों की लदान पर आयोग ने रेल मंत्रालय को उत्तरदायी बताया है और आयोग ने रेलवे संरक्षा पर अनेक सवाल उठाये हैं। सुरक्षा और संरक्षा की उपेक्षा कर अधिक क्षमता वाली मालगाड़ियों को पुलों पर दौराने को बेहद खतरनाक माना है। उन अनुशंसाओं को रेल मंत्री ने समझने की चेष्टा की है।

रंगराजन समिति के आकलन के संदर्भ में आर्थिक नीत में संशोधन करने के लिये नये बजट में समुचित उपबंध करने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी।

रंगराजन समिति के अध्ययनों एवं अनुशंसाओं के आलोक में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने प्रधानमंत्री से नये बजट में समुचित उपबंध करने की अपील करते हुए कहा है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान हर तीसरा व्यक्ति गरीब था जबकि एक वर्ष पहले हर दश में चार व्यक्ति गरीबी के श्रेणी में आता था। रंगराजन समिति के रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक वर्ष में गरीबों की संख्या में 9.4 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा तेन्दुलकर समिति द्वारा पेश किये गये आंकड़े से ज्यादा है। यह प्रमाणित करता है कि भारत की आर्थिक नीत, आर्थिक सुधार और उदारीकरण देश के गरीबों के हितों के विरूद्ध है। गरीबों की संख्या में इस वृद्धि ने यह भी प्रमाणित किया है कि कुछ लोगों के हाथों में धन का केन्द्रित होना है। श्री नरेन्द्र मोदी को बड़ी उम्मीद और आशा से देशवासियों ने सत्ता सौंपी है। इसलिये इस नये बजट में प्रधानमंत्री को यह प्रमाणित करना चाहिये कि धन का केन्द्रीयकरण सामाजिक समरसता के विरूद्ध है और इस प्रकार गरीबों के मन में वे आशा और विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं कि समाज में व्याप्त असंतोष और विषमता को वे पाट सकते हैं। भारत ने जबसे नवउदारवादी नीतियों को अपनाया है तबसे अरबपतियों की संख्या और उनकी दौलत में तो नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई ही है, लेकिन मानव आबादी के सबसे निचले हिस्से की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। परिणाम यह हुआ कि विषमता की खाई लगातार चौड़ी होती चली गयी। भारत जैसे देश को बिल्कुल उपभोक्तावादी आर्थिक कार्यक्रमों के अनुरूप चलाना न तो संभव है और न उपयोगी ही। इस दृष्टि से नयी सरकार को अपना केन्द्र बिन्दु आम आदमी को सशक्त बनाए रखने की जरूरत है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की लगभग 41.6 प्रतिशत आबादी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे है। 1990 से देश में असमानता के स्तर में भी भारी वृद्धि हो रही है। संसाधन के वितरण में असमानता, अवसरों की असमानता में बदल जाती है, जो भारत की आर्थिक नीति के घोषित लक्ष्य–समावेशी विकास को ही नकार देती है। इसी परिस्थिति में देश में चरम पंथी, माओवादी और नक्सलवादी के बीच असंतोष उत्पन्न किया है और यह असमानता एक भयंकर रोग है जो भारत में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, लैंगिक एवं राजनीतिक असमानता अन्यायकारी रूप धारण कर चुकी है। एक प्रगतिशील एवं सुदृढ़ व्यवस्था के लिये सरकार को दक्ष एवं पारदर्शी होने के साथ–साथ शासन के प्रति प्रतिबद्ध रहना बेहद आवश्यक है। दुनियाँ की हर व्यवस्थाओं में 'गर्वनेन्स' तथा 'स्ट्रेक्चर' को कुशल एवं पारदर्शी बनाने पर अधिक जोर दिया, जो भारत में नहीं किया जा सका। उसी के परिणामस्वरूप आज भारत अनेक आर्थिक संकटों के दौर से गुजर रहा है। समावेशी लोकतंत्र को पूरी तरह से हासिल करने के लिये नयी केन्द्र सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा। अर्थ व्यवस्था को फिर से तेजी के राह पर लाने के लिये पूंजी निवेश नीतियों के उदारीकरण समय और लागत के हिसाब से परियोजनाओं की कड़ी निगरानी, कराधान ढांचे में आमूल भूत सुधार की नींव डालने के साथ हीं सरकारी बकाये राशि तेजी से वसूली करने के लिये समय पर योजना बनानी होगी।

रंगराजन कमिटी के अध्ययनों एवं अनुशंसाओं के आलोक में नये बजट प्रस्तावों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली को यह विचार करना चाहिये कि 1990 के दशक से लागू आर्थिक सुधार और उदारीकरण से गरीब समूह को लाभ नहीं मिल पा रहा है और दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेट क्षेत्र सभी आर्थिक सुधारों से लाभान्वित हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप ही समाज का बड़ा समूह शासन से क्रुद्ध हो रहा है, जो लोकतंत्र के लिये खतरा उत्पन्न कर सकता है। विषमता में लगातार वृद्धि ने संविधान की अवधारणाओं और प्रावधानों का उल्लंघन कर देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकट उत्पन्न होने की संभावना बन सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गरीबों के हितों की रक्षा कर सकें और समाज में व्याप्त असंतोष को दूर करते हुए युवा वर्ग में एक नवीन उत्साह और विश्वास का सृजन कर सकें। अगर श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार देश में विभिन्न तबकों की महिलाओं, पिछड़े एवं दलितों का सशक्त करें। लोकतंत्र तभी काम कर सकता है जब समाज के सभी वर्गों के लोगों को प्रशासन में भागीदारी निर्णय लेने और समाज और राजनीति के प्रति जबावदेह होने हेतु सशक्त किया जाय।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की पहले बजट उपस्थापित होने के अवसर पर केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली को डा॰ जगन्नाथ मिश्र द्वारा भेजा गया पत्र।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की पहले बजट उपस्थापित होने के अवसर पर केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली को पत्र द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि गांधी जी ने रामराज की जो कल्पना की थी दरअसल वह बराबरी की व्यवस्था थी। वह अन्तिम आदमी की बात इसलिये करते थे। दुर्भाग्यवश उदारीकरण में अन्तिम आदमी के बारे में संजीदिगी से सोचने की परिपाटी पर ही विराम लगा दिया है जबतक इसमें बदलाव नहीं लाया जायेगा सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिये कठोर सरकारी कानून और बाध्यतायें लागू नहीं की जायेगी तो समावेशी विकास का लक्ष्य हासिल कर पाना मुश्किल होगा। अर्थ व्यवस्था को फिर से तेजी के राह पर लाने के लिये पूंजी निवेश नीतियों के उदारीकरण समय और लागत के हिसाब से परियोजनाओं की कड़ी निगरानी, कराधान ढांचे में आमूल भूत सुधार की नींव डालने के साथ हीं सरकारी बकाये राशि तेजी से वसूली करने के लिये समय पर योजना बनानी होगी। इससे राजस्व और राजकोषीय घाटे की भरपायी की जा सकती है। सरकारी बैंकों के डूबे हुए खातों में मोटे रकम अनुमान के मुताबिक करीब 1560 अरब रूपये की राशि फसी हुई है। यदि इसमें से दो तिहाई रकम वसूलने में भी वर्तमान सरकार सफल हो जाय तो खाद्य, ईंधन और खाद्यान्न पर दी जाने वाली सबसिडी की सालाना रकम करीब 2464 अरब रूपये में से आधी राशि की भरपायी हो जायगी। हाल ही में आई नमूना सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट देश में व्याप्त गरीबी की गवाही दे रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के ग्रामीण इलाकों में सबसे नीचले लोग औसतन महज 17 रूपये प्रतिदिन और शहरों में सबसे निर्धन लोग महज 23 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जीवन जीने को विवश हैं। डॉ॰ अम्बेदकर ने 26 नवम्बर, 1949 को राष्ट्र को चेताया था कि भारत में राजनीतिक समानता एवं दूसरी तरफ सामाजिक एवं आर्थिक असमानता का अंतर्विरोध स्थापित हो रहा है इसे शीघ्र समाप्त करने की जरुरत है, अन्यथा गैर–बराबरी के शिकार समूह राजनीतिक बराबरी में अपना विश्वास खो देंगे। आज 65 वर्ष के बाद भी अम्बेदकर की चेतावनी प्रासंगिक है। अगर श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार देश में समावेशी लोकतंत्र को सही अर्थो में बनाना चाहते हैं तो समाज के विभिन्न तबकों की महिलाओं, पिछड़े एवं दलितों का सशक्तिकरण करना पड़ेगा। समावेशी लोकतंत्र तभी काम कर सकता है जब समाज के सभी वर्गो के लोगों को प्रशासन में भागीदारी निर्णय लेने और समाज और राजनीति के प्रति जबावदेह होने हेतु सशक्त किया जाय। दरअसल भारत में न पूरी तरह सामंती व्यवस्था है न हीं पूरी तरह आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था हीं है। इस प्रकार भारत कहीं न कहीं इन दोनों ही व्यवस्थाओं के बीच जी रहा है। यह वर्तमान भारतीय समाज का अन्तर्विरोध है।

भारत ने जबसे नवउदारवादी नीतियों को अपनाया है तबसे अरबपतियों की संख्या और उनकी दौलत में तो नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई ही है, लेकिन मानव आबादी के सबसे निचले हिस्से की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। परिणाम यह हुआ कि विषमता की खाई लगातार चौड़ी होती चली गयी। भारत जैसे देश को बिल्कुल उपभोक्तावादी आर्थिक कार्यक्रमों के अनुरूप चलाना न तो संभव है और न उपयोगी ही। इस दृष्टि से नयी सरकार को अपना केन्द्र बिन्दु आम आदमी को सशक्त बनाए रखने की जरूरत है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की लगभग 41.6 प्रतिशत आबादी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे है। 1990 से देश में असमानता के स्तर में भी भारी वृद्धि हो रही है। संसाधन के वितरण में असमानता, अवसरों की असमानता में बदल जाती है, जो भारत की आर्थिक नीति के घोषित लक्ष्य–समावेशी विकास को ही नकार देती है। इसी परिस्थिति में देश में चरम पंथी, माओवादी और नक्सलवादी के बीच असंतोष उत्पन्न किया है और यह असमानता एक भयंकर रोग है जो भारत में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, लैंगिक एवं राजनीतिक असमानता अन्यायकारी रूप धारण कर चुकी है। यही मुख्य कारण है कि भारत की जनता नई आशा विश्वास के साथ श्री नरेन्द्र मोदी को सत्ता में लाने का निर्णय लिया। एक प्रगतिशील एवं सुदृढ़ व्यवस्था के लिये सरकार को दक्ष एवं पारदर्शी होने के साथ–साथ शासन के प्रति प्रतिबद्ध रहना बेहद आवश्यक है। दुनियाँ की हर व्यवस्थाओं में 'गर्वनेन्स' तथा 'स्ट्रेक्चर' को कुशल एवं पारदर्शी बनाने पर अधिक जोर दिया, जो भारत में नहीं किया जा सका। उसी के परिणामस्वरूप आज भारत अनेक आर्थिक संकटों के दौर से गुजर रहा है। समावेशी लोकतंत्र को पूरी तरह से हासिल करने के लिये नयी केन्द्र सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा।

डा॰ मिश्र ने पत्र में यह भी कहा है कि भारत में समावेशी लोकतंत्र की अनिवार्यताएं काफी हद तक युवाओं से जुड़ी हैं। युवाओं की अधिकारिता उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य उनके लैंगिक न्याय निचले स्तर पर प्रशासन में उनकी भागीदारी जैसे मसले समावेशी लोकतंत्र के लिये आवश्यक है। बजट प्रस्तावों में समावेशी लोकतंत्र के लिये युवा शक्तियों को आधी आबादी से जोड़कर देखना आवश्यक है। समावेशी लोकतंत्र को बजट प्रस्ताव तभी साकार कर सकता है जब महिला–युवको को सशक्तिकरण के लिये आर्थिक सामाजिक और कानूनी आयामों को व्यवहार में लाया जाय। बजट से युवाओं को अपेक्षा है कि समावेशी लोकतंत्र सतत समावेशी विकास के साथ आगे बढ सकता है और भारत सशक्त देशों के कतार में तभी खड़ा हो सकता है। भारत में आज जो वैश्विकरण का चेहरा उभर रहा है वो हमारे किये का ही परिणाम है। इसलिये हमारे वे मूल मर रहे हैं जो गाधीं, दीनदयाल उपाध्याय, पं॰ नेहरू, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉ॰ अम्बेदकर और श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने देश को दिये थे। इसकी पुनर्स्थापना श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार से अपेक्षित है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से सुशासन

आज प्रधानमंत्री श्री नेन्द्र मोदी को पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र द्वारा भेजे गये एक पत्र में कहा है कि भारत ने जबसे नवउदारवादी नीतियों को अपनाया है तबसे अरबपतियों की संख्या और उनकी दौलत में तो नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई ही है, लेकिन मानव आबादी के सबसे निचले हिस्से की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। परिणाम यह हुआ कि विषमता की खाई लगातार चौड़ी होती चली गई। भारत का सच यह है कि यहाँ लगभग आधे या आधे से अधिक लोग गरीबी में बसर कर रहे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की लगभग 41.6 प्रतिशत आबादी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे है। 1990 से देश में असमानता के स्तर में भी भारी वृद्धि हो रही है। वित्तीय परिसंपत्तियों का स्वामित्व सीमित हाथों में केन्द्रित है। प्रायः समस्त वित्तीय संपदा जनसंख्या के 1 प्रतिशत से भी कम लोगों के पास निहित है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि संसाधन के वितरण में असमानता, अवसरों की असमानता में बदल जाती है, जो भारत की आर्थिक नीति के घोषित लक्ष्य–समावेशी विकास को ही नकार देती है। वर्तमान नीतियों के कारण हीं देश में करोड़पतियों की संपदा दिन दूनी–रात चौगुनी बढ़ रही है। भारत में करोड़पतियों की संख्या में 22.2 फीसद का इजाफा हुआ है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने भी कहा है कि भारत ने पिछले 15 वर्षों में अरबपतियों की संपदा में 12 गुणा वृद्धि हुई है। यह अंतर्विरोध दर्शाता है कि देश में विकास की गति असंतुलित है। महज आंकड़ों की बाजीगरी से गरीबी मिटाने का सपना साकार नहीं होने वाला है। यह तो एक सामान्य तस्वीर है जो विषमता की रूपरेखा पेश करती है। लेकिन असल सवाल यह नहीं है बल्कि यह है कि ये गरीब लोकतंत्र के उस ढांचे में किस तरह से फिट बैठ पाएंगे जो अपनी जीविका चलाने में ही असमर्थ हों। क्या कोई ऐसा फार्मूला बनेगा, जिससे लोकतंत्र की सहभागिता में अमीरी या गरीबी अवरोधक न बनें? यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर देश की कम से कम आधी आबादी लोकतंत्र के अर्थ और उसके महत्व को समझने में हमेशा ही असमर्थ रहेगी।

असमानता एक भयंकर रोग है जो भारत में हर तरफ अपनी जड़ें मजबूती से जमाए हुए हैं। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, लैंगिक एवं राजनीतिक असमानता अन्यायकारी रूप धारण कर चुकी है। यह राजनीतिक लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था उसकी सामाजिक संरचना एवं आर्थिक आधार पर टिकी होती है। अलोकतांत्रिक समाज में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सफल होना असंभव है, इसकी सफलता के लिए सामाजिक लोकतंत्र एवं आर्थिक समानता एक पूर्व शर्त बन जाती है। भारतीय संविधान को संविधान सभा को सौंपते हुए इसके मुख्य शिल्पकार डॉ॰ अम्बेदकर ने 26 नवम्बर, 1949 को राष्ट्र को चेताया था, कि भारत में राजनीतिक समानता एवं दूसरी तरफ सामाजिक एवं आर्थिक असमानता का अंतर्विरोध स्थापित हो रहा है इसे शीघ्र समाप्त करने की जरूरत है अन्यथा गैर–बराबरी के शिकार समूह राजनीतिक बराबरी में अपना विश्वास खो देंगे। आज 65 साल बाद भी डॉ॰ अम्बेदकर की चेतावनी प्रासंगिक है। वर्तमान में अगर हम भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करें जिसकी वजह से समाज एवं अर्थव्यवस्था का लोकतंत्रीकरण नहीं हो पा रहा है तो यह सुनिश्चित हो जायेगा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की बुनियाद असमानता अत्याचार, अपमान, अन्याय एवं अलगाव जैसी भेदभावकारी अलोकतांत्रिक बीमारियों के ऊपर नहीं रखी जा सकती। भारत में आज लोकतंत्र एक प्रक्रियात्मक यंत्र के रूप में संचालित हो रहा है तो यह कहना गलत न होगा। भारत सरकार स्वीकार कर रही है कि 82 करोड़ लोग अपने लिए दो वक्त का खाना जुटाने में सक्षम नहीं हैं। यदि लोकतंत्र वर्तमान गति से काम करता रहा तो 65 साल सभी भारतीयों को अपना तन ढकने में और 130 साल सिर ढकने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यह एक गंभीर रोग की ओर इशारा करता है जबतक इसका कारण न जाना जाय और उसके निवारण की उचित प्रक्रिया न अपनायी जाय, भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना एवं रक्षा एक भ्रम ही रहेगा।

डा॰ मिश्र ने प्रधानमंत्री से कहा है कि सुशासन का अर्थ सरकार और सामाजिक क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच संवाद और निर्णय लेने की प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण होने के बावजूद प्रशासन की अवधारणा केवल सरकार तक ही सीमित प्रधानमंत्री नहीं रखना चाहते हैं। इसे वे राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के जटिल संबंधों के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया, क्रियान्वयन और उत्तरदायित्व के अंतर्संबंधों के रूप में देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की सोच है कि सुशासन के लिये जिन मूल्यों की आवश्यकता होती है उनमें मिलजुल कर निर्णय लेना, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, राजनीतिक प्रणाली में दक्ष और उत्तरदायी संरचना, कानून का शासन और निष्पक्ष समानता शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी से मुलाकात के क्रम में माओवादी और नक्सलवादी गतिविधियों के कारणों का पता लगाने की अपील की।

15 अगस्त, 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध सम्बोधन 'नियति से साक्षात्कार' में जन प्रतिनिधियों और सेवियों के समक्ष इन शब्दों में उनके दायित्वों का उल्लेख किया था। 'गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों को खत्म करने के लिये एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थान की रचना आवश्यक है, जो महिलाओं और पुरुषों के जीवन में न्याय और परिपूर्णता सुनिश्चित करें।'

इसी पृष्ठभूमि में डा॰ मिश्र ने मुख्यमंत्री को बतलाया कि माओवादी एवं नक्सलवादी सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक संकट है और इससे कारगर ढंग से निपटने के लिए, इसके कारणों का पता लगाना आवश्यक है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि संसाधन के वितरण में असमानता, अवसरों की असमानता में बदल जाती है, जो भारत की आर्थिक नीति के घोषित लक्ष्य–समावेशी विकास को ही नकार देती है। भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के संरक्षण के अनेक प्रावधान हैं। फिर भी इन कमजोर वर्गों का उत्पीड़न जारी है। इसे मुद्दा बनाकर ही नक्सली और माओवादी लोकतंत्र को इन वर्गों के बीच निरर्थक बताते हुए राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन का विचार प्रसारित करते हैं। गरीबों को इतना सजग बनाने की जरूरत है कि कोई उनका शोषण न कर सके। गरीबों के अधिकारों का संरक्षण करने की जरूरत है और यह तभी संभव है जब हम उन्हें अपने अधिकारों और दायित्व के बारे में जागरूक करें। मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में तत्कालिन प्रधानमंत्री ने देश के समक्ष सर्वाधिक गंभीर चुनौतियों में से नक्सल एवं माओवादी, वाममार्गी चरमपंथी हिंसक विद्रोह के मुख्य कारणों की जानकारी दी थी। ऐसे हिंसात्मक विद्रोह के लिए शोषण तथा मजदूरी दर को कृत्रिम तरीके से निम्न स्तर पर बनाये रखने की साजिश गैर बराबरी को बढ़ावा देती है। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, संसाधन प्राप्त करने के अवसरों का अभाव, खेती का पिछड़ापन, भूमि सुधार का अभाव आदि जिम्मेदार हैं। इन विषयों पर राष्ट्रीय स्तरों पर विचार–विमर्श हुआ है। परंतु यह विस्मयकारी है कि इन वर्षों में ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि होती गई है। सरकार ने इन चिन्हित घटनाओं के कारणों में जिन ब्रिन्दुओं को चिन्हित किया है उनपर कोई प्रभावकारी रणनीत नहीं बनायी गई है और न हीं इन घटनाओं को थामने के लिए सकारात्मक, रचनात्मक तथा विकासमूलक कार्यक्रम हीं कार्यान्वित किया जा सका है। यह निर्विवाद है कि आदिवासियों, दलितों में समस्या गंभीर और चिन्तनीय है। गैर बराबरी वाली सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ एक कारण है जिससे देश में अमीरी–गरीबी के बीच के अंतर में अद्‌भूत वृद्धि होती रही है और अमीरी गरीबी के बीच गैर बराबरी इन वर्षों में लगातार बढती गई है। सामाजिक आर्थिक रुप से असमावेशित तबकों को विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सका है। विकास से वंचित समूहों को भागीदारी नहीं दे पाना नक्सली एवं माओवादी आंदोलन का मुख्य कारण हो सकता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण आबादी में 47 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 37 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हैं। यद्यपि माओवाद एवं नक्सलवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता, तथापि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दूर–दराज के क्षेत्रों में बहुत से लोग ऐसी स्थितियों में रहते हैं जहां यह रोग पनप रहा है। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि लंबे समय तक मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन विवादों, माओवाद एवं नक्सलवाद का मूल कारण है। बड़े पैमाने पर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक भेदभाव राज्य के भीतर तथा बाहर विवादों को जन्म देते हैं। इसलिए, ऐसे विवादों को रोकने के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को साकार करना पड़ेगा और इन अधिकारों को महत्व दिया जाना आवश्यक है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के अधिकारों की लगातार अवहेलना होना माओवाद एवं नक्सलवाद का कारणवाचक कारक है। विवादों, माओवाद एवं नक्सलवाद के समाधान की सटीक रणनीति से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मानव अधिकार मानव की अनिवार्य महत्ता को पहचान देते हैं। यह भी वास्तविकता है कि माओवाद एवं नक्सलवाद निर्दोष लोगों के मानवाधिकारों की जड पर वार करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अतिवाद की समस्याओं के प्रति अधिक सजगता दर्शायी है क्योंकि ये अधिकार आज मानवता के प्रति गंभीर खतरों के रूप में प्रकट हुए हैं। चूंकि ये केवल कानून और व्यवसथा के मुद्दे नहीं हैं और इनके गहरे सर्वव्यापक आर्थिक आयाम और मूल हैं, इसलिए इन गतिविधियों की रोकथाम और इनके नियंत्रण के लिए कानूनों का कारगर ढंग से प्रवर्त्तन और सुशासन अपरिहार्य है। माओवाद एवं नक्सलवाद से निपटने के लिए मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्द्धन अनिवार्य है।

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना के तत्वावधान में अन्य वर्षों की भांति डा॰ जगन्नाथ मिश्र के 78वें जन्म–दिन के अवसर पर "बिहार की पीड़ा से जुड़िए" कार्यक्रम की कड़ी में "बिहार के चौमुखी विकास में भूमि नीति" विषय पर आयोजित परिसंवाद।

आज यहाँ बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना के तत्वावधान में अन्य वर्षों की भांति डा॰ जगन्नाथ मिश्र के **78वें** जन्म–दिन के अवसर पर **"बिहार की पीड़ा से जुड़िए"** कार्यक्रम की कड़ी में **"बिहार के चौमुखी विकास में भूमि नीति"** विषय पर बी॰आई॰ए॰ के सभागार में आयोजित परिसंवाद का **उद्घाटन** करते हुए **श्री अवधेश नारायण सिंह,** माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् ने कहा कि भूमि सुधार को पूरा करने के लिए भूमि अभिलेखों का अद्यतन कराना भी आवश्यक है जिसकी आवश्यकता कृषकों को ऋण के लिए भी होती है। बिहार में पहले जमींदारी प्रथा लागू थी, फलस्वरूप अभिलेखों के निहित तथ्यों तथा वास्तविक स्थिति में अंतर रहा है। अतः इन अभिलेखों को अद्यतन करने और उनमें वास्तविक स्थिति सन्निहित करने का कार्यक्रम लागू किया जाए ताकि रैयतों को हक आदि का पूर्ण विवरण इन अभिलेखों से स्पष्ट प्रतीत हो सके। प्रत्येक कृषक को एक पासबुक देने की सरकार की नीति है। इस पासबुक में उनकी जमीन का ब्योरा, जमीन की किस्म का ब्योरा तथा उक्त जमीन पर उनका आधिपत्य एवं खेसरा, नक्शे इत्यादि की प्रतिलिपि समेकित की जाए। भूमि सुधार कानून में यथा संशोधन कर कृषकों को उनकी जमीन पर उनके स्वामित्व के प्रमाण–पत्र का स्वरूप इस पासबुक को समझा जाए। चकबंदी के कार्यक्रम को सरकार को अगले 5 वर्षों में पूरा कर लेना चाहिये। भूमिहीनों को गृहस्थल प्रदान करने के कार्यक्रम को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने के लिए समुचित कार्रवाई की जाए।

डॉ॰ एस॰आर॰ हाशमी, पूर्व सदस्य, योजना आयोग भारत सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में जमीन के महत्व का निर्धारण अर्थशास्त्र के शास्त्रीय सिद्धांतों के मुताबिक नहीं किया जा सकता। एक भूमिहीन व्यक्ति के लिये जमीन का आर्थिक महत्व महज आजीविका के साधन या वासस्थल के रूप में ही नहीं बल्कि आत्ममहत्त्व, आत्मसम्मान व स्वनियोजन के आधार के रूप में कई गुणा ज्यादा है। आर्थिक रूप से पिछड़े बिहार राज्य में कृषि ही बहुसंख्यक आबादी के जीवनयापन का आधार है।

डॉ॰ (प्रो॰) नवल किशोर चौधरी, प्राचार्य, पटना महाविद्यालय ने कहा कि संविधान की मंशा थी कि सरकारी प्रक्रिया सामाजिक–आर्थिक असमानताओं को उत्तरोत्तर घटाती रहने वाली हो। संवैधानिक और कानून चलाने वाली एजेंसियाँ जिन्हें हासिये के समुदायों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया, वे यथेष्ट सहायता प्रदान करने में फेल हो गयी हैं। समान जीवन स्तर और समान जीवन संवैधानिक अधिकार ही नहीं, बुनियादी मानवाधिकार हैं।

श्री रामउपदेश सिंह, भा॰प्र॰से॰ (अ॰प्रा॰) ने कहा कि आज बड़ी संख्या में कृषि मजदूर भूमिहीन हैं। ऐसे प्रत्येक परिवार को यदि भूमि मिल सके तो वंचित परिवारों की गरीबी दूर करने के प्रयास को एक मजबूत आधार मिल सकेगा। लघु सिंचाई, जल व मिट्टी संरक्षण के लिए जो भी निवेश होगा उसका लाभ इन परिवारों तक पहुंचाने की संभावनाएं उत्पन्न होंगी। अभीतक ग्रामीण भूमिहीनों के लिए कृषि भूमि के वितरण की प्रगति बहुत धीमी रही है।

डॉ॰ संजीव मिश्र, वित्तीय सलाहकार एन.एस.जी. एवं सी.आर.पी.एफ., गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि भूमि वितरण की विषमताओं को दूर करने की दिशा में बिहार में सरकारी प्रयास अबतक अपर्याप्त रहे हैं, यद्यपि इस मामले में आजादी के बाद के दशकों में राज्य में कई महत्वपूर्ण कदम हुए हैं। भूमि सुधार विषय पर सबसे पहले कानून बनाने वाले राज्यों में बिहार भी शामिल है, जहाँ स्वतंत्रता के तुरंत बाद वर्ष 1950 में भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया; इस कानून के द्वारा भू–धारकों के विभिन्न गैर–भूमि सम्पतियों, जैसे वन, जलाशय, खदान, बाजार इत्यादि पर स्वामित्व समाप्त कर दिया गया।

परिसंवाद की अध्यक्षता करते हुए **डॉ॰ वी॰एस॰ दूबे,** भा॰प्र॰से॰ (अ॰प्रा॰) ने कहा कि भूमि सुधार राष्ट्रीय कार्यक्रम का महत्वपूर्ण मुद्दा आज भी बना हुआ है। भूमि सुधार संबंधी नीति में इस तरह के उपाय करने की आवश्यकता है कि जमीन के मामले में समाज में समानता आवे, भूमि संबंधों में किसी तरह के शोषण की गुंजाइश नहीं रहे तथा जोतनेवाले को जमीन मिले। भूमि सुधार का उद्देश्य है कि मध्यवर्ती हितों का अस्तित्व समाप्त किया जाए, हदबंदी से फाजिल जमीन का फिर से वितरण हो, कृषि भूमि की चकबंदी की जाए तथा भूमि–अभिलेखों को अद्यतन बनाया जाए। बिहार में इस दिशा में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है।

डॉ॰ प्यारे लाल, संस्थान के निदेशक, ने अपने सम्बोधन भाषण में कहा कि डा॰ मिश्र ने मुख्यमंत्री के रुप में 1976 में राष्ट्रीय विकास परिषद् में ही कहा था कि बिहार की यह बदनसीबी ही है कि इस तेज रफ्तार के राष्ट्रीय दौर में आगे बढ़ने के बजाय राज्य पिछड़ता रहा है। डा॰ मिश्र के जन्म–दिन पर **"बिहार की पीड़ा से जुड़िये"** कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक वर्ष विभिन्न विषयों पर परिसंवाद आयोजित किये जाते रहे हैं। बिहार की विभिन्न समस्याओं पर परिसंवाद आयोजित लगातार 1984 से किये जा रहे हैं। बिहार के साथ केन्द्र द्वारा किए गये अन्याय के निराकरण के लिए जरूरत इस बात की है कि बिहार को विशेष कोटि के राज्य का दर्जा दिया जाए और उसी के अनुरूप वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाए।

बिहार के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी को पत्र लिखकर बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिये जनहित में सुझाव दिये।

आज मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री, बिहार श्री जीतन राम माँझी को अहम् सुझाव दिये हैं।

डा॰ मिश्र ने अपने उस पत्र में कहा है कि श्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार निरोध अभियान को सरजमीन पर व्यावहारिक रूप दिया। 'एण्टीकरप्शन एक्ट' पारित कर ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों की भी सम्पति जब्त कराने की व्यवस्था की। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिये लोक सेवा अधिनियम भी श्री नीतीश कुमार सरकार ने पारित किया। इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा। किन्तु, राज्य के गरीबों को बुनियादी सुविधायें देने के लिये लगातार किये जा रहे व्यय का अधिकांश भाग बिचौलियों के बीच बंटता गया है। यह जाहिर है कि श्री नीतीश कुमार के प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव निचले स्तर के प्रशासन तक नहीं पड़ सके हैं। इसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार की जो घटनाएँ प्रतिवेदित होती रहती हैं उनपर रोक लगाने की आवश्यकता है। लोगों में भ्रष्टाचार के कारण परेशानी बढ़ रही है। अच्छी से अच्छी योजनाओं और लाभदायक कार्यक्रमों का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। स्पष्ट है कि सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग होता रहा है। इसके मूल में प्रशासन का दायित्वविहीन होना है; और इसलिए उत्तरादायित्व का निर्धारण आवश्यक हो गया है। विभिन्न कार्यक्रमों में जनता की सहभागिता नहीं हो पायी। विधायक, सांसद तथा संगठन के पदाधिकारी उदासीन होते गये। डा॰ मिश्र ने वर्तमान मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं ईमानदारी का हवाला देते हुए बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त होने की आशा व्यक्त की है। उन्होंने इसके लिये कार्य–संस्कृति में बदलाव की आवश्यकता बतलायी है, विकास की परिकल्पनाओं को आकार देना एवं व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त कराना उनके अनुसार अनिवार्य हो गया है।

इसलिए डा॰ मिश्र ने भ्रष्टाचार से मुक्त होने एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिये तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित अधिनियमों को दृढ़तापूर्वक लागू करने का परामर्श दिया है :– (1) लोक सेवा का अधिनियम जो 15 अगस्त, 2011 से सम्पूर्ण राज्य में लागू हुआ है; इस अधिनियम के तहत आम जनता से जुड़ी हुई सेवाओं को शामिल किया गया है और अब निर्धारित समय–सीमा के अन्दर सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं। सेवाएं उपलब्ध नहीं होने पर नागरिक द्वारा अपील भी की जा सकती है। सुनवाई भी हो सकती है एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण भी किया जा सकता है। इस अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिये जवाबदेही का एक नया रूप रूप हो सकता है और आम नागरिकों को, विशेषकर कमजोर वर्ग को बुनियादी सेवाएं भी मिल सकती हैं। (2) 'बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण 1983'– डा॰ मिश्र ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में, अपने शासनकाल में इस अधिनियम को पारित कराने का उल्लेख किया है और वर्तमान मुख्यमंत्री का भी इसे लागू करने पर ध्यान आकृष्ट किया है।

डा॰ मिश्र का मानना है कि इस नियम के अक्षरशः लागू किये जाने पर चौतरफा सुधार किया जा सकता है। इस अधिनियम की एक प्रति संलग्न करते हुए सम्बन्धित पदाधिकारियों और व्यक्तियों के विरूद्ध मामला उठाये जाने, एफ.आई.आर. किये जाने आदि के प्रावधानों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार इस दूसरे अधिनियम को सख्ती से लागू करने पर बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त करने में बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में अगले पाँच वर्षों की केन्द्र सरकार की प्राथमिकताओं के साथ–साथ अन्य चुनावी वायदों का श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा समावेश किये जाने पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री को बधाई दी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी की सरकार के बाद पहलीबार राजनीतिक स्थायित्व जनादेश से प्राप्त करने के उपरांत श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार सत्तारूढ़ हुयी है। सरकार अगले पाँच वर्षीय कार्य योजनाओं, पार्टी की चुनावी वायदों के साथ–साथ अन्य घोषित कार्यक्रमों को पूरा करने का उल्लेख 16वीं लोक सभा के प्रथम संयुक्त अधिवेशन में महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने अपने अभिभाषण में किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में श्री मोदी की सरकार ने अपने कार्यक्रमों को एक नया रूप और गति देने की घोषणा की है।

अगले पाँच वर्षों के लिये सरकार ने अपनी नीतियों में समाज के गरीब एवं कमोजर वर्ग के साथ–साथ अल्पसंख्यकों पर विशेष जोर दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन बातों को खासतौर से रेखांकित किया गया है जो जनादेश से अपेक्षित है और उन्हीं नीतियों के कारण श्री नरेन्द्र मोदी को जनादेश भी दिया है। जनता ने श्री मोदी की नीयतों पर अपनी सहमति जताई है। इसी जनादेश से उत्साहित होकर सरकार ने कार्य योजनाओं एवं पाँच साल की प्राथमिकताऐं निर्धारित की हैं। इन बिन्दुओं में सरकार की बुनियादी सोच की झलक मिलती है। अभिभाषण को सरसरी तौर पर देखने से स्पष्ट दीखता है कि इन घोषणाओं के अंतर्गत अगले पाँच वर्षों में देश की सभी प्रमुख जन समस्याओं के निराकरण का संकेत दीखता है। वस्तुतः समावेशी विकास एवं समरसता को भारत के संवैधानिक मूल अधिकार की प्राप्ति की दिशा में सबसे बड़ा क्रान्तिकारी एवं सराहनीय कदम कहा जायेगा। संसद एवं विधान मंडल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संवैधानिक संशोधन संसद और विधान मंडल में अनेकों वर्षों से लम्बित है उसे पारित कराने की घोषणा की गयी है।

भारत का संविधान समानता की भावना से प्रेरित एक गणतांत्रिक दस्तावेज है। इसमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता जैसे गणतांत्रिक मूल्य संजोए हुए हैं। इसका मूल उद्देश्य समाज में व्याप्त हर प्रकार के भेदभाव को मिटाना है, क्योंकि केवल भेदभाव–रहित सामाजिक व्यवस्था में ही स्वतंत्रता को महफूज किया जा सकता है। इन्हीं अवधारणाओं और संवैधानिक प्रावधानों की पिछले शासन ने न केवल अनदेखी की बल्कि उसने निष्क्रिय किया। इससे भी बुरी बात यह हुई कि कांग्रेस नीत यूपीए ने भारत को भ्रष्टाचार, घोटालों और निष्क्रियता का पर्याय विश्वस्तर पर दिखा दिया। गंभीर बात यह हुई कि तत्कालीन सरकार पूरी तरह से निर्णय और नीतिगत अपंगता से गुजरती रही। पिछली सरकार की मंद आर्थिक वृद्धि, अप्रत्याशित महंगाई और अस्थिर मुद्रा इसके सबसे ज्यादा दृश्यमान आयाम हैं। राष्ट्रपति के भाषण में कहा गया है कि इस समय समस्याओं के त्वरित समाधान की जरूरत है। कृषि सहित अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की बाहरी और आतंरिक चुनौतियाँ, सशक्तिकरण, शासन और नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न है। उसे विश्व में शांतिपूर्ण और समाधानकारी व्यवस्था स्थापित करने के लिये बुलंद आवाज को सुनाया जाना सुनिश्चित करना है तो भारत को उसके लिये कमर कसनी होगी और अपनी चुनौतियों के लिये कटिबद्धता के साथ तुरंत तत्पर होना पड़ेगा और उनका हल खोजना पड़ेगा। अगर राष्ट्र गंभीरता से जुट जाएं तो ये लक्ष्य हासिल किये जा सकते हैं। देश को ऐसी सरकार की आवश्यकता है जिसके पास मजबूत संकल्प और राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। राष्ट्रपति ने कहा है कि आज भारत को दुर्लभ क्षमता और डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी तथा डिमांड के अवसर का वरदान मिला हुआ है। अगर हम इन्हें समेकित करने और इस्तेमाल करने में सक्षम हुए, तो हम उन ऊँचाइयों को हासिल कर सकते हैं, जिनका भारत पात्र है। श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के साथ 16वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है जैसा कि राष्ट्रपति ने 26 जनवरी को राष्ट्र से एक दल को बहुमत देने की अपील की थी।

भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण विजय के लिये भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई – डा॰ जगन्नाथ मिश्र।

16वीं लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण विजय के लिये भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित प्रधानमंत्री उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने अपने संदेश में कहा है कि भारत की समावेशी विकास में निरंतरता बनाये रखने और भारत की जनता ने आत्म विश्वास बनाये रखने के लिये भारतीय जनता पार्टी को केन्द्र में एक दल की सरकार बनाने के लिये 1984 के बाद यह अभूतपूर्व जीत हुई है। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के मतदाताओं ने अटूट विश्वास उत्पन्न कर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की पुनः साख स्थापित की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में और चुनावी भाषणों में सभी वर्गों के विकास के लिये संकल्प दिखाया है। उससे भारत की जनता में आत्म विश्वास उत्पन्न हुआ है। दुनिया में पुनः पं॰ जवाहर लाल नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी की शासनकाल की तरह अंतर्राष्ट्रीयजगत में महत्व और मर्यादा स्थापित होने की संभावना बनायी है। पं॰ जवाहर लाल नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी ने महत्वपूर्ण गौरवपूर्ण विजय प्राप्त की थी। उसके बाद 1984 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की शहादत से बहुमत मिला था। उसके बाद इसी चुनाव में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देकर भारत की जनता ने एक स्थिर मजबूत और निर्णयाक सरकार बनाने का जनादेश श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिया है। यह जनादेश यह भी प्रमाणित करता है कि पूरी जनता संविधान की अवधारणा और प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है। 125 करोड़ जनता की समावेशी विकास की संभावना मोदी के नेतृत्व में दिखती है। एक स्थिर मजबूत तथा एक दलीय सरकार से हीं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सरकार किसी कठोर निर्णय ले सकती है। भारत की मतदाताओं को विशेष रूप से डा॰ मिश्र ने बधाई दी है कि जब देश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संकटों से घिरा हुआ है। वैसे समय में श्री मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर निःश्चय ही अह्म भूमिका का निर्वहन किया है।

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान के तत्वावधान में पूर्व रेलमंत्री पं० ललित नारायण मिश्र के 39वें बलिदान दिवस के अवसर पर "ललित बाबू एक विलक्षण व्यक्तित्व" विषय पर आयोजित परिसंवाद

आज बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान के तत्वावधान में पूर्व रेलमंत्री पं० ललित नारायण मिश्र के **39वें बलिदान दिवस** के अवसर पर संस्थान के सभागार में **"ललित बाबू एक विलक्षण व्यक्तित्व"** विषय पर आयोजित परिसंवाद को सम्बोधित करते हुए संस्थान के निदेशक, डॉ० प्यारे लाल ने कहा कि राष्ट्रीय एवं बिहार की राजनीति के पुरोधा, लोकप्रियता के रहनुमा ललित बाबू राजनीति में प्रखर नेता, सांसद तथा केन्द्रीय मंत्री के रूप में मार्गदर्शक के रूप में लम्बे समय तक बहुमूल्य योगदान के लिए याद किये जाते रहेंगे। वे एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी पुरूष थे, जो अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता, धर्मनिरपेक्षता, प्रशासनिक दक्षता, राष्ट्र–भक्ति और निःस्वार्थ जन–सेवा के लिए जन–जन में चर्चित हैं। महात्मा गांधी, श्रीमती इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या की कड़ी में ललित बाबू की हत्या स्वतः जुड़ जाती है, क्योंकि ये हत्याएँ साम्प्रदायिक और उग्रवादी विचारों से प्रेरित होकर की गईं। किन्तु सबसे दुखद पक्ष तो यह है कि इन घटनाओं के बावजूद राष्ट्र ऐसे अबांछित तत्वों के विरुद्ध सजग एवं सक्रिय नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी कर्मभूमि मिथिलांचल की राष्ट्रीय पहचान बनाने में पूरी तन्मयता से प्रयास किया। उन्होंने मिथिला चित्रकला को देश–विदेश में प्रचारित कर उसकी अलग पहचान बनवायी। उनके विचार और क्रियाकलापों में गांधी, बिनोवा, नेहरु और श्रीमती इन्दिरा गांधी के सिद्धांत निरंतर परिलक्षित होते रहे। उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत रहता था।

डॉ० प्यारे लाल एवं अन्य सभी उपस्थित लोगों ने ललित बाबू के चित्र पर माला अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

इस परिसंवाद में भाग लेने वालों में प्रमुख थेः– श्री बच्चा ठाकुर, भा.प्र.से० (अ०प्रा०), श्री बाबू ना० झा, श्री श्याम बिहारी मिश्र, डा० आई.ए० खान, श्री अरशद अहमद, श्री बी.डी० राम, रामबाबू राय, प्रो० श्याम नारायण चौधरी, उपेन्द्र ना० विद्यार्थी, रघुवीर मोची, कृष्ण कुमार ठाकुर तथा अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

ललित बाबू की स्मृति में बेगूसराय जिला के सिमरिया घाट में राजकीय समारोह।

आज ललित बाबू के **39वें बलिदान दिवस** के अवसर पर राजकीय आयोजन सिमरियाघाट में हुआ जहाँ ललित बाबू का अस्थि–विसर्जन किया गया था। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री, श्री पी॰के॰ शाही, बेगूसराय के जिला पदाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, सिमरिया ने माल्यार्पण कर ललित बाबू को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष श्री राम नारायण सिंह, श्री चितरंजन प्रसाद सिंह, जद (यू) अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री प्रमोद कुमार शर्मा के अलावे प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्तागण भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

एक अन्य आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा परिसर, मुजफ्फरपुर स्थित ललित नारायण मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में ललित बाबू की मूर्त्ति पर माल्यार्पण किया गया एवं उन्हें श्रद्धा–सुमन अर्पित किये गये।

ललित बाबू की 39वीं पुण्य–तिथि राजकीय बलिदान–दिवस के रुप में बलुआ बाजार (सुपौल) में सम्पन्न हुआ जिसे बिहार सरकार के मंत्री श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने संबोधित किया।

आज पूर्व रेलमंत्री शहीद ललित नारायण मिश्र की **39वीं** पुण्य–तिथि के अवसर पर उनके पैतृक गाँव सुपौल जिला के अंतर्गत बलुआ बाजार में **'बलिदान–दिवस'** राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। समारोह के प्रारंभ में ललित बाबू की समाधि एवं प्रतिमा पर बिहार सरकार की ओर से विधि योजना एवं विकास विभाग मंत्री, श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने माल्यार्पण किया और आरक्षी बल ने मातमी गारद सलामी दी। इस अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ललित बाबू ने बिहार को पिछड़ापन से निकालने के लिए अनेक परियोजनाएं प्रारंभ कराई और उन्होंने कोशी अंचल को बाढ़ की विभीषिका से बचाने एवं किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए कोशी योजना को कार्यान्वित कराया। उन्होंने अपनी योग्यता एवं सक्रियता से केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री के रुप में बिहार एवं देश की उल्लेखनीय सेवा की। पिछडे बिहार को मुख्यधारा में लाने के लिए वे निरंतर प्रतिबद्ध रहे। बिहार में ललित बाबू की सोच एवं कल्पना के अनुरूप श्री नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले आठ वर्षों में बिहार में विकास की नई संभावना बनाई है। बिहार की दिशाहीनता, विकासहीनता और उद्योगविहीनता समाप्त हुई है और क्षत–विक्षत प्रशासकीय ढांचें में परिवर्तन हुआ है। ललित बाबू अपनी कर्मभूमि मिथिलांचल की राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए पूरी तन्मयता के साथ प्रयास किया। राज्य सरकार कोशी के पुनर्वास एवं बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए हर संभव कार्य कर रही है।

इस समारोह में विधायक श्री नीरज कुमार सिंह 'बबलू', श्री उदय गोईत, पूर्व विधायक के अतिरिक्त, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, सुपौल, अनुमंडलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, वीरपुर, श्री रंजीत कुमार मिश्र, श्री जयकृष्ण गुरमैता, प्रो॰ आनन्द मिश्र, प्रो॰ रामचन्द्र मंडल, श्रीमती आशा रानी सिंह, श्री विश्वम्भर मिश्र तथा सभी राजनीतिक दलों के साथ–साथ सभी पंचायतों के मुखिया वृन्द, सरपंच एवं बड़ी संख्या में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा एवं अररिया के लोगों ने भाग लिया।

डॉ॰ संजीव मिश्रा, मुख्य लेखा नियंत्रक, गृह मंत्रालय को पदोन्नति देते हुए भारत सरकार ने संयुक्त सचिव बनाया।

बिहार राज्य के सुपौल जिला के भारतीय केन्द्रीय लेखा सेवा के पदाधिकारी डॉ॰ संजीव मिश्रा जो वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्रालय में मुख्य लेखा नियंत्रक के पद पर पदस्थापित थे उन्हें भारत सरकार ने प्रोन्नति देकर संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार) के रूप में पदस्थापित किया है। उन्होंने अपना पद भार ग्रहण कर लिया है।

डॉ॰ मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, टोकियो से एम॰ए॰, भारत सरकार के प्रबंधन शिक्षण संस्थान गुड़गाँव से एम॰बी॰ए॰ की डिग्री एवं जामिया–मिलिया विश्वविद्यालय, दिल्ली से अर्थशास्त्र में पीएच॰ डी॰ की उपाधि हासिल की। वे संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक के अधीन अनेक देशों में पदस्थापित रह चुके हैं।

नई दिल्ली में मेदान्ता अस्पताल से 47 दिनों के चिकित्सोपरांत डॉ० जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री के पूर्ण स्वस्थ्य होने पर वे अस्पताल द्वारा डिसचार्ज किये गये।

पिछले सात जुलाई को पटने में डॉ० जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री के अस्वस्थ होने पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एयर एम्बुलेन्स से उन्हे दिल्ली के मेंदान्ता अस्पताल में गहन चिकित्सा के लिए भेजा। वहाँ यूरोलॉजी के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पद्म श्री डॉ० नर्मदा प्रसाद गुप्ता ने 22 अगस्त 2013 को सफल शल्य चिकित्सा द्वारा उनकी यूरोलॉजी संबंधी समस्या का उपचार किया। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ० आर०आर० काशीबाल ने वहीं अपनी देख–रेख में पूरी चिकित्सा व्यवस्था करवायी। साथ ही न्यूरो विशेषज्ञ डॉ० अरूण गर्ग तथा डॉ० जे० मिश्रा ने उनकी चिकित्सा व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान किया।

डॉ० मिश्र आज पूर्ण स्वस्थ्य होकर अस्पताल से डिसचार्ज किये गये और वे अभी कुछ दिनों तक दिल्ली में ही रहकर चिकित्सकों से सम्पर्क बनाये रखेंगें। डॉ० मिश्र के अस्वस्थ होने से सम्पूर्ण राजनीतिक सामाजिक जीवन में चिंता बनी हुई थी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की उदारता पूर्वक व्यवहार से चिकित्सा की पूरी व्यवस्था की गई। इसके लिए राज्य के सभी लागों ने सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हे बधाई दी। वहीं डॉ० मिश्र ने मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा व्यवस्था करवाने के लिए आभार प्रकट करते हुए उन्हें विशेष रूप से बधाई दी है।

डॉ० मिश्र के स्वस्थ्य होने पर सभी क्षेत्रों के लोगों में प्रसन्नता व्याप्त है। इस अवसर पर वे अपने सभी शुभचिन्तकों, समर्थकों, सहयोगियों और सम्बंधियों को उन लोगो द्वारा दी गयी शुभकामनाओं के लिए आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया ।

केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्री, श्री के॰ रहमान से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को नियुक्तियों में मुसलमानों की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाये जाने का निदेश दिये जाने हेतु डा॰ जगन्नाथ मिश्र की अपील।

मुसलमानों की स्थिति में सुधार के लिए न्यायमूर्ति सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र आयोगों की अनुशंसाओं के 6 वर्ष बाद भी केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह निदेश नहीं दिया है कि पुलिस एवं अर्द्ध सैनिक संगठनों में मुसलमानों की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाय। केन्द्र सरकार द्वारा मुसलमानों की भर्त्ती का विशेष अभियान चलाये जाने का निदेश राज्य सरकारों को दिया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र कमिटी ने आंकड़ों के आधार पर मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं नियोजन की स्थिति के जो आंकड़े दिये हैं वे काफी चिन्ताजनक हैं। इन दोनों आयोगों द्वारा किये गये अध्ययन के मुताबिक पुलिस में एवं अन्य सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों का अनुपात उनकी संख्या की तुलना में बहुत कम है। देश में अल्पसंख्यकों की कुल जन संख्या 16.4 प्रतिशत में से 14 प्रतिशत मुसलमान हैं। जबकि पुलिस एवं अन्य सरकारी सेवाओं में मात्र 4 प्रतिशत है। इस असंतुलन को ठीक करने की आवश्यकता है। वह हमारी विकास प्रक्रिया के एक भारी असंतुलन को दर्शाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों एवं तबकों के बीच बल्कि समुदायों के स्तर पर भी गहरी खाई है। सच्चर की रिपोर्ट बतलाती है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या नौकरियों अथवा कारोबारों का मुसलमान हिन्दुओं की तुलना में बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के मुकाबले में पिछड़े हुए हैं। कई मायनों में उनकी हालत हिन्दू समाज के दलितों से भी खराब है। इसलिये सामाजिक सामंजस्य और राष्ट्रीय एकता की मजबूती के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सच्चर समिति ने कई सिफारिशें भी की हैं। इस समिति की रिपोर्ट स्थापित करती है कि मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी वाले राज्यों में ही उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। मुसलमान बाहुल्य गांव में स्कूल, पेयजल जैसे बुनियादी ढांचागत सुविधाओं से वे वंचित हैं। पिछले वर्षों में मुसलमानों की भर्त्ती के लिए एवं सरकारी नियोजनों में 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जो अभियान चलाये गये हैं उनका प्रभावकारी नतीजा अभीतक सामने नहीं आया है। भारत सरकार ने मुसलमानों के लिए विशेष आवंटन अवश्य किया है परंतु एक तो मुसलमानों के अनुपात में यह विशेष आवंटन बहुत ही कम है, दूसरा यह कि आवंटित धन राशि का उपयोग भी विभिन्न राज्य सरकारों ने नहीं किया है। इस वर्ष के बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 4600 करोड़ का उपबंध किया गया है जबकि दलित के लिए 37 हजार करोड़ और आदिवासियों के लिए 34 हजार करोड़ जबकि मुसलमान की आबादी दलित के करीब है। सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र आयोग ने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवा में उनकी आबादी का 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होने पर विस्मय प्रकट करते हुए उनके लिए पिछड़े वर्गों की तरह सरकारी सेवाओं में आरक्षण की अनुशंसा की है। इस समय आइ॰ए॰एस॰ में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मात्र 2 प्रतिशत हैं। जबकि आइ॰पी॰एस॰ में 2.5 है और आइ॰एफ॰एस॰ में उनका अनुपात 1.5 प्रतिशत ही है तो ऐसी अवस्था में उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्र अधिक से अधिक विभिन्न राज्यों में स्थापित किये जाने चाहिए। पुलिस सेवाओं में उनकी स्थिति सोचनीय है। उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या 21 प्रतिशत है जबकि ये पुलिस सेवा में मात्र 5 प्रतिशत ही है। पश्चिम बंगाल में इनकी जनसंख्या 29 प्रतिशत है जबकि पुलिस में 7 प्रतिशत हैं। बिहार में इनकी जनसंख्या 16 प्रतिशत किन्तु पुलिस सेवा में 4 प्रतिशत ही है। ऐसी हीं स्थिति देश के अन्य राज्यों में भी हैं। ऐसी स्थिति में मुसलमानों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं रोजगार में समानता प्राप्ति के उद्देश्य से शिक्षा में अधिक बल देना होगा साथ ही शिक्षा पर बड़े पैमाने पर व्यय करना पड़ेगा। मुसलमान आबादी वाले जिलों में आवासीय विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना को प्राथमिकता देनी होगी। राजनीति से ऊपर उठकर मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं नियोजन में बढ़त हेतु विशेष प्रयत्न करना होगा। मुसलमान राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग–थलग हैं जबकि देश में 16 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं। 16 करोड़ मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं नियोजन के मामले में नीचे रखकर देश का विकास कतई संभव नहीं हो सकता।

भाजपा की कट्टर हिन्दूत्व की ओर लौटने की घोषणा संविधान की अवधारणा एवं उद्देशिका के विरूद्ध।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में टूट पूर्णतः वैचारिक और सैद्धांतिक आधार पर हुई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक, श्री मोहन भागवत ने दो टूक शब्दों में मेरठ में कहा है कि कोई पसंद करे या नहीं करें, हिन्दुत्व की हमारा रास्ता हैं। हिन्दुत्व ही देश को बदल सकता है और हिन्दुत्व की बात करने वाली भाजपा का यदि कोई विरोधी है तो पार्टी उसे सहयोगी बनाने के लिए उसके आगे–पीछे नहीं घूमेगा। आरएसएस ने हिन्दुत्व के मौजूदा आईकॉन श्री नरेन्द्र मोदी को आगे बढ़ाने का फैसला किया है उसमें कहीं कोई किन्तु–परंतु नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने श्री नरेन्द्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का मुखिया बनाया और उसे श्री नरेन्द्र मोदी के चमत्कारी व्यक्तित्व और क्षमता पर इतना भरोसा हैं कि वह जोखिम मोल ले सकती है।

बिहार में भाजपा और जद (यू॰) एक दूसरे से सैद्धांतिक मेल या स्नेह की जगह लालू विरोध के चलते एक हुए थे। श्री नीतीश कुमार ने श्री मोदी का विरोध किया है, उससे राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद काफी बढ़ गया है। बिहार के जनतांत्रिक गठबंधन की दो घटक दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (यूनाईटेड) राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने विश्वास और समन्वय के साथ कार्य नहीं किये। इन दोनों राजनीतिक दलों के बीच सैद्धांतिक मतभेद राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर लगातार बढ़ता गया। फलस्वरूप दोनों दलों के बीच विश्वास का अभाव भी बढ़ता गया। गठबंधन का धर्म होता है कि सैद्धांतिक–वैचारिक रूप से मतैक्य होना। जिन सिद्धांतों पर किसी गठबंधन का गठन होता है और गठबंधन अगर सिद्धांतों से अलग होने लग जाय तो व्यावहारिक स्तर पर कार्य करना कठिन होता है। पूर्व में भी विभिन्न राजनीति दलों और गठबंधनों के बीच वैचारिक भिन्नता एवं मतैक्य के अभाव में दल और गठबंधन टूटते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मतभेद और वैचारिक भिन्नता उत्पन्न होने के कारण ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठने का साहस दिखाया है। भाजपा देश की दूसरे नम्बर की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसका आधार और विस्तार दोनों सीमित हैं। दक्षिण भारत में भाजपा अबतक पैर नहीं जमा पायी; उत्तरी–पूर्वी भारत में भी उसकी पैठ न के बराबर है, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्यों में भी उसकी स्थिति डांवांडोल है। ऐसे में श्री मोदी का कथित करिश्मा उसे आगे नहीं ले जा पायेगा। हालांकि घोषित तो नहीं किया भाजपा ने, पर दिख यह रहा है कि वह श्री मोदी के नेतृत्व में चमत्कार की अपेक्षा कर रही है, मानकर चल रही है कि 2014 के चुनाव में वह इतनी सीटें जीत लेगी कि चुनाव के बाद छोटे दल उसके साथ स्वतः आकर जुड़ जायेंगे। ऐसी उम्मीद करना गलत होगा। भाजपा को यदि कांग्रेस का विकल्प बनना है तो उसे उस राजधर्म को समझना होगा, जिसके पालन की बात कभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने श्री नरेन्द्र मोदी से कही थी। ठोस आर्थिक–सामाजिक नीतियों पर आधारित कार्य–पद्धति अपनाकर भाजपा को एक ऐसी राह पर चलना होगा जहाँ उसे धर्म अथवा जाति की बैसाखियों की आवश्यकता न पड़े। भाजपा को सही मायने में एक राजनीतिक दल बनना होगा– एक सही जनतांत्रिक दल, जिसमें तानाशाही प्रवृत्ति के लिये कोई स्थान नहीं हो। भाजपा का विचार संविधान की उस मूल भावना के विपरीत है जो देश को पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक प्रजातंत्र बनाना चाहती हैं। सेक्युलरिज्म उस ढांचे की नींव है जो बंटवारे के बाद भारत ने खडी करने की कोशिश की हैं। भाजपा उदारवाद और आदर्शवाद से पीछे की ओर जा रही है।

किसी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास सर्व–धर्म, जाति, रंग, वर्ण आदि को एक साथ लेकर चलने में ही संभव है। खासकर भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिये जाति, रंग, धर्म और वर्ण में किसी खास को आधार मानकर भारत का विकास कतई संभव नहीं है। ऐसे में भाजपा की कट्टर हिन्दुत्व की ओर लौटने की घोषणा संविधान की अवधारणा और उद्देशिका के विरूद्ध तो है ही साथ ही देश में शांति के लिये खतरा भी है।

भाजपा की कट्टर हिन्दूत्व की ओर लौटने की घोषणा संविधान की अवधारणा एवं उद्देशिका के विरूद्ध

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में टूट पूर्णतः वैचारिक और सैद्धांतिक आधार पर हुई हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक, श्री मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष द्वारा कट्टर हिन्दूत्व की ओर भाजपा को ले जाने की घोषणा से प्रमाणित होता है। श्री मोहन भागवत ने दो टूक शब्दों में मेरठ में कहा है कि कोई पसंद करे या नहीं करें, हिन्दुत्व की हमारा रास्ता हैं। संघ के ओटीसी कैम्प में उन्होंने कहा– हमने नेता और एजेंडा बदलकर देख लिया, कुछ काम नहीं आया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लालकृष्ण आडवाणी को आगे करके और एनडीए के न्यूनतम सहमति प्रोग्राम से कुछ नहीं बना। हिन्दुत्व ही देश को बदल सकता है और हिन्दुत्व की बात करने वाली भाजपा का यदि कोई विरोधी है तो पार्टी उसे सहयोगी बनाने के लिए उसके आगे–पीछे नहीं घूमेगा। श्री नरेन्द्र मोदी ने भी यह कहा है कि जो राजग छोड़कर गया उसकी चिन्ता नहीं है और न ही आगे किसी भाजपा विरोधी पार्टी को पटाने की कोशिश होगी। आरएसएस ने् हिन्दुत्व के मौजूदा आईकॉन श्री नरेन्द्र मोदी को आगे बढ़ाने का फैसला किया है उसमें कहीं कोई किन्तु–परंतु नहीं है। श्री मोहन भागवत नेता और एजेंडे को बदलने के अनुभव के बाद कहा है कि अब भाजपा और संघ कोई समझौता नहीं करेगा। किसी को पसंद आये या न आयें अब वही होगा जो तय हुआ है। जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने श्री नरेन्द्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का मुखिया बनाया, उसमें यह बात शामिल थी कि उसे न पार्टी के अंदरूनी विरोध की परवाह है, न गठबंधन के साथियों की और न यूपीए–2 से लड़ने के लिए जरूरी नये सहयोगियों की। उसे श्री नरेन्द्र मोदी के चमत्कारी व्यक्तित्व और क्षमता पर इतना भरोसा है कि वह जोखिम मोल ले सकती है।

बिहार में भाजपा और जद (यू.) एक दूसरे से सैद्धांतिक मेल या स्नेह की जगह लालू विरोध के चलते एक हुए थे। श्री नीतीश कुमार ने श्री मोदी का विरोध किया है, उससे राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद काफी बढ़ गया है। जाति धर्म की राजनीति से उन्होंने ऊपर उठने का साहस दिखाया है। भाजपा देश की दूसरे नम्बर की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसका आधार और विस्तार दोनों सीमित हैं। दक्षिण भारत में भाजपा अबतक पैर नहीं जमा पायी; उत्तरी–पूर्वी भारत में भी उसकी पैठ न के बराबर है, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसें बडे राज्यों में भी उसकी स्थिति डांवांडोल है। ऐसें में श्री मोदी का कथित करिश्मा उसे आगे नहीं ले जा पायेगा। हालांकि घोषित तो नहीं किया भाजपा ने, पर दिख यह रहा है कि वह श्री मोदी के नेतृत्व में चमत्कार की अपेक्षा कर रही है, मानकर चल रही है कि 2014 के चुनाव में वह इतनी सीटें जीत लेगी कि चुनाव के बाद छोटे दल उसके साथ स्वतः आकर जुड़ जायेंगे। ऐसी उम्मीद करना गलत होगा। भाजपा को यदि कांग्रेस का विकल्प बनना है तो उसे उस राजधर्म को समझना होगा, जिसके पालन की बात कभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने श्री नरेन्द्र मोदी से कही थी। ठोस आर्थिक–सामाजिक नीतियों पर आधारित कार्य–पद्धति अपनाकर भाजपा को एक ऐसी राह पर चलना होगा जहाँ उसे धर्म अथवा जाति की बैसाखियों की आवश्यकता न पड़े। भाजपा को सही मायने में एक राजनीतिक दल बनना होगा– एक सही जनतांत्रिक दल, जिसमें तानाशाही प्रवृत्ति के लिये कोई स्थान नहीं हो। भाजपा का विचार संविधान की उस मूल भावना के विपरीत है जो देश को पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक प्रजातंत्र बनाना चाहती हैं। सेक्युलरिज्म उस ढांचे की नींव है जो बंटवारे के बाद भारत ने खड़ी करने की कोशिश की है। भाजपा उदारवाद और आदर्शवाद से पीछे की ओर जा रही है।

श्री नीतीश कुमार का यह मोदी विरोध सैद्धांतिक है। यह उनकी राजनीतिक मजबूरी भी, क्योंकि भाजपाई की अगुवाई वाले राजग में शामिल होते हुए भी जद (यू.) अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि के प्रति हमेशा सजग रहा है। इसी सजगता के परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और जद (यू.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री शरद यादव ने गठबंधन से अलग होने का साहसिक निर्णय लिया।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में टूट सिद्धांत आधारित है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में टूट पूर्णतः वैचारिक और सैद्धांतिक आधार पर हुई हैं। राजनीतिक दलों के बीच बने गंठबंधनों में विभाजन वैचारिक मतभेदों के कारण होते रहे हैं। बिंहार के जनतांत्रिक गठबंधन की दो घटक दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (यूनाईटेड) के बीच पिछले दिनों में आपसी विश्वास का अभाव होता गया जिसका परिणाम महराजगंज लोक सभा चुनाव में परिलक्षित हुआ। दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने विश्वास और समन्वय के साथ कार्य नहीं किये। इन दोनों राजनीतिक दलों के बीच सैद्धांतिक मतभेद राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर लगातार बढ़ता गया। फलस्वरूप दोनों दलों के बीच विश्वास का अभाव भी बढ़ता गया। गठबंधन का धर्म होता है कि सैद्धांतिक–वैचारिक रूप से मतैक्य होना। जिन सिद्धांतों पर किसी गठबंधन का गठन होता है और गठबंधन अगर सिद्धांतों से अलग होने लग जाय तो व्यावहारिक स्तर पर कार्य करना कठिन होता है। पूर्व में भी विभिन्न राजनीति दलों और गठबंधनों के बीच वैचारिक भिन्नता एवं मतैक्य के अभाव में दल और गठबंधन टूटते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मतभेद और वैचारिक भिन्नता उत्पन्न होने के कारण ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और जनता दल (यूनाईटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव ने गठबंधन से अलग होने का साहसिक निर्णय लिया। जिससे अब दोनों दल अपने–अपने विचारों एवं सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकेंगे।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खाद्य सुरक्षा अध्यादेश की स्वीकृति और संसद के अगले सत्र में स्वीकृत करने के निर्णय का डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने स्वागत करते हुए कहा है कि इस संविधान में प्रदत्त जीने का अधिकार सुनिश्चित होगा।

भारत में कुपोषण एवं गरीबी एक बड़ी चुनौती है, जिसे खत्म करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लम्बे जद्दोजहद और तमाम मतभेदों के बाद खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को मंजूरी देने और उसे अगले संसद सत्र में पारित कराने के निर्णय का स्वागत करते हुए मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि 'भोजन पाने का अधिकार' प्रदान करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश केन्द्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का समावेशी विकास सुनिश्चित किये जाने की दिशा में एक प्रभावकारी कदम है। इससे रियायती मूल्य पर खाद्यान्न तो प्राप्त होगा ही, उनके कुल मासिक उपभोग व्यय में खाद्यान्नों पर किये जाने वाले व्यय का अंश कम हो जाने से अन्य आवश्यकताओं को पूरा किये जाने के लिये अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। सबसे अहम बात है कि इस अध्यादेश में पहलीबार यह माना गया है कि भोजन प्राप्त करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इस अध्यांदेश के तहद 67 प्रतिशत आबादी को सस्ती दरों पर अनाज मुहैया कराने का प्रावधान किया जा रहा है। सबके लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना वर्ष 1947 से ही राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है। खाद्य सुरक्षा अब आर्थिक और सामाजिक रूप से संतुलित आहार प्राप्त कर सकने, पेयजल की उपलब्धता, पर्यावरण की सफाई और प्रारंभिक स्वास्थ्यचर्या के रूप में परिभाषित की जाती है। दुर्भाग्य की बात है कि अनेक सरकारी योजनाओं के बावजूद हमारे देश में व्यापक रूप से कुपोषण फैला है। बच्चे और महिलाएं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। हमने उद्योगों और आर्थिक विकास दर के मामले में चाहे जितनी भी प्रगति कर ली हो, लेकिन भूख मिटाने और कुपोषण के मामले में हमारी ख्याति अच्छी नहीं है।

केन्द्र सरकार ने कुपोषण एवं गरीबी की चुनौती से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून बना रही है। इस कानून से हर नागरिक कानूनी रूप से भोजन पाने का हकदार होगा। गाँवों में 75 फीसदी और शहरों में 50 फीसदी आबादी इस कानून से लाभान्वित होगी। इस अध्यादेश को अगले सत्र में संसद से मंजूरी मिल जाएगी। इसे लागू होने के बाद देश में करीब 32 करोड़ लोगों को एक वक्त भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा।

शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के उपरांत 21 हजार सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का बंद होना विस्मयकारी।

किसी भी राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए सबसे जरूरी तत्व शिक्षा है। शिक्षा राज्य का मौलिक दायित्व है ताकि प्रत्येक भारतीय को वर्ग, वर्ण, जाति–रंग सामाजिक–आर्थिक स्तरों से निरपेक्ष होकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबों को पहुँचाया जाय। अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून लागू होने के बाद नामांकन की दर में तो खासी बढ़ोतरी हुई है, पर पढ़ाई–लिखाई का स्तर बेहद सोचनीय है। क्रेमर–मुरलीधरन समिति ने अपने अध्ययन में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गैरहाजिरी और शिक्षण–कार्य में दिलचस्पी नहीं लेने को इसका बडा कारण माना था। पर इस अवरोध को दूर करने की कोशिश नहीं की गई। देश भर के स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। बहुत–से स्कूलों में शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात शैक्षिक मानदंडों या शिक्षाविदों की सिफारिशों के अनुरूप नहीं है। दूसरे, कई राज्यों में अनुबंध आधारित भर्ती अभियान के तहत जिन्हें बतौर शिक्षक नियुक्त किया गया, उनके लिए न्यूनतम प्रशिक्षण भी जरूरी नहीं समझा गया। शिक्षामित्र और पैरा–टीचर यानी अर्द्ध–शिक्षकों के रूप में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियाँ की गईं। यह इसलिए कि बहुत कम पैसे में शिक्षकों की जरूरत पूरी की जा सके। एक मुद्दा यह भी है कि पाठ्यक्रम और शिक्षण की विधियाँ बच्चों के लिए सहज रूप से बोधगम्य हों। अपेक्षित शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के अलावा जरूरत इस बात की भी है कि बच्चों के लिए अधिक बोधगम्य पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं।

2011 में 0–14 आयु वर्ग के कुल 36 करोड़ बच्चे थे जो पूरी आबादी के 35.3 प्रतिशत् है। 5–14 आयु वर्ग में ये बच्चे 25.10 करोड़ थे (पूरी आबादी का 24.6 प्रतिशत्) इन्हीं बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून बनकर आया है। भारत सरकार अपने अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 18.78 करोड़ बच्चे 13 लाख स्कूल में पढ़ रहे हैं तथा इन्हें पढ़ाने में लगभग 58.16 लाख अध्यापक कार्यरत हैं। 80.51 प्रतिशत् सरकारी तथा 19.49 प्रतिशत् निजी प्रबंधन द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2010 तक की रपट के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के नामांकन में 7213 प्रतिशत् सरकारी विद्यालयों में तथा 27.87 प्रतिशत् निजी विद्यालयों में था। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालयों में 63.10 प्रतिशत् रहा तथा निजी विद्यालयों में 36.90 प्रतिशत् हो गया अर्थात् हमारे सरकारी विद्यालयों से बच्चे निजी अपर प्राइमरी विद्यालयों में ज्यादा गये। कक्षा 1 से 8 तक कुल बच्चे सरकारी विद्यालयों में 69.51 प्रतिशत् तथा निजी विद्यालयों में 30.42 प्रतिशत् नामांकित हुए है। यह सरकारी विद्यालयों में धीरे–धीरे नामांकन का घटता अनुपात तथा निजी विद्यालयों में बढ़ता अनुपात एक चेतावनी के रूप में उभरकर सामने आया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन वर्षों में बच्चों की कमी के कारण देश में लगभग 21 हजार सरकारी स्कूल बंद हो गये हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ है कि काफी अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों से निकालकर निजी विद्यालयों में डाल रहे हैं। इसका कारण चाहे जो भी हो हम सबको इस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिये।

कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मुख्यमंत्रियों की नक्सलवाद संबंधी बैठक के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री को लिखित पत्र द्वारा ज्ञापित।

कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में देश की जनता के हित में और प्रजातंत्र के हित में नक्सल समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्वीकारने एवं इसके समाधान संबंधी होने वाली बैठक के अवसर पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने पत्र द्वारा प्रधानमंत्री से कहा है कि 2011 में मुख्यमंत्रियों की बैठक में उन्होंने देश के समक्ष सर्वाधिक गंभीर चुनौतियों में से नक्सल एवं माओवादी, वाममार्गी चरमपंथी हिंसक विद्रोह के मुख्य कारणों की जानकारी दी थी। ऐसे हिंसात्मक विद्रोह को खनिज से शोषण, विस्थापन, वन से सम्बन्धित मसले तथा मजदूरी दर को कृत्रिम तरीके से निम्न स्तर पर बनाये रखने की साजिश गैर बराबरी को बढ़ावा देती है। इन विषयों पर राष्ट्रीय स्तरों पर विचार--विमर्श हुआ था। परंतु यह विस्मयकारी है कि पिछले वर्षों में ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि होती गयी है। प्रधानमंत्री ने इन चिह्नित घटनाओं के कारणों में जिन बिन्दुओं को चिह्नित किया था उनपर कोई प्रभावकारी रणनीत नहीं बनायी गयी है। यह निर्विवाद है कि आदिवासियों, दलितों की समस्यायें गंभीर और चिन्तनीय हैं। प्रभावित राज्यों में, कहें, समानान्तर सत्ता चलाते हैं और देश के हितैषी विचारकों का मानना है कि संवैधानिक तथा कानूनी प्रायः अधिकाधिक शांति–व्यवस्थापरक व्यवस्थाओं को धत्ता बताते हुए अचिन्तित–अप्रत्याशित हृदय–द्रावक अपराधों के सहारे पूरे देश को मूक--स्तम्भित कर देने वाली घटनाओं को अंजाम देते हैं। प्रजातंत्र पर कठोर हमले करते हैं।

पत्र में डा॰ मिश्र ने कहा है कि सम्पूर्ण राष्ट्र का चिन्तामग्न हो जाने का स्वाभाविक दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। देश की केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें आपदामूलक शंकाओं के घोर अंधकार में भी नक्सली समस्या (आंतरिक असुरक्षा) के निदान के लिये गंभीरता से चिन्तन भी करती रही हैं और कदम भी उठाती रही हैं। किन्तु, यह समस्या मुँह बाये ज्यों की त्यों खड़ी की खड़ी हम सबों को बार–बार ललकारती आ रही है। क्या देश अपने ही अंदर अग्नि उगलती जीवंत ज्वालामुखी के मुख पर तो नहीं आ गया है? गैर बराबरी वाली सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ एक कारण है जिससे देश में अमीरी–गरीबी के बीच के अंतर में अद्भुत वृद्धि होती रही है। यह माओवादी आंदोलन का मुख्य कारण हो सकता है।

नक्सलियों का लगातार हमला उनकी बढ़ती ताकत और उनके खतरनाक इरादों को जाहिर करता है। देश का लगभग एक तिहाई हिस्सा नक्सलवाद की चपेट में आ चुका है और नक्सलियों की गतिविधियाँ कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। नक्सलियों का वर्चस्व मुख्य रूप से आदिवासी बहुल इलाकों के जंगली क्षेत्रों में है। उन्होंने वहीं से भारत के खिलाफ एक तरह की बगावत शुरू कर दी है। कल (5.06.2013) को होने वाली बैठक में देश की जनता के हित में और प्रजातंत्र के हित में (1) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें सम्मिलित रूप से ठोस रणनीति तैयार करें। (2) सभी राजनीतिक पार्टियाँ नक्सली समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्वीकार करें और इससे निपटने में एकजुटता दिखलायें। (3) मतान्तरों और लुक–छुप कारनामों को संकीर्ण गलियों तक की अशांत स्थिति में तब्दील होने से अर्थात् गृह–युद्ध जैसी स्थिति में तब्दील होने से बचायें।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद द्वारा की गयी यह घोषणा कि 'मुसलमानों के आरक्षण के लिये आयोग का गठन किया जायेगा' की आवश्यकता नहीं क्योंकि सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र आयोग आरक्षण की अनुशंसा कर चुके हैं।

अल्पसंख्यकों के लिये सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने के संबंध में विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद द्वारा आयोग गठन करने की घोषणा अत्यंत ही विस्मयकारी है क्योंकि कांग्रेस अनेक अवसरों पर विशेषकर उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव के मौके पर मुसलमानों के लिये 4 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का वायदा कर चुकी है। देश के मुसलमान को समानता का अवसर प्राप्त हुआ है या नहीं इसकी जाँच के लिये 2009 के चुनाव के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भी समान अवसर आयोग की घोषणा की थी जिस आयोग की रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।

आरक्षण की व्यवस्था पूरे विश्व में केवल भारत में है। यहाँ संविधान में यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि कोई समुदाय या जाति विकास में पिछड़ जाता है तो उसे आरक्षण देकर सबके बराबर खड़ा किया जायेगा। यहाँ के हिन्दू दलित समुदाय व पिछड़े वर्गों को इसी आधार पर आरक्षण दिया गया। लेकिन, जो दलित व पिछड़ा अपना धर्म बदलकर मुसलमान हो गया उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। मंडल कमीशन रिपोर्ट को जब लागू किया गया तब यह मांग उठी थी कि इसमें मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाय, लेकिन तब कह दिया गया कि पिछड़े वर्ग आरक्षण में वे मुस्लिम जातियाँ भी शामिल हैं जो पिछड़े वर्ग में आती हैं। कोई फायदा मुसलमानों को हासिल नहीं हुआ, क्योंकि असल वजह थी सरकारी मशीनरी में मुसलमानों के प्रति उदासीनता। इस उदासीनता की वजह से मुसलमानों को उनकी वाजिब हिस्सेदारी नहीं मिल पायी। सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र आयोग ने मुसलमान का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवा में उनकी आबादी का 4 प्रतिषत से अधिक नहीं होने पर विस्मय प्रकट करते हुए उनके लिए पिछड़े वर्गों की तरह सरकारी सेवाओं में आरक्षण की अनुषंसा की है। इस समय तो आइ॰ए॰एस॰ में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मात्र 2 प्रतिषत है, जबकि आइ॰पी॰एस॰ में 2.5 है और आइ॰एफ॰एस॰ में उनका अनुपात 1.5 प्रतिषत् ही है। पुलिस सेवाओं में उनकी स्थिति सोचनीय है। उत्तर प्रदेष में इनकी जनसंख्या 21 प्रतिषत् है जबकि पुलिस सेवा में ये मात्र 5 प्रतिषत् ही हैं। पष्चिम बंगाल में इनकी जनसंख्या 29 प्रतिषत् है जबकि पुलिस में ये 7 प्रतिषत् हैं। बिहार में इनकी जनसंख्या 16 प्रतिषत् किन्तु पुलिस सेवा में 4 प्रतिषत् ही हैं। ऐसी हीं स्थिति देष के अन्य राज्यों में भी है। मुसलमान आबादी वाले जिलों में आवासीय विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना को प्राथमिकता देनी होगी। राजनीति से ऊपर उठकर मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, षैक्षणिक एवं नियोजनपरक बढ़त हेतु विषेष प्रयत्न करना होगा। अभी मुसलमान अपने को राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग–थलग समझते हैं।

जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट आने के बाद यह बात साबित हो गयी कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं और रंगनाथ मिश्रा आयोग ने बाकायदा मुसलमानों को आरक्षण देने की सिफारिश कर दी। इसके पीछे भी यही तर्क था कि आरक्षण समाज में पिछड़ जाने वाले तबके को सबके बराबर खड़ा करने के लिए है इसलिए मुसलमानों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये। सचमुच किसी भी समाज के विकसित होने का एक अनिवार्य मापदंड समान अवसर का अधिकार होता है। समान अधिकार का तात्पर्य जीवन के सभी क्षेत्रों, शिक्षा, रोजगार, कला, संस्कृति और राजनीति में नागरिकों के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होने को सुनिश्चित करना होता है। लेकिन बड़ी चतुराई से यहाँ मुसलमानों को भी जातिगत आधार पर तोड़ दिया गया है। इसमें कुछ मुसलमान नेता ही आगे–आगे रहे जिन्हें मुसलमानों को जातिगत आधार पर तोड़ने से अपनी राजनीति को मदद मिल रही है.।

मुसलमानों की एकता को खंडित करने का जो प्रयास किया गया है, उसका नतीजा यह हुआ कि पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान नेताओं ने अलग से पिछड़े वर्ग के आरक्षण में ही मुसलमानों को आरक्षण दिये जाने की मांग रख दी। इससे मुसलमानों का आरक्षण मुद्दा कमजोर पड़ गया है। आरक्षण मिलना कितना जरूरी है इस पर बहस करें तो यह बात बिल्कुल साफ है कि आरक्षण रोजी रोटी से जुड़ा मसला है और हर हालत में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिये। यह विस्मयकारी है कि सरकारें अल्पसंख्यकों के नाम पर आरक्षण देती भी हैं तो अदालत इस पर रोक लगा देती है। इसकी वजह यही है कि सरकार अदालत में यह नहीं समझा पाती है कि अल्पसंख्यकों की हालत खराब है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय में सिख, जैन, पारसी, इसाई आदि भी शामिल हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नहीं हैं इसलिए अदालत अल्पसंख्यक आरक्षण को गैर संवैधानिक कहकर खत्म कर देती है। यदि सरकार मुसलमानों के नाम पर आरक्षण दे तो अदालत में यह साबित करना आसान हो जायेगा कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और इन्हें आरक्षण दिया जाना न्यायोचित है। सच्चर आयोग व रंगनाथ मिश्रा आयोग अपनी रिपोर्ट में यह बात कह चुके हैं। इसी आधार पर केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु मुसलमानों को आरक्षण देने में सफल रहे। यदि मुसलमानों को आरक्षण और अन्य सुविधाएं देकर साथ नहीं लगाया गया तो शायद स्थिति और भयावह हो जाय। धर्मनिरपेक्षता का दावा करने वाली कांग्रेस हर चुनाव से पहले मुस्लिम आरक्षण का वादा करती है परंतु हिन्दूवादी शक्तियों के मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप को सुनते ही डर जाती है और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देती है। अब समाधान यही है कि पूरा मुसलमान समुदाय और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के दल और लोग साथ मिलकर सरकार पर दबाव बनाये और संसद में संशोधन के माध्यम से ही इसका हल निकलवाये।

महराजगंज लोक सभा क्षेत्र में 2 जून को होने वाले उप–चुनाव में जद (यू॰) उम्मीदवार वरिष्ठ अधिवक्ता एवं शिक्षा मंत्री, श्री पी॰के॰ शाही को समर्थन देने की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डा॰ जगन्नाथ मिश्र की क्षेत्र के मतदाताओं, प्रतिष्ठान के सदस्यों, भारतीय जन कांग्रेस के सदस्यों और उनके साथ जुड़े कार्यकर्ताओं से अपील।

सात वर्षों की अवधि में श्री नीतीश कुमार ने सिद्ध कर दिया है कि लोग विकास और सुरक्षा चाहते हैं न कि सम्प्रदायवादी या जातिवादी नारे। वर्त्तमान् सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार दबाने का तथा जनसाधारण को सुरक्षा प्रदान करवाने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। चिन्तन और क्रियाशीलता दोनों ही दृष्टिकोणों से श्री नीतीश कुमार संकीर्ण जातिवादी, संप्रदायवादी और वर्गवादी विचारों के ऊपर के नेता के रूप में उभरे हैं। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोध अभियान को सरजमीन पर व्यावहारिक रूप दिया है। मुख्यमंत्री बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के साथ–साथ बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना चाहते हैं जो सराहनीय है। इससे ऐसी आशा बनती है कि मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश द्वारा भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त करने में सरकार सफल हो सकती है। मुख्यमंत्री ने ई–गवर्नेंस के लिए दुनियां में ख्याति अर्जित की है।

श्री नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले सात वर्षों में बिहार में विकास की नई संभावना बनाई है। बिहार की दिशाहीनता, विकासहीनता और उद्योगविहीनता समाप्त हुई है और क्षत–विक्षत प्रशासकीय ढांचें में परिवर्त्तन हुआ है। सामाजिक समरसता स्थापित हुई है। इन सात वर्षों में विकास की बुनियादी संरचनायें सृजित हुई हैं। सरकार के प्रयत्नों से बिहार एक क्रियाशील राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ है। राज्य की आर्थिक विकास की गति पिछले सात सालों में मजबूत हुई है। इन उपलब्धियों को देखते हुए श्री नीतीश कुमार की सरकार को व्यापक जन समर्थन दर्शाने और विकास की सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि क्षेत्र की जनता अपनी सकारात्मक भूमिका के निर्वहन के लिये जद (यू॰) के उम्मीदवार को विशाल बहुमत से इस उप–चुनाव में विजयी बनावें।

डा॰ मिश्र ने बिहार जन विकास मंच, प्रज्ञा समिति, ब्रह्मर्षि समाज के सदस्यों के साथ–साथ उनके साथ जुड़े भारतीय जन कांग्रेस और मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के सदस्यों से विशेष रूप से अपील की है कि वे सभी अपने स्तर पर सकारात्मक योगदान देते हुए जद (यू॰) उम्मीदवार को विजयी बनावें साथ हीं श्री नीतीश कुमार को अधिक बल देकर विकास की निरंतरता को बल प्रदान करें।

केन्द्र सरकार द्वारा पिछड़े राज्य तथा विशेष राज्य के मानक निर्धारण के लिये वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री रघुरामजी राघवन की अध्यक्षता में गठित कमिटी।

केन्द्रीय बजट 2013–14 प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री रघुरामजी राघवन की अध्यक्षता में पिछड़े राज्य और विशेष राज्य के लिये मानक निर्धारण हेतु बनायी गयी कमिटी का स्वागत करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि श्री पी॰ चिदम्बरम ने अपनी घोषणा के अनुरूप प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, मानवीय सुविधा के अतिरिक्त अन्य प्रक्षेत्रों में विषमताओं को पाटने के लिए मानव विकास के सूचकांकों पर कौन राज्य राष्ट्रीय औसत से कितना नीचे है के साथ हीं इस गठित समिति द्वारा समग्र विकास सूचकांक तैयार करने और पिछड़ेपन के मानक का निर्धारण करने की अनुशंसा करेगी। इस कमिटी का गठन निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा चलाये गये विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का अभियान की सफलता है। 1971 से राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत राज्यों को मिलनेवाली केन्द्रीय सहायता और विशेष दर्जा देने की शर्त्तों में संशोधन करना नितांत आवश्यक हो गया है। जिन राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला है उन्होंने नई ऊचाइयाँ हासिल की हैं और वे सभी राज्य बिहार से काफी आगे हैं। बिहार राज्य् आर्थिक सुधार के लाभों से वंचित रहा है। गरीबी की अधिकता, प्रति व्यक्ति कम आय, औद्योगीकरण का निम्न स्तर और सामाजिक–आर्थिक आधार के पिछड़ेपन के कारण बिहार राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय मात्र 23,436 रूपया है जबकि राष्ट्रीय औसत 60 हजार है। संविधान के अनुच्छेद 38(2) ने केन्द्र को ऐसी जिम्मेवारी सौंपी है कि राज्यों के बीच की असमानता दूर करे। केन्द्रीय सरकार द्वारा लगातार बिहार की उपेक्षा के निराकरण के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दी जाय। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए गाडगिल फार्मूले में आज के परिप्रेक्ष्य में संशोधन किया जाना आवश्यक है। असमानता को दूर करने, बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में लाने के साथ–साथ राष्ट्रीय औसत के समरूप लाने के लिये सकारात्मक नीतिगत पहल की जरूरत है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम स्तर पर रहने तथा यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ–साथ सामाजिक आर्थिक व्यय सबसे निचले पायदान पर है। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन और विकासात्मक घाटे के कारण विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिये बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा चलाये गये अभियान का ही प्रतिफल है कि केन्द्र सरकार ने पिछड़ेपन और विशेष दर्जा निर्धारण के मानक में संशोधन करने के उद्देश्य से ही श्री रघुरामजी राघवन की अध्यक्षता में कमिटी का निर्धारण किया है।

बिहार की 2013–14 के लिए 34 हजार करोड़ वार्षिक योजना की स्वीकृती।

आज योजना आयोग द्वारा बिहार के लिये वर्ष 2013–14 की 34 हजार करोड़ वार्षिक योजना की स्वीकृत करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि योजना आयोग ने बिहार के पिछले 7 वर्षों की प्रगति एवं विकास से संतुष्ट होकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं अधिक संरचनात्मक सुविधाओं में विस्तार के लिये पिछले वर्ष की वार्षिक योजना के उद्व्यय में 30.9 प्रतिशत वृद्धि कर 34 हजार करोड़ की वार्षिक योजना स्वीकृत की है, जिसमें 46.1 प्रतिशत राज्य सरकार के संसाधनों से, 28.3 प्रतिशत कर्ज से और 25.6 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से आएगा। यह प्रसन्ता की बात है कि योजना आयोग ने बिहार की वित्तीय आवश्यकता पर विकसित राज्यों से अलग होकर विचार किया है। बिहार सरकार के प्रस्ताव पर आयोग ने हर साल 4000 हजार करोड़ की विशेष सहायता राशि देने पर सहमति जताई है। आयोग ने मान लिया है कि बिहार को विकास के राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है। बिहार सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 11वीं योजना में 155 प्रतिशत की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पिछले 7 वर्षों में विकास की गति को देखते हुए विश्व बैंक एवं अन्य बाह्य संस्थानों से मदद ली जा रही है जिसमें बाढ़ नियंत्रण, राष्ट्रीय राज मार्ग और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सम्मिलित है, क्योंकि पिछले 7 वर्षों में विकास की बुनियादी संरचना सृजित हुई है। सरकार के प्रयत्नों से बिहार क्रियाशील राज्यों के रूप में परिवर्तित हुआ है। मुख्यमंत्री ने योजना आयोग को संतुष्ट किया है कि उनकी सरकार का मुख्य केन्द्र गरीबी निवारण और मानवीय विकास है। इसलिए उन्होंने संरचना के विकास के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता बतायी है। योजना आयोग इस बात से संतुष्ट है कि बिहार में बदलाव आने से बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की संभावना बढ़ रही है। 7 वर्षों में बिहार में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, चीनी पैकेज, करों का सरलीकरण एवं अन्य कर सुधार के कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है।

बिहार और झारखण्ड को विशेष राज्यों की श्रेणी में लाने के लिये संयुक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र की केन्द्र सरकार से अपील।

संविधान सभी प्रकार की असमानताएं दूर करने के प्रति बहुत गंभीर है, चाहे वे व्यक्तियों के बीच हों या समूहों के बीच। संविधान के अनुच्छेद 38(2) का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा जो केन्द्र को असमानताएं दूर करने की जवाबदेही देता है। अतः बिहार और झारखण्ड के साथ केन्द्र द्वारा किए गये अन्याय के निराकरण के लिए जरूरत इस बात की है कि बिहार और झारखण्ड को विशेष कोटि के राज्य का दर्जा दिया जाय और (1) केन्द्र सरकार के अन्तरण की ऐसी योजना बनावे जो संघ के आकलित अतिरेक, जो उसके पास केन्द्रीय लेवी के आर्थिक लाभों के चलते एकत्र हुआ हो पर आधारित हो, और जिसे राज्यों के बीच अन्तरित किया जा सकता हो ताकि वे संविधान द्वारा सौंपे गये उत्तरदायित्वों को पूरा कर पाएं। (2) संघ की सकल राजस्व–प्राप्तियों में से कर की बांट और अनुदान के रूप में राज्यों को योजना और गैर–योजना मद में दी जानेवाली राशि का प्रतिशत बढ़ायें। (3) अनुच्छेद 275 के अधीन दिये जाने वाले अनुदान का निर्धारण गैर–योजना राजस्व–अन्तराल के आधार पर नहीं किया जाये बल्कि उसका भुगतान राज्यों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाय– (क) राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किये गये कार्यक्रम के आधार पर खास–खास प्रशासनिक और सामाजिक सेवाओं के स्तरों का समान स्तर का बनाने के लिए, और (ख) साहाय्य खर्च जैसी विशेष परिस्थितियों में उठाये जाने वाले खर्च का जो भार राज्य के कोष पर पड़ता है उसे वहन करने के लिये। (4) संविधान के अनुच्छेद 270 के अधीन विभाज्य करों और शुल्कों में से तथा अनुच्छेद 275 के अधीन साहाय्य अनुदान की बांट देने में भारत सरकार को प्रतिरोधी न्याय का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। उसी के अनुसार एक ऐसा सिद्धांत निर्धारित करना चाहिये जो अन्तर–राज्य विषमताओं को दूर करने में सहायक हो। (5) आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की बांट में केन्द्र उसी प्रकार का सिद्धांत अपनावे और राज्य के बीच उन्हें बांटने में ऊँचे दर्जे की प्रगतिशीलता दिखावे जिसमें राज्यों की प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखते हुए पिछड़ापन को अधिक महत्व दिया गया हो, और (6) भागीदारी वाले करों के विभाजक पुल को काफी बढ़ाया जाय और उसमें राज्य की व्यापक वित्तीय जरूरतों को बजट में दर्शायी जाने वाली आवश्यकता मानकर शामिल किया जाय। इन वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान सेवाओं के भौतिक मापदण्डों के आधार पर लगाया जाना चाहिये जिनकी उपलब्धि और संधारण पिछड़े राज्यों को भी करना चाहिये।

केन्द्र सरकार की दोषपूर्ण आर्थिक, वित्तीय और औद्योगिक नीत के कारण ही बिहार और झारखण्ड में गरीबी की व्यापकता बनी हुई है।

संयुक्त बिहार राज्य (बिहार और झारखण्ड) की पीड़ा को उठाने की शुरूआत 1976 में ही श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में विकास के विभिन्न पहलुओं पर मेरे द्वारा व्यक्त दो टूक विचारों के माध्यम से हुई थी। जब यह तथ्य प्रस्तुत हुआ था कि संयुक्त बिहार में निम्नतम निवेश का मुख्य कारण है कि केन्द्र ने बिहार के साथ कभी भी खनिज सम्पदा के रॉयल्टी में पूरा न्याय नहीं किया। बिहार की खनिज संपदा के मूल्य के आधार पर भारत सरकार से मूल्य की तुलना में बहुत कम रॉयल्टी प्राप्त होती थी। अतः कोयला एवं अन्य खनिजों से प्राप्त हो रहे रॉयल्टी को मूल्य आधारित करने की मॉग मैंने की थी। जब केन्द्र सरकार मूल्य आधारित रॉयल्टी पर सहमत नहीं हुई तो, 1981 में खनिज संपदा पर मूल्य के आधार पर ही 'सेस' लगाने का अधिनियम पारित किया गया। बिहार के हित में केन्द्र से अपील की गयी कि बिहार के आनुषंगिक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीदारी बिहार के बड़े उद्योगों द्वारा की जाय, जिसका लाभ छोटे उद्योगों को मिल सकेगा। राज्य के हित में भारत सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि बिहार के औद्योगिक उत्पाद जो अन्य राज्यों को भेजे जाते हैं, उन उत्पादों से बिहार को 'ट्रांसफर ऑफ स्टॉक' के नाम पर बिक्री कर से वंचित होना पड़ता है। अतः केन्द्र सरकार से यह माँग की गयी कि राज्य सरकार को 'कनसाइमेन्ट टैक्स' लगाने का अधिकार दिया जाय। माल भाड़ा समानीकरण के कारण बिहार बड़े उद्योगों से वंचित रहा क्योंकि बिहार की खनिज सम्पदा का मूल्य जो बिहार में था वह बिहार से बाहर मुम्बई, चेन्नई इत्यादि में भी रहता था। सामान्यतः बड़े उद्योग घराने बिहार में उद्योग स्थापित करने के बजाय बिहार से बाहर उद्योग स्थापित करते रहे। इन मुद्दों को उठाने के लिए मुझे केन्द्र की नाराजगी भी लेनी पड़ी।

अब बिहार और झारखण्ड को आर्थिक पिछड़ापन और विकासात्मक घाटा के कारण केन्द्र से विशेष राज्य का दर्जा फ़ौरी रूप में मिले, संपूर्ण आंतरिक विकास और देश की राजनीतिक स्थिरता दोनों के हित में यह जरूरी है। राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया, चाहे जितनी भी मजबूत क्यों न हो, बिहार और झारखण्ड जैसे बड़े राज्य के आर्थिक पिछड़ापन के बंधनों को सम्हाल नहीं सकती। राज्य में बसी मात्र मानव–आबादी के कारण कोई भी राजनीतिक व्यवस्था स्थायित्व की कीमत पर ही इसके हक को मारना जारी रख सकती है अथवा इसे वंचित रखना जारी रख सकती है। इस प्रकार बिहार में एक सक्रिय राजकीय हस्तक्षेप का मुश्किल से विरोध हो सकेगा। उन सभी पाँच शर्तों पर– यथा, *कमजोर आधारभूत संरचना, संसाधन का कमजोर आधार और बड़े–बड़े बाजारों से दूरी, भौगोलिक अलगाव*, पहुँच के परे स्थान एवं आर्थिक सक्षमता जिनका व्यवहार योजना आयोग और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा बहुधा किया जाता है। बिहार और झारखण्ड खरा उतरता है, अधिक नहीं, तो समान रूप से अवश्य ही विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की तरह बिहार और झारखण्ड की स्थिति बनी हुई है। इन दोनों राज्यों की गरीबी ही इन राज्यों को बुरी तरह से पंगु नहीं बनाती, अपितु इसकी संरचनात्मक परिस्थिति बिहार और झारखण्ड को चिरंतन और सतत् विद्यमान वह चरित्र भी प्रदान करती है, जो चरित्र अन्य विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में प्राप्य नहीं है। संरचनात्मक परिस्थिति प्रकट होती है राज्य के घाटा बनाम उपर्युक्त पाँच शर्तों के ऐतिहासिक अध्ययन से। देश के किसी भी राज्य की गरीबी से बिहार और झारखण्ड की आधारभूत संरचना की हीनता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। बिहार और झारखण्ड में आधारभूत संरचना का पिछड़ापन तो ऐतिहासिक रूप से राज्य को वंचित रखे जाने की लंबी दास्ताँ से रेखांकित है, जिसका सामना औपनिवेशिक सरकार के समय से संयुक्त बिहार करता रहा है।

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने मुख्यमंत्री को एक पत्र द्वारा कहा है कि ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ सरकार समुचित निदेश जारी करे।

आज डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने एक पत्र द्वारा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को कहा है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार विधान मण्डल से निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी विधेयक के कार्यान्वयन क्रम में सरकार ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना करने वालों को यह निदेश दे कि विश्वविद्यालयों की स्थापना मुनाफाखोरी के लिए नहीं होगी। उन्हें पढ़ाई के लिए एक बेहतर माहौल बनाने के साथ–साथ अच्छे शिक्षकों को भी बहाल करना होगा। निजी विश्वविद्यालयों को अपनी एक चौथाई सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए भी आरक्षित रखनी चाहिये। इन संस्थानों में 5 फीसदी सीटें कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखने वाले मेधावी बच्चों के लिए हों, जिनसे किसी प्रकार का शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाय। साथ ही बाकी 20 फीसदी सीटों पर कमजोर वर्ग के बच्चों को रियायतें मिलें। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री पी॰के॰ शाही ने स्वयं कहा है कि राज्य में सरकारी विश्वविद्यालयों की हालत खराब है। राज्य की आबादी 10.5 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें से 50 फीसदी युवा हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न तकनीक महाविद्यालयों में इनके लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं, जिस वहज से उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। साथ ही, सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, जिनसे नये विश्वविद्यालय खोले जा सकें। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के जरिये रोजगार क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रचुर संभावनाएं हैं। उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा तंत्र में ज्यादा स्वायत्तता, स्वतंत्रता और लचीलेपन की जरूरत है। उच्च शिक्षा सृजनात्मक, उपयोगी, असरदार और प्रासंगिक होनी चाहिए। वास्तव में, जिन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रबंधकों एवं तकनीकी प्रशिक्षित लोगों की दरकार है वह नयी विधाओं में है और इस समय राज्य सरकार अपनी आवष्यकता के अनुसार इंजीनियर, प्रबंधक एवं तकनीकी प्रशिक्षित लोग तैयार नहीं कर पा रही है। राज्य में समुचित सुविधाएं और संस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं, इसलिये बड़ी संख्या में प्रखर बुद्धि युवा विभिन्न विधाओं, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी में, इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा राज्य के बाहर में प्राप्त करते हैं। यू॰जी॰सी॰ के द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण से यह प्रकाश में आया है कि बिहार में लगभग सभी सूचकों पर यथा निकाय के स्तर, पुस्तकालयीय सुविधायें, संगणक (कम्प्यूटर) की उपलब्धता, शिक्षक–छात्र का अनुपात आदि पर– उच्च शिक्षा को यथाशीघ्र समुन्नत करना अत्यावश्यक है। आज के स्पर्धा भरे वातावरण की मांग है उच्च शिक्षा की उत्कृष्टतर गुणवत्ता। राष्ट्रीय एवं विश्व–बाजार में केवल वे ही संस्थायें प्रतियोगिता में आने की स्थिति में होंगी जो निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सम्वर्द्धित करने हेतु किसी विश्वविद्यालय एवं स्वायत्त संस्थानों को वृहत् धनराशि की जरूरत होती है। शैक्षिक और भौतिक आधारभूत संरचना यथा कक्षाओं और प्रयोगशालाओं, पुस्तक भंडार को अद्यतन करना, पुस्तकालय में पत्रिका, संदर्भ सामग्री और शिक्षकों–शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन–भुगतान आदि की गुणवत्ता संवर्द्धित करने हेतु हमें धनराशि की जरूरत है। विश्वविद्यालय, सरकार एवं अन्य श्रोतों द्वारा किये गये व्यय की उपयोगिता उच्च स्तरीय गुणवत्ता के परिणाम स्वरूप सिद्ध करे। एक ऐसे तंत्र को भी विकसित करना ही है जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को निरंतर आकलित और संधारित करता रहे।

डा॰ मिश्र ने कहा कि चिंता की बात यह है कि राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का विस्तार न सिर्फ ठहर–सा गया है, बल्कि जो भी विस्तार है उसका स्तर भी गिरता जा रहा है। इस संदर्भ में योजना आयोग की यह चेतावनी गौरतलब है कि अगर विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया, तो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में कुशल और प्रशिक्षित प्रोफेशनलों की भारी कमी हो जायेगी। इसका राज्य के आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास में ज्ञान की भूमिका दिन–पर–दिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा के विस्तार, उसकी गुणवत्ता और उसमें सभी वर्गों के प्रवेश के लिए सिफारिशें की हैं। आयोग ने देश में उच्च शिक्षा के निजीकरण और खासकर विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए सैद्धांतिक व व्यावहारिक अनुशंसा की है। वे ऐसी सिफारिशें है, जिन पर अमल किया जाय, तो उच्च शिक्षा का चेहरा बदल सकता है। जनसंख्या के 15 प्रतिशत् छात्रों को उच्च शिक्षा में दाखिल करने का लक्ष्य हासिल करना है, तो विश्वविद्यालयों की कुल संख्या बढानी होगी।

1997 के सर्वोच्च न्यायालय के मौद्रिक घोटाला के फैसला का अनुपालन न होने से यह स्पष्ट है कि सी.बी.आई. को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी एक चुनौती।

डा० जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने आज कहा कि देश में भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी पर हम सभी चिन्तित हैं। हालाँकि समय–समय पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिशें भी होती रही हैं। इसी क्रम में 1997 के 17 दिसम्बर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसला का उल्लेख करते हुए उन्होनें कहा कि– हर्षद मेहता कांड के बाद भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए जो निदेश जारी किये गये उनका कार्यान्वयन नहीं होने के कारण राष्ट्र में लगातार घोटालों और भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होती गयी है। अब सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि उनका (सर्वोच्च न्यायालय का) पहला प्रयास सी.बी.आई. को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने का है। सचमुच यह पहला अवसर नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय इस कार्य को करने पर आरूढ़ हुआ है। 17 दिसम्बर 1997 को हवाला मामला में पारित फैसला के बाद इसी प्रकार का प्रयास शुरू हुआ। इस लिये उक्त फैसलो का पुनरवलोकन इस प्रसंग में महत्वपूर्ण है। हवाला मामला में लगे आरोपों का सार तत्व यह है कि गुपचुप माध्यम से दागी धनराशि का उपयोग करते हुए हवाला लेन–देन से आतंकियों को आर्थिक सहायता दी गयी थी। सी.बी.आई. समुचित अनुसंधान करने और संलिप्तों के अभियुक्त बनाने में असफल हो गयी। ऐसा प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों को संरक्षित करने के लिए किया गया। न्यायालय ने कन्टीन्यूईंग मैन्डेमस की प्रक्रिया अपनायी जिससे समय–समय पर अंतरिम आदेश करने में न्यायालय को सुविधा हुई और एक आदेश कोयला घोटाला में पारित आदेश के समान था। न्यायालय ने सी.बी.आई. को कार्यपालिका के उच्च स्तर पर अनुसंधान की प्रगति प्रतिवेदित नहीं करने को कहा। न्यायालय के सभी निदेशों में 4 (चार) महत्वपूर्ण हैं। (1) फैसला के अनुसार सी.बी.आई. पर अधीक्षण का दायित्व सरकार से हटा कर केन्द्रीय निगरानी आयोग को सौंपा गया। (2) फैसला के अनुसार सी.बी.आई. के निदेशक का चयन केन्द्रीय निगरानी आयोग (सी.भी.सी.) की अध्यक्षता में दो सदस्यों, केन्द्रीय गृह सचिव एवं कार्मिक सचिव, के साथ गठित समिति द्वारा किया जाना चाहिये। (3) सी.बी.आई. निदेशक का कार्यकाल अल्पतम दो वर्षों का हो– बिना वार्द्धक्य का विचार किये। (4) सी.बी.आई. को अब से संयुक्त सचिव के स्तर तक के पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोपों की जाँच करने के लिए सरकार से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इन चारों में से एक भी निदेशिका का अनुपालन ईमानदारी से नहीं किया गया। सी.बी.आई. पर नियंत्रण पूर्णतः हस्तान्तरित नहीं हुआ। सी.भी.सी. एक्ट –2003 द्वारा सी.भी.सी. को मात्र भ्रष्टाचार के मामलों के लिए अधीक्षण करने को कहा गया– सिर्फ ऐसे मामलों को जो दिल्ली स्पेसल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट पंजीकृत करे। सी.भी. सी. एक्ट से सी.बी.आई. पर दुहरे नियंत्रण की व्यवस्था का परिणाम आया– एक सी.भी.सी का नियंत्रण– भ्रष्टाचार मामलों में और दूसरा केन्द्र सरकार का नियंत्रण– दूसरे मामलों में।

सर्वोच्च न्यायालय को न केवल सी.बी.आई. को स्वतंत्र करने की अनुशंसायें करनें के लिए सोचना है, अपितु अनुशंसाओं का अनुपालन कराने के लिए भी।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री को स्मरण कराया हैं कि उन्होंने 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के समय यह घोषणा की थी कि देश के साधन पर पहला अधिकार मुसलमान का है। परंतु 11वीं योजना के पांच वर्ष बीतने के बाद भी मुसलमानों के लिए उनकी 16 प्रतिशत आबादी, उनकी गरीबी, उनकी सामाजिक, षैक्षणिक एवं नियोजन में उनके निम्नतम साझेदारी के बावजूद भी सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र के अनुशंसाओं के पांच वर्ष बाद भी कार्यान्वयन के लिए लम्बित है। इस वर्ष की बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 4600 करोड़ उपबंध किया है जबकि दलित के लिए 37 हजार करोड़ और आदिवासियों के लिए 34 हजार करोड़ जबकि मुसलमान की आबादी दलित के करीब है। सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र आयोग ने मुसलमान के प्रतिनिधित्व सरकारी सेवा में उनके आबादी का 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होने पर विस्मय प्रकट करते हुए उनके लिए पिछड़े वर्गों की तरह सरकारी सेवाओं में आरक्षण की अनुशंसा की है। इस समय मुसलमान छात्रों को अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र दिल्ली में भी चलाया जा रहा है। चालू वर्ष में ऐसे तीन अन्य केन्द्र जो लखनउ, हैदराबाद तथा भोपाल में खोले जा रहे हैं। इस समय जब आइ॰ए॰एस॰ में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मात्र 2 प्रतिशत है। जबकि आइ॰पी॰एस॰ में 2.5 है और आइ॰एफ॰एस॰ में उनका अनुपात 1.5 प्रतिशत ही है तो ऐसी अवस्था में इस प्रकार प्रशिक्षण केन्द्र अधिक से अधिक विभिन्न राज्यों में स्थापित किये जाने चाहिए। पुलिस सेवाओं में उनकी स्थिति सोचनीय है। उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या 21 प्रतिशत है जबकि पुलिस सेवा में मात्र 5 प्रतिशत ही है। पश्चिम बंगाल में इनकी जनसंख्या 29 प्रतिशत है जबकि पुलिस में 7 प्रतिशत है। बिहार में इनकी जनसंख्या 16 प्रतिशत किन्तु पुलिस सेवा में 4 प्रतिशत ही है। ऐसी हीं स्थिति देश के अन्य राज्यों में भी है। ऐसी स्थिति में मुसलमानों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं रोजगार में समानता प्राप्ति के उद्देश्य से शिक्षा में अधिक बल देना होगा साथ ही शिक्षा पर बड़े पैमाने पर व्यय करना पड़ेगा। मुसलमान आबादी वाले जिलों में आवासीय विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना को प्राथमिकता देनी होगी। राजनीति से उपर उठकर मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं नियोजन में बढ़त हेतु विशेष प्रयत्न करना होगा। मुसलमान राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग–थलग हैं जबकि देश में 16 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं। 16 करोड़ मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं नियोजन के मामले में नीचे रखकर देश का विकास कतई संभव नहीं हो सकता।

कल मई दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा० जगन्नाथ मिश्र ने पत्र द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को कहा कि राज्य के औद्योगिक विकास से बड़े, मझोले और छोटे कारखाने खुले हैं जिनके प्रबंधन राजकीय, गैर–राजकीय और संयुक्त तीनों क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा शहरीकरण और नगर–विकास के चलते छोटी–छोटी दुकानों की और अन्य प्रतिष्ठानों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्त्ति तथा अर्थ–व्यवस्था में प्रगति के कारण राज्य के सुदूर देहातों में भी कई स्थानों पर छोटे–छोटे कारखाने खुले हैं। इन सभी के माध्यम से नियोजितों की संख्या बढ़ी है। स्मरणीय है कि बड़ी–बड़ी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत मजदूरों की सेवा–शर्त्त निश्चित की जा चुकी और ऐसा करने में उनके श्रमिकों के संगठन का योगदान काफी प्रभावकारी रहा है। एक परिसीमित क्षेत्र में श्रमिकों के केन्द्रीभूत होने से सुगमतापूर्वक श्रमिक संघ संगठित किये जा सके और औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा अन्य श्रम नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत देय सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हुई हैं। किन्तु, सुदूर देहातों में खेती–बाड़ी, बीड़ी उद्योग, गुड़, खण्डसारी उद्योग, दाल–चावल–तेल मिल इत्यादि में संलग्न श्रमिकों तथा अन्य क्षेत्रों के भी वैसे नियोजन जैसे निर्माण कार्य, पत्थर खदान, ईंट भट्ठा, जहाँ श्रमिकों की संख्या अधिक और केन्द्रीभूत होते हुए भी उनका प्रभावकारी संगठन नहीं बन पाया है, विभिन्न श्रम नियमों/अधिनियमों में प्रदत्त सुविधाएं उन्हें प्रायः नहीं मिलती हैं। इस व्यवधान को यथासाध्य कम करने में सरकार द्वारा विनियमित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों ने कुछ सीमा तक भूमिका अदा की है। तो भी उसकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सका है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि वे श्रमिक अधिकांशतः एक जगह केन्द्रीभूत नहीं हैं, बल्कि सारे राज्य में फैले हुए हैं। परिणामस्वरूप इनका न तो कोई संगठन ही बन पाया है और न इनका कोई एक विशिष्ट नियोजक है जिस पर दबाव डालकर कोई श्रमिक संघ अपनी मांगों की पूर्त्ति करा पाये। जहाँ श्रमिक एक ही स्थान पर केन्द्रीभूत हैं, पत्थर खदान, निर्माण कार्य, ईंट भट्ठा, वहाँ पर भी संगठन के अभाव में, और बेरोजगारी के दबाव में, वे नियोजक से अपनी मांगें पूरी कराने में असमर्थ हैं। उपलब्ध प्रवर्तन तंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था से भी उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती है। कहीं–कहीं एक विशिष्ट नियोजक पर दबाव देकर मांगें कुछ हद तक पूरी भी कर दी जाती हैं तो भी इस प्रकार के निर्णय को दूसरा नियोजक अपने प्रतिष्ठान में लागू नहीं करता है। फलस्वरूप एक ही कोटि के मजदूरों को कभी–कभी एक ही स्थान पर अवस्थित होते हुए भी दो तरह की सुविधायें मिल रही होती हैं। उपर्युक्त क्षेत्रों में कार्यरत अधिकांश श्रमिकों को अभीतक भविष्य–निधि, जीवन बीमा योजना, विशेश आवासीय सुविधा, लाभांश की सुविधा, श्रमिक–कल्याण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं, यद्यपि 'बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम' एवं 'आय श्रम अधिनियम' इनके कल्याण हेतु लागू हैं। अतः इनकी सेवा–शर्त्तों का अध्ययन करना आवश्यक हो गया है। इनकी वर्तमान अवस्था को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे श्रमिकों का वर्गीकरण अर्द्ध–संगठित एवं असंगठित श्रमिक के रूप में यदि कर दिया जाय तो इनकी सेवा–शर्त्तों का अध्ययन भी गहराई से किया जा सकेगा और उसके आधार पर सरकार यह निर्णय ले कि किस प्रकार इस क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न श्रम अधिनियमों में देय अधिकार तथा कल्याणकारी सुविधाएं सम्यक् रूप से दिखायी जा सके। आर्थिक प्रगति, विभिन्न वस्तुओं की मूल्य–वृद्धि के आधार पर इतना तो निश्चित है कि छोटे–छोटे दुकानदारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है और उनके मुनाफे की दर में भी वृद्धि हुई है। किन्तु, उनकी स्थापना में कार्यरत श्रमिकों को यदि श्रम अधिनियमों के अंतर्गत देय सुविधाएं नहीं मिल पायी हैं तो इसका स्पष्ट निष्कर्ष यही है कि दुकानों, प्रतिष्ठानों, खदानों एवं छोटे–छोटे उद्योगों में होने वाली वृद्धि का सारा लाभ नियोजकों ने ही हड़प लिया है। इन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को भी इसका अंश मिले, इसके निमित्त सरकार की श्रम–नीति एवं उसके कार्यान्वयन में कुछ ठोस परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति सच्चर एवं न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोगों द्वारा मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध दिये गए तथ्यों के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को नियुक्तियों में मुसलमानों की भर्ती का विशेष अभियान चलाये जाने का निदेश दिया जाना आवश्यक है। बिहार राज्य में पुलिस, शिक्षा एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के पदों पर अनौपचारिक रुप से 20 प्रतिशत मुसलमानों की नियुक्ति का निदेश।

मुसलमानों की स्थिति में सुधार के लिए न्यायमूर्ति सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र आयोगों के अनुशंसाओं के 4 वर्ष बाद भी केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह निदेश नहीं दिया है कि पुलिस एवं अर्द्ध सैनिक संगठनों में मुसलमानों की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाय। केन्द्र सरकार द्वारा मुसलमानों की भर्ति का विशेष अभियान चलाये जाने का निदेश राज्य सरकारों को दिया जाना अत्यंत ही आवष्यक है। सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र कमिटी ने आंकड़ों के आधार पर मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, षैक्षणिक एवं नियोजन की स्थिति का जो आंकड़े दिये हैं वह जो काफी चिन्ताजनक है। इन दोनों आयोगों द्वारा किये गये अध्ययन के मुताबिक पुलिस में एवं अन्य सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों का अनुपात उनकी संख्या की तुलना में बहुत कम है। देश में अल्पसंख्यकों की कुल जन संख्या 16.4 प्रतिशत मे से 14 प्रतिशत मुसलमान है। जबकि पुलिस एवं अन्य सरकारी सेवाओं में मात्र 4 प्रतिशत है। इस असंतुलन को ठीक करने की आवश्यकता है। वह हमारी विकास प्रक्रिया के एक भारी असंतुलन को दर्शाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों एवं तबकों के बीच बल्कि समुदायों के स्तर पर भी गहरी खायी है। सच्चर की रिपोर्ट बतलाती है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या नौकरियां अथवा कारोबार का मुसलमान हिन्दुओं की तुलना में बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के मुकाबले में पिछड़े हुए हैं। कई मायनों में उनकी हालत हिन्दू समाज के दलितों से भी खराब है। इसलिये सामाजिक सामंजस्य और राष्ट्रीय एकता की मजबूती के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सच्चर समिति ने कई सिफारिशें भी की हैं। इस समिति की रिपोर्ट स्थापित करती है कि मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी वाली राज्यों में ही उनकी हालत सबसे ज्यादे खराब है। मुसलमान बाहुल्य गांव में स्कूल, पेयजल जैसे बुनियादी ढांचागत सुविधाओं से वे वंचित हैं। पिछले वर्षों में मुसलमानों की भर्ती के लिए एवं सरकारी नियोजनों में 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जो अभियान चलाये गये हैं उसका प्रभावकारी नतीजा अभीतक सामने नहीं आया है। भारत सरकार मुसलमानों के लिए विशेष आवंटन अवश्य किया है परंतु एक तो मुसलमानों की अनुपात में यह विशेष आवंटन बहुत ही कम है। दूसरी यह कि आवंटन धन राशि का उपयोग भी विभिन्न राज्य सरकारों में नहीं किया है। इस वर्ष की बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 4600 करोड उपबंध किया है जबकि दलित के लिए 37 हजार करोड़ और आदिवासियों के लिए 34 हजार करोड़ जबकि मुसलमान की आबादी दलित के करीब है। सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र आयोग ने मुसलमान के प्रतिनिधित्व सरकारी सेवा में उनके आबादी का 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होने पर विस्मय प्रकट करते हुए उनके लिए पिछड़े वर्गों की तरह सरकारी सेवाओं में आरक्षण की अनुषंसा की है। इस समय मुसलमान छात्रों को अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र दिल्ली में भी चलाया जा रहा है। चालू वर्ष में ऐसे तीन अन्य केन्द्र जो लखनउ, हैदराबाद तथा भोपाल में खोले जा रहे हैं। इस समय जब आइ॰ए॰एस॰ में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मात्र 2 प्रतिशत है। जबकि आइ॰पी॰एस॰ में 2.5 है और आइ॰एफ॰एस॰ में उनका अनुपात 1.5 प्रतिशत ही है तो ऐसी अवस्था में इस प्रकार प्रशिक्षण केन्द्र अधिक से अधिक विभिन्न राज्यों में स्थापित किये जाने चाहिए। पुलिस सेवाओं में उनकी स्थिति सोचनीय है। उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या 21 प्रतिशत है जबकि पुलिस सेवा में मात्र 5 प्रतिशत ही हैं। पश्चिम बंगाल में इनकी जनसंख्या 29 प्रतिशत है जबकि पुलिस में 7 प्रतिशत है। बिहार में इनकी जनसंख्या 16 प्रतिशत किन्तु पुलिस सेवा में 4 प्रतिशत ही है। ऐसी हीं स्थिति देश के अन्य राज्यों में भी है। ऐसी स्थिति में मुसलमानों को मुख्यधारा में षामिल करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं रोजगार में समानता प्राप्ति के उद्देश्य से शिक्षा में अधिक बल देना होगा साथ ही शिक्षा पर बड़े पैमाने पर व्यय करना पडेगा। मुसलमान आबादी वाले जिलों में आवासीय विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना को प्राथमिकता देनी होगी। राजनीति से उपर उठकर मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, षैक्षणिक एवं नियोजन में बढ़त हेतु विशेष प्रयत्न करना होगा। मुसलमान राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग–थलग हैं जबकि देश में 16 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं। 16 करोड़

मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं नियोजन के मामले में नीचे रखकर देश का विकास कतई संभव नहीं हो सकता।

ज्ञान आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विधेयक विधान मंडल से पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है। इस विधेयक पर राज्यपाल अपनी सहमति देते हुए राज्य सरकार को निदेश दें कि इन स्थापित होने वाले विश्वविद्यालयों को यह हिदायत दी जाय कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना मुनाफाखोरी के लिए नहीं होगी। उन्हें पढ़ाई के लिए एक बेहतर माहौल बनाने के साथ–साथ अच्छे शिक्षकों को भी बहाल करना होगा। निजी विश्वविद्यालयों को अपनी एक चौथाई सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए भी आरक्षित रखनी चाहिये। इन संस्थानों में 5 फीसदी सीटें कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखने वाले मेधावी बच्चों के लिए हों, जिनसे किसी प्रकार का शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाय। साथ ही बाकी 20 फीसदी सीटों पर कमजोर वर्ग के बच्चों को रियायतें मिले। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री पी॰के॰ शाही ने स्वयं कहा कि राज्य में सरकारी विश्वविद्यालयों की हालत खराब है। राज्य की आबादी 10.5 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें से 50 फीसदी युवा हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों में इनके लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं, जिसकी वहज से उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। साथ ही, सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, जिससे नये विश्वविद्यालय खोले जा सकें। गुणवत्तापूर्ण उच्च षिक्षा की बेहतर व्यवस्था के जरिये रोजगार क्षेत्रों में आगे बढने के लिए प्रचुर संभावनाएं हैं। उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा तंत्र में ज्यादा स्वायत्तता, स्वतंत्रता और लचीलेपन की जरूरत है। उच्च शिक्षा सृजनात्मक, उपयोगी, असरदार और प्रासंगिक होनी चाहिए। वास्तव में, जिन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रबंधक एवं तकनीकी प्रशिक्षित लोगों की दरकार है वह नयी विधाओं में है और इस समय राज्य सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार इंजीनियर, प्रबंधक एवं तकनीकी प्रशिक्षित लोग तैयार नहीं कर पा रहा है। राज्य में समुचित सुविधाएं और संस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं, इसलिये बड़ी संख्या में प्रखर बुद्धि युवा विभिन्न विधाओं, विषेषकर सूचना प्रौद्योगिकी में, इंजीनियरिंग में उच्च षिक्षा राज्य के बाहर में प्राप्त करते हैं। यू॰जी॰सी॰ के द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण से यह प्रकाश में आया है कि लगभग सभी सूचकों पर यथा निकाय के स्तर, पुस्तकालयीय सुविधायें, संगणक (कम्प्यूटर) की उपलब्धता, शिक्षक–छात्र का अनुपात आदि– उच्च शिक्षा को यथाशीघ्र समुन्नत करना अत्यावश्यक है। आज के स्पर्धा भरे वातावरण की मांग है उच्च शिक्षा की उत्कृष्टतर गुणवत्ता राष्ट्रीय एवं विश्व–बाजार में केवल वे ही संस्थायें प्रतियोगिता में आने की स्थिति में होंगी जो निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सम्वर्द्धित करने हेतु किसी विश्वविद्यालय एवं स्वायत्त संस्थानों को वृहत् धनराशि की जरूरत होती है। शैक्षिक और भौतिक आधारभूत संरचना यथा कक्षाओं और प्रयोगशालाओं, पुस्तक भंडार को अद्यतन करना, पुस्तकालय में पत्रिका, संदर्भ सामग्री और शिक्षकों–शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन–भुगतान आदि की गुणवत्ता संवर्द्धित करने हेतु हमें धनराशि की जरूरत है। विश्वविद्यालय, सरकार एवं अन्य श्रोतों द्वारा किये गये व्यय की उपयोगिता उच्च स्तरीय गुणवत्ता के परिणाम स्वरूप नहीं सिद्ध करे अपितु एक ऐसे तंत्र को विकसित करना ही है जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को निरंतर आकलित और संधारित करता रहे।

राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का विस्तार न सिर्फ ठहर–सा गया है, बल्कि जो है उसका स्तर भी गिरता जा रहा है। इस संदर्भ में योजना आयोग की यह चेतावनी गौरतलब है कि अगर विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया, तो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में कुशल और प्रशिक्षित प्रोफेशनलों की भारी कमी हो जायेगी। इसका राज्य के आर्थिक विकास पर बुरा असर पड सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास में ज्ञान की भूमिका दिन–पर–दिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा के विस्तार, उसकी गुणवत्ता और उसमें सभी वर्गों के प्रवेश के लिए सिफारिशें की है। आयोग ने देश में उच्च शिक्षा के निजीकरण और खासकर विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए सैद्धांतिक व व्यावहारिक अनुशंसा की है। वे ऐसी सिफारिशें हैं, जिन पर अमल किया जाय, तो उच्च शिक्षा का चेहरा बदल सकता है। जनसंख्या के 15 प्रतिशत् छात्रों को उच्च शिक्षा में दाखिल करने का लक्ष्य हासिल करना है, तो विश्वविद्यालयों की कुल संख्या बढ़ानी होगी।

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में 10 कुलपतियों एवं 10 प्रतिकुलपतियों की कुलाधिपति डॉ० डी०वाई० पाटिल द्वारा की गई नियुक्ति पर डा० जगन्नाथ मिश्र ने प्रसन्नता व्यक्त की।

बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की क्षत–विक्षत शैक्षणिक, प्रशासनीक तथा वित्तीय अस्त–व्यस्तता और विश्वविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के निराकरण के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय के निदेश पर विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत् अस्थायी नियुक्ति के लिए अधिकृत बिहार के राज्यपाल डॉ० डी०वाई० पाटिल ने बिहार के विश्वविद्यालयों के वरीष्ठत्तम स्वच्छ छवि के विश्वविद्यालय आचार्यो को कुलपति एवं प्रतिकुलपति नियुक्ति कर एक प्रसंसनीय कार्य किया है। यह सर्वविदित है कि पिछले कुछ वर्षो में बिहार में उच्च शिक्षा लगातार अधोगति की ओर बढ़ती गई, और अनेक प्रकार की विसंगतियाँ, भ्रांतियाँ और गुनवत्ता विहिनता बढ़ती जाने से राज्य और राज्य के बाहर बिहार कि छवि पर लगातार आघात होता गया है। पूर्व राज्यपाल ने सभी मर्यादाओं को खंडीत करते हुए ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी जिससे संपूर्ण देश में बिहार का उच्च शिक्षा कलंकित होता गया। राज्य सरकार के प्रयत्नों के बावजूद उच्च शिक्षा में इसलिए सुधार नही हो सका क्योंकि विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत कुलाधिपति को विशेष अधिकार प्राप्त है, उस विशेषाधिकार का कुलाधिपति ने लगातार दुरूपयोग किया। राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी को विभिन्न सूत्रों से यह जानकारी मिली कि पूर्व कुलाधिपति के कार्यकाल में बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति बिगड़ती गई। इसलिए उनके निदेश पर ही देश के प्रख्यात शिक्षाविद् पद्मश्री डॉ० डी०वाई० पाटिल को बिहार का राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर बिहार की उच्च शिक्षा में पुनः नई सम्भावनाएँ बना दी है। उच्चतम न्यायालय ने 18 मार्च 2013 को ही तत्कालिन कुलाधिपति द्वारा नियुक्त सभी कुलपतियों एवं प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी तथा 23 अप्रैल 2013 को बिहार के राज्यपाल को अस्थयी नियुक्ति करने के लिए अधिकृत किया है। डॉ० पाटिल और राज्य सरकार के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत से कुलपति तथा प्रतिकुलपति के नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड से बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम में संसोधन किये जा रहें है। 29 अप्रैल 2013 को उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले का अतिंम निष्पादन संभावित है।

डॉ० मिश्र ने इस बात पर प्रसंता व्यक्त की है कि कुलाधिपति ने सभी विश्वविद्यालयों से शिक्षको के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर वरीयतम विश्वविद्यालय आचार्यों को कुलपति तथा प्रतिकुलपति की नियुक्ति कर विश्वविद्यालय क्षेत्र में एक नई उम्मीद तथा संभावना सृजित कर दी है।

राजभवन में बिहार के राज्यपाल एवं कुलाधिपति डॉ॰ डी.वाई॰ पाटिल से मिलकर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने अपील की है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक पर राज्यपाल अपनी सहमति देते हुए राज्य सरकार को निदेश दे कि इन निजी विश्वविद्यालयों में गरीब एवं पिछड़े छात्र–छात्राओं के हितों का संरक्षण हो।

आज राजभवन में राज्यपाल और कुलाधिपति डॉ॰ डी.वाई॰ पाटिल से मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि ज्ञान आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विधेयक विधान मंडल से पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है। इस विधेयक पर राज्यपाल अपनी सहमति देते हुए राज्य सरकार को निदेश दें कि इन स्थापित होने वाले विश्वविद्यालयों को यह हिदायत दी जाय कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना मुनाफाखोरी के लिए नहीं होगी। उन्हें पढ़ाई के लिए एक बेहतर माहौल बनाने के साथ–साथ अच्छे शिक्षकों को भी बहाल करना होगा। निजी विश्वविद्यालयों को अपनी एक चौथाई सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए भी आरक्षित रखनी चाहिये। इन संस्थानों में 5 फीसदी सीटें कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखने वाले मेधावी बच्चों के लिए हों, जिनसे किसी प्रकार का शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाय। साथ ही बाकी 20 फीसदी सीटों पर कमजोर वर्ग के बच्चों को रियायतें मिले। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री पी॰के॰ शाही ने स्वयं कहा कि राज्य में सरकारी विश्वविद्यालयों की हालत खराब है। राज्य की आबादी 10.5 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें से 50 फीसदी युवा हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों में इनके लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं, जिसकी वहज से उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। साथ ही, सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, जिससे नये विश्वविद्यालय खोले जा सकें। गुणवत्तापूर्ण उच्च षिक्षा की बेहतर व्यवस्था के जरिये रोजगार क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रचुर संभावनाएं हैं। डा॰ मिश्र ने उनसे कहा कि उच्च शिक्षा एवं तकनीकी षिक्षा तंत्र में ज्यादा स्वायत्तता, स्वतंत्रता और लचीलेपन की जरूरत है। उच्च षिक्षा सृजनात्मक, उपयोगी, असरदार और प्रासंगिक होनी चाहिए। वास्तव में, जिन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रबंधक एवं तकनीकी प्रषिक्षित लोगों की दरकार है वह नयी विधाओं में है और इस समय राज्य सरकार अपनी आवष्यकता के अनुसार इंजीनियर, प्रबंधक एवं तकनीकी प्रषिक्षित लोग तैयार नहीं कर पा रहा है। राज्य में समुचित सुविधाएं और संस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं, इसलिये बड़ी संख्या में प्रखर बुद्धि युवा विभिन्न विधाओं, विषेषकर सूचना प्रौद्योगिकी में, इंजीनियरिंग में उच्च षिक्षा राज्य के बाहर में प्राप्त करते हैं। यू.जी.सी॰ के द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण से यह प्रकाष में आया है कि लगभग सभी सूचकों पर यथा निकाय के स्तर, पुस्तकालयीय सुविधायें, संगणक (कम्प्यूटर) की उपलब्धता, षिक्षक–छात्र का अनुपात आदि– उच्च षिक्षा को यथाषीघ्र समुन्नत करना अत्यावष्यक है। आज के स्पर्धा भरे वातावरण की मांग है उच्च षिक्षा की उत्कृष्टतर गुणवत्ता राष्ट्रीय एवं विष्व–बाजार में केवल वे ही संस्थायें प्रतियोगिता में आने की स्थिति में होंगी जो निरंतर गुणवत्तापूर्ण षिक्षा प्रदान करें। उच्च षिक्षा की गुणवत्ता सम्वर्द्धित करने हेतु किसी विष्वविद्यालय एवं स्वायत्त संस्थानों को वृहत् धनराषि की जरूरत होती है। षैक्षिक और भौतिक आधारभूत संरचना यथा कक्षाओं और प्रयोगषालाओं, पुस्तक भंडार को अद्यतन करना, पुस्तकालय में पत्रिका, संदर्भ सामग्री और षिक्षकों–षिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन–भुगतान आदि की गुणवत्ता संवर्द्धित करने हेतु हमें धनराषि की जरूरत है। विष्वविद्यालय, सरकार एवं अन्य श्रोतों द्वारा किये गये व्यय की उपयोगिता उच्च स्तरीय गुणवत्ता के परिणाम स्वरूप नहीं सिद्ध करे अपितु एक ऐसे तंत्र को विकसित करना ही है जो उच्च षिक्षा की गुणवत्ता को निरंतर आकलित और संधारित करता रहे।

डा॰ मिश्र ने राज्यपाल से कहा कि चिंता की बात यह है कि राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का विस्तार न सिर्फ ठहर–सा गया है, बल्कि जो है उसका स्तर भी गिरता जा रहा है। इस संदर्भ में योजना आयोग की यह चेतावनी गौरतलब है कि अगर विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया, तो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में कुशल और प्रशिक्षित प्रोफेशनलों की भारी कमी हो जायेगी। इसका राज्य के आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास में ज्ञान की भूमिका दिन–पर–दिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा के विस्तार, उसकी गुणवत्ता और उसमें सभी वर्गों के प्रवेश के लिए सिफारिशें की है। आयोग ने देश में उच्च शिक्षा के निजीकरण और खासकर विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए सैद्धांतिक व व्यावहारिक अनुशंसा की है। वे ऐसी सिफारिशें हैं, जिन पर अमल किया जाय, तो उच्च शिक्षा का चेहरा बदल सकता है। जनसंख्या के 15 प्रतिशत छात्रों को उच्च शिक्षा में दाखिल करने का लक्ष्य हासिल करना है, तो विश्वविद्यालयों की कुल संख्या बढ़ानी होगी।

केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 12 हजार करोड़ रूपए का विशेष पैकेज दिये जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने 2019–20 तक बिहार को राष्ट्रीय औसत पर लाने के लिये प्रतिवर्ष 80 हजार करोड़ रूपए की वार्षिक योजना की आवश्यकता बतलायी।

यह निर्विवाद है कि बिहार अभी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और सभी विकास सूचकों के लिहाज से योजना युग की लगभग षुरूआत से ही देश में सबसे निचले पायदान पर बरकरार है। इसका मुख्य कारण राज्य में सबसे कम योजना परिव्यय तथा निवेश का निम्न स्तर हैं। राज्य के प्रति किये गये अन्याय को दूर करने के लिये केन्द्र को विशेष प्रयास करना पड़ेगा। इस पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बिहार को 12 हजार करोड़ रूपये का विशेष पैकेज दिये जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपनी जरूरतों को दरसाते हुए केन्द्र से बीआरजीएफ में कम से कम चार हजार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष अर्थात कुल 20 हजार करोड़ रूपये की मांग की थी। क्योंकि गरीबी की अधिकता, प्रति व्यक्ति कम आय, औद्योगीकरण का निम्न स्तर और सामाजिक आर्थिक आधार के पिछड़ेपन के कारण बिहार राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आवाज उठा रहे हैं। यह बिहार के विकास के लिए किये जा रहे संघर्ष की दिशा में एक ऐतिहासिक तथा सराहनीय कदम है। बिहार की लगातार उपेक्षा के कारण जहाँ देश में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश का राष्ट्रीय औसत 4,144 रूपए है जबकि बिहार में यह सिर्फ 395 रूपए है। योजना आयोग के एक अनुमान के अनुसार अगर भारत की औसत विकास दर 2019–20 तक 9 प्रतिषत से अधिक बनी रहती है, तो बिहार को उसके समकक्ष पहुँचने के लिए 2019–20 तक बिहार के लिए समस्त संभावनाओं के जरिए लगभग 80 हजार करोड़ रूपये की वार्षिक निवेश की आवश्यकता होगी। यह विशाल राशि विशेष राज्य के दर्जा और विशेष अनुदान के जरिए ही आ सकती है। वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय मात्र 23,436 रूपया है जबकि राष्ट्रीय औसत 60 हजार है।

डा॰ मिश्र ने कहा कि बिहार की प्रति व्यक्ति की आय न्यूनतम स्तर पर है तथा यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ–साथ सामाजिक आर्थिक व्यय सबसे निचले पायदान पर है। बिहार को आर्थिक पिछड़ापन और विकासात्मक घाटे के कारण विशेष सहायता एवं विशेष राज्य का दर्जा फौरी मिलनी चाहिये। राज्यों के बीच व्याप्त विषमताओं को पाटने और विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से इसकी आवश्यकता है। बिहार को औद्योगिक रूप से पिछड़े होने के कारण टैक्स में छूट मिले जिससे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिले। यह सर्वमान्य है कि बिहार कम विकसित राज्य है। देश का कोई राज्य अगर औसत विकास से नीचे है तो राष्ट्रीय एकता के लिए उसे विशेष सहायता दी जाय। इस समय बिहार में देश के कुल आबादी का 8 प्रतिशत है लेकिन राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी मात्र 2.92 प्रतिशत है। अगर बिहार को विशेष सहायता और विशेष राज्य का दर्जा दी जाय तो देश के जीडीपी में बिहार भी 10 प्रतिशत योगदान कर सकता है। पिछले 7 वर्षों में वर्तमान सरकार ने अपनी सीमित संसाधनों से विकास कर राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। अगर केन्द्र सरकार, वित्त आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् से बिहार को अपेक्षित सहायता मिले तो अपनी क्षमता से वह विकास कर सकता है। संविधान सभी प्रकार की असमानताएं दूर करने के प्रति बहुत गंभीर है, चाहे वे व्यक्तियों के बीच हों या समूहों के बीच। संविधान के अनुच्छेद 38(2) का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा जो राज्यों को असमानताएं दूर करने की जवाबदेही देता है। "राज्य खास करके आय की असमानताएं न्यूनतम करने का प्रयास करेगा और प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को व्यक्तियों के बीच ही नहीं, विभिन्न इलाकों में विभिन्न स्थानों पर रह रहे जन समूहों के बीच की भी असमानताओं को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा।" लेकिन संविधान के इस दिशा–निर्देश के बावजूद, बिहार के लोग व्यक्तियों और जनसमूहों के बीच मौजूद असमानताओं से पीडित हैं। बिहार की वित्तीय आवश्यकता पर विकसित राज्यों से अलग होकर विचार करने की जरूरत है। इसके लिए साहसपूर्ण और सुदृढ़ वित्तीय नीति बनानी पड़ेगी। आज पिछड़े राज्यों और विकसित राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को एक ही तराजू पर तौलकर अनुमान करने की जो प्रणाली बनी हुई है उसे त्यागकर पिछड़े राज्यों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं का आकलन करने में अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। बिहार जैसे पिछड़े राज्य को मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् को गाडगिल फार्मूला में निर्धारित शर्तों में संशोधन करने पर विचार करना चाहिये क्योंकि गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत योजना अनुदान की वर्तमान व्यवस्था ने भी असमानता को बढ़ावा दिया है। जिसने बिहार जैसे राज्य को लगातार क्षति पहुँचायी है।

राजभवन में बिहार के राज्यपाल डॉ॰ डी॰वाई॰ पाटिल से मिलकर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने बिहार की क्षत–विक्षत उच्च शिक्षा की जानकारी देते हुए शिक्षा में पुनः गुणवत्ता बहाल कराने हेतु उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की अपील की।

आज राजभवन में राज्यपाल प्रख्यात शिक्षाविद् पद्मश्री डॉ॰ डी॰वाई॰ पाटिल से मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने बिहार की उच्च शिक्षा से सम्बन्धित बातों की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लगातार हो रहा गुणात्मक ह्रास, विश्वविद्यालय की बिगड़ती हुई प्रशासनिक, शैक्षणिक अराजकता एवं वित्तीय स्थिति विस्मयकारी है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताएं, भय एवं अपारदर्शिता, अवैधानिक एवं पक्षपातपूर्ण कार्य संस्कृति, वृहत् पैमाने पर विभिन्न निर्णयों में नियम, परिनियम, अधिनियम, विनियम एवं स्थापित मर्यादित परंपराओं की अवहेलना, विष्वविद्यालयों की आधारभूत संरचना को नष्ट करने की कोशिश, मूल्यों में भारी गिरावट, सिंडिकेट एवं सिनेट की मर्यादा का हनन एवं अवमानना, राज्यादेश एवं नियम–कानून के प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए सिंडिकेट एवं अन्य स्टैच्यूटरी व नन–स्टैच्यूटरी निकायों की बैठकें नियमित रूप से नहीं करने, सिंडिकेट एवं अन्य निकायों की बैठकों के निर्णयों का सही–सही अनुपालन नहीं करने प्रधानाचार्यों, विश्वविद्यालय अधिकारियों (परीक्षा नियंत्रक उप कुल सचिव) प्रेस कर्मचारियों, विधि शिक्षकों एवं अन्य (स्ववित्तपोषित एवं यू॰जी॰सी॰ के विभिन्न पाठयक्रम इत्यादि) विभिन्न पदों पर अनियमित एवं अवैधानिक नियुक्ति करने तथा इसमें राज्य सरकार की आरक्षण–नियमावली की घोर उपेक्षा करने, वृहत् पैमाने पर मनमाने ढंग से एवं भेदभाव के आधार पर बगैर किसी पारदर्शी सिद्धांत के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण या पदस्थापन करने, पिक एण्ड चूज के आधार पर कर्त्तव्यनिष्ठ एवं मेधावी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अपमानित, प्रताड़ित एवं दण्डित किए जाने, पक्षपातपूर्ण ढंग से अपने चहेते शिक्षकों एवं कर्मचारियों को लाभान्वित करने, परीक्षा विभाग में व्यापक स्तर पर विभिन्न प्रकार की अनियमितता में बरतने, पी॰डब्ल्यू॰डी॰ के नियमों की अनदेखी कर भवन निर्माण करबाने, सिंडिकेट की पूर्व स्वीकृति के वगैर अनियमित ढंग से बड़े पैमाने पर खर्च करने, सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पेंशनादि एवं सेवानिवृत्ति के लाभ के भुगतान में अनियमितता, भेदभाव करने, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अराजकता को बढ़ावा देने एवं विश्वविद्यालयों में अशांति का माहौल स्थापित किये जाने के विरूद्ध महामहिम कुलाधिपति सह–राज्यपाल महोदय को तत्काल हस्तक्षेप करने की बात कही ताकि विश्वविद्यालयों में स्वच्छ एवं स्वस्थ, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक माहौल पुनः बहाल हो सके।

डा॰ मिश्र ने राज्यपाल से यह अपील की है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन और उपादान सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर मिले जैसी सरकार की 1982 से ही वचनबद्धता है। पिछली सरकार ने कालबद्ध प्रोन्नति बंद कर दी जिसे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। परंतु यह विस्मयकारी है कि उस निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में अपील में चली गयी है। शिक्षकों की मांग है कि पूर्व की तरह कालबद्ध प्रोन्नति जारी रहे। इसलिए राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय से अपील की याचिका को वापिस ले लें और पूर्व की भांति प्रोन्नति जारी रहे। बिहार के विश्वविद्यालयों में यू॰जी॰सी॰ मार्गदर्शिका एवं समय–समय पर जारी निर्देशों को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में 1990 से लगातार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता क्रमशः अधोगति प्राप्त करती रही है। राष्ट्रीय मानक एवं दिशा–निर्देशन के विरुद्ध बिहार में लगातार उच्च शिक्षा की उपेक्षा होती रही है। केन्द्र सरकार एवं यू॰जी॰सी॰ द्वारा जारी दिशा–निर्देश की अनदेखी से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्रीय औसत से नीचे गिरती गयी है। उन्हें बताया कि आज यह जबरदस्त भावना हो गयी है कि बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से उच्च स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्रों की कुशलता राष्ट्रीय अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती है। एक ओर तो हम शिक्षित बेरोजगारों की इतनी बडी संख्या नहीं चाहते और दूसरी ओर हमारे पास जो कार्य (जॉब) हैं उनके लिये अनुकूल उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। हमारे जैसे विकासशील समाज में नियोजन की दृष्टि से अयोग्य उच्च स्नातक बेकारी की समस्या से भी बड़ी समस्या प्रस्तुत कर देते हैं। आज के स्पर्धा भरे वातावरण की मांग है उच्च शिक्षा की उत्कृष्टता और गुणवत्ता। ये बातें उच्च शिक्षा के मामले में खासतौर से सच्ची पायी जाती हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सफल होने के लिये यह अनिवार्य है कि हमारे राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता का सम्वर्द्धन किया जाना अति आवश्यक है।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के पिछड़ेपन के मानकों में संशोधन किये जाने की संभावना

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के रामलीला मैदान. के रैली के बाद प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया से मिलकर बिहार की समस्याओं और बिहार के साथ भेदभावपूर्ण केन्द्रीय नीत के कारण हुए परिणामों से तर्कपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया। उनके बातों से संतुष्ट होकर पिछड़े राज्यों को दी जाने वाली सहायता के मापदण्डों में संशोधन करने की संभावना केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है, का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा. जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा सात वर्षों से यह अभियान चलाया जा रहा है कि बिहार को उपेक्षित रखकर देश की विकास दर को टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता। विकास दर को टिकाऊ करने के लिए आवश्यक है कि पिछड़े राज्यों का विकास हो, जो छूट गये हों उन्हें आगे लाया जाय। गरीब राज्यों को विशेष मदद मिले। हमारा संविधान भी न्याय के साथ विकास की बात कहता है। क्षेत्रीय विषमताओं को पाटने का दायित्व है। बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को उपेक्षित रहने के परिणामस्वरूप बिहार में योजनाकाल में योजना व्यय और प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता निम्नतम रही। मुख्यमंत्री पिछले सात वर्षों से बिहार की अस्मिता को आक्रामक तरीके से प्रस्तुत करते रहे हैं। उसमें वे बहुत हद तक सफल हुए हैं। समाज को एक संयुक्त सूत्र में बांधनें में भी वे दिल्ली के रामलीला मैदान के रैल से सफल हुए। उन्होंने रैली के माध्यम से केन्द्र को संदेश दिया कि बिहार को वाजिब हक मिले। उन्होंने बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए केन्द्र के मौजूदा मापदण्ड में परिवर्तन की आवाज उठायी। इसलिए केन्द्र सरकार को विशेष राज्य दर्जा के लिये नया फार्मूला तैयार करना चाहिये। वर्तमान मापदण्ड आज के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। देश में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश का राष्ट्रीय औसत 4144 रूपए है जबकि बिहार में यह सिर्फ 395 रूपए है। जब बिहार को विशेष राज्य के तहत सहूलियतें, रियायतें और उद्यमियों को मदद मिलेगी, तभी इसके विकास की रफ्तार तेज होगी। बिहार को आर्थिक पिछड़ापन और विकासात्मक घाटा के कारण केन्द्र से विशेष राज्य का दर्जा फौरी रूप में मिले, संपूर्ण आंतरिक विकास और देश की राजनीतिक स्थिरता दोनों के हित में यह जरूरी है। राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया, चाहे जितनी भी मजबूत क्यों न हो, बिहार जैसे बड़े राज्य के आर्थिक पिछड़ापन के बंधनों को सम्हाल नहीं सकती। कमजोर आधारभूत संरचना, संसाधन का कमजोर आधार और बड़े–बड़े बाजारों से दूरी, भौगोलिक अलगाव, पहुँच के परे स्थान एवं आर्थिक अक्षमता जिनका व्यवहार योजना आयोग और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा बहुधा किया जाता है, बिहार खरा उतरता है, अधिक नहीं, तो समान रूप से अवश्य ही विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की तरह बिहार की स्थिति बनी हुई है। मात्र गरीबी ही इस राज्य को बुरी तरह से पंगु नहीं बनाती, अपितु इसकी संरचनात्मक परिस्थिति बिहार को चिरंतन और सतत् विद्यमान वह चरित्र भी प्रदान करती है, जो चरित्र अन्य विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में प्राप्य नहीं है। देश के किसी भी राज्य की गरीबी से बिहार की आधारभूत संरचना की हीनता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। बिहार में आधारभूत संरचना का पिछड़ापन तो ऐतिहासिक रूप से राज्य को वंचित रखे जाने की लंबी दास्ताँ से रेखांकित है, जिसका सामना औपनिवेशिक सरकार के समय से बिहार करता रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने से न केवल बिहार बल्कि समग्रता में पूरे देश का भी लाभ होगा। बिहार को विशेष दर्जा मिलने का मसला केवल केन्द्रीय करों में राहत तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः इससे उत्पादन में जो बढ़ोतरी होगी उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। बिहार अभीतक देश को केवल उत्पादन के साधन उपलब्ध कराता रहा है, उसकी सीधे हिस्सेदारी उत्पादन में भी हो जायेगी। इस तरह उत्पादन और विकास का विकेन्द्रीकरण होने से बिहार से लोगों के विरथापन में कमी आयेगी।

आज राजभवन में नवनियुक्त बिहार के राज्यपाल डॉ॰ डी॰वाई॰ पाटिल से मिलकर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने बधाई दी।

आज राजभवन में नवनियुक्त राज्यपाल प्रख्यात शिक्षाविद् पद्मश्री डॉ॰ डी॰वाई॰ पाटिल से मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने बधाई दी एवं उनसे कहा कि संवैधानिक प्रावधानों और अवधारणाओं को बहाल करने तथा बिहार के विश्वविद्यालयों में व्याप्त वित्तीय प्रशासनिक और शैक्षणिक अराजकताओं को समाप्त करने के लिए ही राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा उनकी नियुक्त की गई है। राष्ट्रपति स्वयं बिहार की उच्च शिक्षा में व्याप्त समस्याओं और विश्वविद्यालयों में हो रहे लगातार गुणात्मक ह्रास को देखकर ही उनके जैसे प्रख्यात शिक्षाविद् व्यक्ति को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया है। पूर्व राज्यपाल श्री देवानन्द कुँवर के 44 महीनों के कार्यकाल में उच्च शिक्षा पूर्णतः चरमरा गई है। राजभवन के अनावश्यक अनुचित हस्तक्षेप से स्थिति लगातार विगड़ती गई।

डा॰ मिश्र ने उन्हें बताया कि बिहार के शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता और शैक्षणिक माहौल बनाने की उनसे बिहार के लोगों की बड़ी अपेक्षा हो गई है। उन्हें विश्वविद्यालय समेत उच्च स्तरीय तकनीक संस्थानों की स्थापना के साथ–साथ विश्वविद्यालय की स्थापना और शैक्षणिक संस्थानों के संचालन का अनुभव है। देश के शैक्षणिक क्षेत्र में उनकी अपनी अलग पहचान है। जिससे बिहार के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक क्षेत्र को लाभ मिलेगा। पिछले वर्षो से सरकार और राजभवन के बीच टकराहट बने रहने से बिहार के शैक्षणिक कार्यो पर विपरीत प्रभाव पड़ता रहा है। उनके राज्यपाल नियुक्त होने से बिहार के लोगों की अपेक्षा हो गई है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रशासनिक और शैक्षणिक अराजकता समाप्त होगी। राज्य सरकार एवं राजभवन में सौहार्द्रपूर्ण संबंध स्थापित होगा। बिहार विधान मंडल द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल की सहमति नहीं मिलने से स्थिति गंभीर हो गई थी। इस पृष्ठभूमि में उनसे संवैधानिक प्रावधानों, अवधारणाओं और विश्वविद्यालय अधिनियमों के अंतर्गत क्रियाकलापों की वापसी बिहार की जनता से अपेक्षा है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद के इसी सत्र में स्वीकृत करने के निर्णय का डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी को बधाई दी।

भारत में कुपोषण एवं गरीबी एक बड़ी चुनौती है, जिसे खत्म करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लम्बे जद्दोजहद और तमाम मतभेदों के बाद खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी देने और उसे इसी संसद सत्र में पारित कराने के निर्णय का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि सबके लिए अह्म बात है कि इस विधेयक में पहलीबार यह माना गया है कि भोजन प्राप्त करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इस विधेयक के तहद 67 प्रतिशत आबादी को सस्ती दरों पर अनाज मुहैया कराने का प्रावधान किया जा रहा है। सबके लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना वर्ष 1947 से ही राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है। पं॰ जवाहर लाल नेहरू ने इस लक्ष्य की चर्चा यह कहकर की थी कि और सभी इंतजार कर सकते हैं, लेकिन खेती नहीं। खाद्य सुरक्षा अब आर्थिक और सामाजिक रूप से संतुलित आहार प्राप्त कर सकने, पेयजल की उपलब्धता, पर्यावरण की सफाई और प्रारंभिक स्वास्थ्यचर्या के रूप में परिभाषित की जाती है। दुर्भाग्य की बात है कि अनेक सरकारी योजनाओं के बावजूद हमारे देश में व्यापक रूप से कुपोषण फैला है। बच्चे और महिलाएं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। हमने उद्योगों और आर्थिक विकास दर के मामले में चाहे जितनी भी प्रगति कर ली हो, लेकिन भूख मिटाने और कुपोषण के मामले में हमारी ख्याति अच्छी नहीं है। पिछले दशक में आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं पर जोर होता था, जो अब अधिकारों पर आ गया है। इस प्रकार से अब संसद द्वारा पारित कानूनों के जरिये हमें शिक्षा, सूचना और रोजगार क्षेत्रों में अधिकार मिले हुए हैं। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित किया जा रहा है, जिसके जरिये हर भारतीय नागरिक को भोजन पाने का अधिकार मिल जाएगा।

केन्द्र सरकार ने कुपोषण एवं गरीबी की चुनौती से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून पारित करा रही है। इस कानून से हर नागरिक कानूनी रूप से भोजन पाने का हकदार होगा। गाँवों में 75 फीसदी और शहरों में 50 फीसदी आबादी इस कानून से लाभान्वित होगी। इस विधेयक को इस सत्र में संसद से मंजूरी मिल जाएगी। इस बिल के लागू होने के बाद देश में करीब 32 करोड़ लोगों को एक वक्त भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा कानून के जरिये सरकार ने 2015 तक देश में भुखमरी खत्म करने का लक्ष्य रखा है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 जिसमें "जीने का अधिकार मौलिक अधिकार की है को परिभाषित करते हुए अनेक अवसरों पर कहा है कि जीने का अधिकार का अर्थ है–'भोजन युक्त जीवन,' 'स्वास्थ्य युक्त जीवन,' आवास, 'शिक्षा और कपड़ा युक्त जीवन" ही सरकार को सबको भोजन, सबको शिक्षा और सबको स्वास्थ्य एवं आवास सुनिश्चित करना है। इस दिशा में खाद्य सुरक्षा विधेयक एक महत्वपूर्ण निर्णय है। परंतु इसका सफल कार्यान्वयन जन वितरण प्रणाली पर निर्भर करता है। इस अधिनियम से राज्य सरकार का दायित्व बढ गया है।

आज दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐतिहासिक अधिकार रैली की सफलता पर मुख्यमंत्री, उपस्थित कार्यकर्ताओं और आम लोगों को डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने बधाई दी।

आज बिहार के इतिहास में पहलीबार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित अधिकार रैली में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने केन्द्र को कहा है कि गरीब बिहार राज्य को उपेक्षित रखकर देश की विकास दर को टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने सभी पिछड़े राज्यों का सवाल उठाकर उन राज्यों में भी एक नयी चेतना उत्पन्न की है। विकास दर को टिकाऊ करने के लिए आवश्यक है कि सभी राज्यों का विकास हो, जो छूट गये हैं, उन्हें आगे लाया जाये। गरीब राज्यों को विशेष मदद मिले। धनी राज्यों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती कर आर्थिक मदद गरीब राज्यों को मिलनी चाहिये। हमारा संविधान भी न्याय के साथ विकास की बात कहता है। गरीब राज्यों को उपेक्षित रखना संविधान की अवमानना है। आजादी के बाद केन्द्र की ऐसी नीतियाँ रही जिससे महाराष्ट्र, गुजरात दक्षिण के विकसित राज्यों को लगातार लाभ होता रहा और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को उपेक्षित रहना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप बिहर में योजनाकाल में योजना व्यय और प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता निम्नतम रही। बिहार के प्राकृतिक साधनों से अन्य राज्यों में उद्योग और विकास हुआ और बिहार की अनदेखी होती रही। माल भाड़ा समानीकरण और खनिज पर रॉयल्टी कम रहने के कारण बिहार बड़े उद्योगों से वंचित रहा क्योंकि बिहार की खनिज सम्पदाओं का मूल्य जो बिहार में था वह बिहार से बाहर मुम्बई, चेन्नई इत्यादि में भी रहता था। सामान्यतः बड़े उद्योग घराने बिहार में उद्योग स्थापित करने के बजाय बिहार से बाहर उद्योग स्थापित करते रहे। सभी केन्द्रीय और बड़े निजी प्रतिष्ठानों का मुख्यालय बिहार से बाहर रहने के कारण आयकर हिस्से के निर्धारण से बिहार को लगातार क्षति हो रही। इन सभी कारणों से बिहार आंतरिक संसाधन एकत्र करने में विफल रहा, जिसके कारण राज्य का अंश देने में बिहार विफल रहा। केन्द्र की लगातार उपेक्षा पूर्ण नीत के कारण बिहार लगातार पिछड़ता गया। इस सफल अधिकार रैली के माध्यम से श्री नीतीश कुमार ने यह संदेश देने में सफल हो गये हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा से बिहार में विकास की संभावनायें दृढ़काल तक होगी और सभी सुविधाएं विकसित होगी। जिससे निजी एवं आधुनिक निवेश की संभावनायें बढ़ेगी और बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जायेगी। मुख्यमंत्री ने इस रैली से बिहारीपन और बिहार की उपराष्ट्रीयता को भावनात्मक रूप से जोड़ने में सफल हुए हैं। उन्होंने तर्कों और आंकड़ों से यह साबित करने में सफल रहे हैं कि केन्द्र की भेदभावपूर्ण नीतियों से लगातार बिहार को उपेक्षित रहना पड़ा है। वे बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के संघर्ष से पूरे बिहार के समाज में व्याप्त दरारों और विखराव को पाटने में कामयाब हुए हैं। मुख्यमंत्री पिछले सात वर्षों से बिहार की अस्मिता को आक्रामक तरीके से प्रस्तुत करते रहे हैं। उसमें वे बहुत हद तक सफल हुए हैं। समाज को एक संयुक्त सूत्र में बांधनें में भी वे रामलीला मैदान से सफल हुए हैं। उन्होंने रैली के माध्यम से केन्द्र को संदेश दिया है कि बिहार को वाजिब हक मिले। आज के रामलीला मैदान की रैली में यह संदेश बेहद, सहज और सीधे शब्दों में दिया है। उन्होंने बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए केन्द्र के मौजूदा मापदण्ड में परिवर्तन की आवाज उठायी। इसलिए केन्द्र सरकार को विशेष राज्य दर्जा के लिये नया फार्मूला तैयार करना चाहिये। वर्तमान मापदण्ड आज के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। श्री नीतीश कुमार ने बिहार की पीड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया है। दिल्ली में प्रवासी बिहारी को उद्वेलित कर संपूर्ण बिहार में एक नया माहौल बनाने में वे सफल हुए हैं। अतः मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज की ऐतिहासिक अधिकार रैली में उपस्थित तमाम कार्यकर्ताओं आमजनों को डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने बधाई दी।

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान के तत्वावधान में "केन्द्रीय बजट 2013–14" पर आयोजित परिचर्चा :

आज बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान के तत्वावधान में **"केन्द्रीय बजट 2013–14"** पर आयोजित परिचर्चा को सम्बोधित करते हुए संस्थान के अध्यक्ष, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी॰ चिदम्बरम के सामने बजट बनाते समय राजनीतिक दबावों और बाजार की जरूरतों के बीच संतुलन की कठिन चुनौती थी। बजट की बाजीगरी के जरिये वित्त मंत्री इसमें कामयाब रहे और संतुलित बजट देकर बाजार की जरूरतों का ख्याल रखा तो सरकार की सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रतिबद्धता से भी पीछे नहीं हटे। परंतु कृषि विकास दर में वृद्धि के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है, जो कृषि अर्थव्यवस्था को स्थायित्व और निरंतरता दोनों प्रदान करें। जहाँ बाजार अपनी प्रभावशाली भूमिका अदा कर सके, ज्यादा पूंजी निवेश आकर्षित हो बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, खाद्यान्न मूल्यों, भंडारण के प्रबंधन और खाद्यान्न वितरण की बेहतर व्यवस्था हो और कृषि क्षेत्र के लिए उपयुक्त व्यापार नीति अपनायी जाय। कृषि क्षेत्र का विकास होगा जिससे रोजगार आमदनी और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होगी। केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पिछड़े राज्यों को सहायता देने के शर्तों में बदलाव की घोषणा किया जाना स्वागत योग्य है। इससे बिहार की वर्षों से की जा रही मांग की पूर्ति होगी।

मुख्य वक्ता के रूप में डॉ॰ नवल किशोर चौधरी, पूर्व अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय ने बजट के विभिन्न प्रस्तावों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि आम बजट में महंगाई और राजकोषीय घाटे से पार पाने में सरकार की लाचारी साफ नजर आती है। वित्त मंत्री श्री पी॰ चिदम्बरम ने महिलाओं, युवाओं और गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने के मकसद से कुछ उदारता बरतने की कोशिश की, मगर इनके लिए किया गया बजटीय आवंटन शायद ही कोई उल्लेखनीय असर छोड़ पाये। युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा करने, महिलाओं में सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने, गरीब परिवारों को मनरेगा का उचित लाभ दिलाने के मकसद से आवंटन किया गया है, मगर यह काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार अनियमितताओं को रोकने में कितना कामयाब हो पाती है। वित्त मंत्री ने माना कि महंगाई से लड़ने के लिए हर मोर्चे पर चौकसी बरतनी होगी और राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए व्यय को युक्तिसंगत बनाना होगा। मगर बजट में इसकी तैयारी नजर नहीं आती।

डॉ॰ आई॰डी॰ शर्मा ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को कम करने का दावा कहाँ तक पूरा हो पाएगा, कहना मुश्किल है। महंगाई पर लगाम लगाने के मकसद से बैंक दरों में फेरबदल जैसे कुछ फौरी उपाय कई बार आजमाए गए, मगर वे नाकाम साबित हुए।

डॉ॰ आई॰सी॰ कुमार ने कहा कि सन् 2012–13 के आर्थिक सर्वेक्षण में बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि का आकलन सिहरन पैदा करता है। तमाम प्रयासों के बावजूद बेरोजगारों की संख्या अनियंत्रित ढंग से बढ़ती जा रही है। इससे निपटने के लिए कौन–से कदम उठाये जाएं यह आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।

श्री आर॰यू॰ सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार में कमी और इससे पैदा हुई दिक्कतों को श्री चिदम्बरम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के हालात से जोड़ा।

श्री हरिद्वार पाण्डेय ने कहा कि वित्त मंत्री श्री पी॰ चिदम्बरम के सामने अर्थशास्त्र और राजनीति के बीच कठिन संतुलन बनाने की चुनौती थी। उन्हें एक साथ निवेशकों और समाज के उन तबकों को लुभाना था, जो चुनावों में राजनीतिक दलों के भाग्य विधाता होते हैं।

श्री टी॰आर॰ गांधी ने कहा कि वर्ष 2013–14 का बजट विकासोन्मुखी है और स्वागत योग्य है। इससे निवेश में तेजी आएगी। विश्व स्तर की चुनौतियों और घरेलू आर्थिक स्थितियों को देखते हुए बजट में ऐसी कोशिशें साफ नजर आती हैं जिनसे विकास दर बढ़ेगी और सभी को विकास का लाभ मिलेगा।

श्री श्याम बिहारी मिश्र ने कहा कि वित्तीय घाटा बढ़ रहा है और चालू खाता घाटे को काबू में करना मुश्किल हो रहा है। वित्त मंत्री ने साल 2013 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 5.2 प्रतिशत तय किया है।

श्री बच्चा ठाकुर आई॰ए॰एस॰ (अ॰प्रा॰) ने कहा कि महंगाई को उन्होंने मांग और आपूर्ति के असंतुलन जैसे कारकों की वजह से जोड़ते हुए इतना कहा है कि सरकार इसके खिलाफ सभी मोर्चों पर लड़ेगी लेकिन ऐसे उपायों के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है।

श्री रामउदार झा ने कहा कि समावेशी और स्थायी विकास को लक्ष्य बताते हुए वित्त मंत्री ने जो प्रस्ताव पेश किये उनमें 5,55,322 करोड़ रूपये के व्ययों का नियोजन किया गया है जो कुल परिव्यय का एक तिहाई है।

श्री बी॰डी॰ राम ने कहा कि श्री चिदम्बरम ने महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा के उपायों के लिए हर संभव प्रयत्न करने का वादा करते हुए इस दिशा में हो रहे प्रयासों का उल्लेख किया। श्री उपेन्द्र नारायण विद्यार्थी ने कहा कि वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की व्यवस्था के लिए 1000 करोड़ रूपये की योजना घोषित की। प्रारंभ में संस्थान के निदेशक डॉ॰ प्यारे लाल द्वारा परिचर्चा की विषय–वस्तु पर विशद् चर्चा की गयी।

17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में राष्ट्र को यह कहा जाना चाहिये कि बिहार ने देश के अर्थतंत्र की संचालन ने योगदान दिया और स्वयं राष्ट्र द्वारा उपेक्षित रहा

बिहार के इतिहास में पहलीबार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार राष्ट्र को कहेंगे कि बिहार के साथ संविधान लागू होने के उपरांत लगातार सभी योजनाओं में बिहार में प्रति व्यक्ति योजना व्यय एवं प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता न्यूनतम रहने और दोषपूर्ण नीतियों के कारण राज्य में सार्वजनिक एवं निजी निवेश निम्नतम रहने से सभी विकास सूचकों लिहाज से बिहार विकास के मामले में सबसे निचले पायदान पर है। फलतः राज्य सभी मापदण्डों से सबसे पिछड़ा है। 90 के दशक में उदारीकरण के दौर में भी बिहार आर्थिक लाभों से वंचित है। योजना आयोग एवं राजीव गांधी संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार हर बिन्दु पर निचले पायदान पर खड़ा पाया जाता है। देश के विकास में संयुक्त बिहार का 2000 तक बड़ा योगदान है। वह बिहार में उपलब्ध खनिज सम्पदा है जिससे भारत का अर्थतंत्र संचालित होता रहा है। अर्थतंत्र में लगातार बिहार के कारण तेजी आती गयी। परंतु बिहार लाभों से वंचित रहा क्योंकि केन्द्र ने बिहार की विकासहीनता दूर करने के लिए समुचित प्रयास नहीं किया। फलतः राज्य 11वीं योजना के कार्यकाल समाप्त होने तक हर तरह से बिहार राष्ट्रीय औसत से नीचे है। इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह बिहार के विकास के लिए किए जा रहे संघर्ष की दिशा में एक ऐतिहासिक तथा सराहनीय कदम है। बिहार को आर्थिक पिछड़ापन और विकासात्मक घाटा के कारण केन्द्र से विशेष राज्य का दर्जा फौरी रूप में मिले क्योंकि बिहार सरकार अपने सीमित आन्तरिक साधन से अपेक्षित विकास नहीं कर सकता है। बिहार आर्थिक सुधारों से लाभान्वित नहीं हुआ है। बिहार जैसे राज्य के लिए अपने क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका अधिसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना ही हो सकता है। बिहार में अधिसंरचनात्मक निवेश की जरूरत अधिक है, लेकिन इस कार्यभार को पूरा करने के लिए उनके पास कम वित्तीय संसाधन मौजूद हैं। जबतक उनके अधिसंरचनात्मक व सेवा संबंधी स्तर इस अवस्था में न पहुँच जायँ कि वहाँ निजी निवेश का अच्छा–खासा प्रवाह होने लगे, तबतक इसके लिए आवश्यक संसाधनों को उस समय तक केन्द्रीय पुल से ही आना है। अधिसंरचना एक मुख्य मानदंड है इसलिए केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह बिहार को न्यायोचित ढंग से संसाधन उपलब्ध कराये।

इस पृष्ठभूमि में डा॰ मिश्र ने कहा है कि रामलीला मैदान के अधिकार रैली में 17 मार्च को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को राष्ट्र को कहना चाहिये कि बिहार क्यों पिछड़ा और उपेक्षित है। यह प्रमाणित तथ्य है कि बिहार में निम्नतम निवेश का मुख्य कारण है कि केन्द्र ने बिहार के साथ कभी भी खनिज सम्पदा की रॉयल्टी में पूरा न्याय नहीं किया। बिहार की खनिज संपदा के मूल्य के आधार पर भारत सरकार से मूल्य की तुलना में बहुत कम रॉयल्टी प्राप्त होती थी। अतः कोयला एवं अन्य खनिजों से प्राप्त हो रहे रॉयल्टी को मूल्य आधारित करने की माँग की जाती थी। जब केन्द्र सरकार मूल्य आधारित रॉयल्टी पर सहमत नहीं हुई तो, 1981 में खनिज संपदा पर मूल्य के आधार पर ही 'सेस' लगाने का अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप बिहार को 20–25 करोड़ के बदले 500–600 करोड़ की आय होने लगी। उससे केन्द्र सरकार की नाराजगी हुई। बिहार के हित में केन्द्र से अपील की गयी कि बिहार के आनुषांगिक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीदारी बिहार के बड़े उद्योगों द्वारा की जाय, जिसका लाभ छोटे उद्योगों को मिल सकेगा। बिहार में स्थापित औद्योगिक विकास प्राधिकारों में स्थापित आनुषांगिक उत्पाद की खरीद वहाँ के अवस्थित बड़े उद्योगों ने नहीं की। 1000 करोड़ की खरीद में बिहार से केवल 60 करोड़ की उत्पाद खरीददारी होती थी। फलतः स्थानीय उद्योग रूग्ण हो गया। राज्य के हित में भारत सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि चूंकि बिहार के औद्योगिक उत्पाद जो अन्य राज्यों को भेजे जाते हैं, उन उत्पादों से बिहार को 'ट्रांसफर ऑफ स्टॉक' के नाम पर बिक्री कर से वंचित होना पड़ता था, बिक्री कर में 1000 करोड़ की क्षतिपूर्ण होती रही। अतः केन्द्र सरकार से यह माँग की गयी कि राज्य सरकार को 'कनसाइमेन्ट टैक्स' लगाने का अधिकार दिया जाय। माल भाड़ा समानीकरण के कारण बिहार बडे उद्योगों से वंचित रहा क्योंकि बिहार की खनिज सम्पदा का मूल्य जो बिहार में था वह बिहार से बाहर मुम्बई, चेन्नई इत्यादि में भी रहता था। सामान्यतः बड़े उद्योग घराने बिहार में उद्योग स्थापित करने के बजाय बिहार से बाहर उद्योग स्थापित करते रहे। सभी केन्द्रीय और बडे निजी प्रतिष्ठानों का मुख्यालय बिहार से बाहर रहने के कारण आयकर हिस्से के निर्धारण से बिहार को लगातार क्षति हो रही। इन सभी कारणों से बिहार आंतरिक संसाधन एकत्र करने में विफल रहा, जिसके कारण राज्य का अंश देने में बिहार विफल रहा। केन्द्र की सहायता निम्नतम रही, अब बिहार के बटवारे के बाद स्थिति और गंभीर बन गई है।

डा॰ मिश्र ने कहा कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बिहार को आर्थिक पिछड़ापन और विकासात्मक घाटा के कारण केन्द्र से विशेष राज्य का दर्जा फौरी रूप में मिले, सम्पूर्ण आंतरिक विकास और देश की राजनीतिक स्थिरता दोनों के हित में यह जरूरी है।

प्रख्यात शिक्षाविद् डॉ॰ डी॰वाई॰ पाटिल को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किये जाने पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने प्रसन्नता व्यक्त की।

संवैधानिक प्रावधानों और अवधारणाओं को बहाल करने तथा बिहार के विश्वविद्यालयों में व्याप्त वित्तीय–प्रशासनिक और शैक्षणिक अराजकताओं को समाप्त करने के लिए देश के प्रख्यात शिक्षाविद् पद्‌मश्री डॉ॰ डी॰वाई॰ पाटिल को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किये जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा है कि राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने बिहार की उच्च शिक्षा में व्याप्त समस्याओं और विश्वविद्यालयों में हो रहे लगातार गुणात्मक ह्रास को देखकर हीं प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप की। राज्यपाल श्री कुँवर के 44 महीनों के कार्यकलाप में उच्च शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। नियंत्रक एवं महालेखाकार ने भी उनके विरूद्ध काफी टिप्पणियाँ की। कुलपतियों की नियुक्ति में भारी बदनामी के कारण हीं बिहार विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल के सम्बोधन के दौरान उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा। राज्यपाल श्री कुँवर द्वारा खासकर कुलपतियों की नियुक्ति में भारी बदनामी के कारण उनकी बिहार से विदाई लगभग तय हो गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बहाल किये जाने और एक विश्वविद्यालय की स्वयं स्थापना कर अपनी अध्यक्षता में डॉ॰ डी॰वाई॰ पाटिल एजुकेशन एकेडमी अपने नाम से जुड़े इस विश्वविद्यालय सहित अनेक शैक्षणिक संस्थाओं के संस्थापक के रूप में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। राज्यपाल और सरकार के बीच तनाव–टकराहट को देखते ही राष्ट्रपति ने ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया है। इनके राज्यपाल नियुक्त होने से बिहार के विश्वविद्यालयों में जहाँ वित्तीय–प्रशासनिक, अराजकता समाप्त होगी वहीं सरकार तथा राजभवन के बीच की टकराहट भी खत्म होगी। बिहार में जनता द्वारा चुनी गई सरकार और राजभवन के बीच टकराहट से विधान मंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं मिलने से स्थिति गंभीर बनती गई है। इन सभी समस्याओं को खत्म करने के उद्देश्य से डॉ॰ पाटिल को बिहार का राज्यपाल बनाया गया।

मुख्यमंत्री के जन्म–दिन के अवसर पर उनके द्वारा चलाये जा रहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने वाले अभियान की प्रारंभिक सफलता के लिये उन्हें विशेष रूप से बधाई देते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि केन्द्रीय बजट 2013–14 प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा पिछड़े राज्यों का राष्ट्रीय औसत बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष राज्य के दर्जा के शर्त्तों में बदलाव की घोषणा श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिये चलाये जा रहे अभियान की सफलता है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री पी॰ चिदम्बरम ने केन्द्रीय बजट 2013–14 प्रस्तुत करते हुए यह घोषणा की है कि पिछड़े राज्यों को विशेष केन्द्रीय अनुदान और विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिये राज्यों की प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और मानवीय सुविधा तथा अन्य प्रक्षेत्रों में व्याप्त विषमताओं को पाटने के लिये विशेष अध्ययन और जाँच के आधार पर केन्द्रीय नीत में बदलाव के आधार बनाये जाने के लिये विशेष आयोग का गठन निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष् राज्य का दर्जा दिलाने का अभियान की सफलता है। 1971 से राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत राज्यों को मिलनेवाली केन्द्रीय सहायता और विशेष दर्जा देने की शर्त्तों में संशोधन करना नितांत आवश्यक हो गया है। जिन राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला है उन्होंने नई ऊचाइयाँ हासिल की हैं और वे सभी राज्य बिहार से काफी आगे हैं। बिहार राज्य आर्थिक सुधार के लाभों से वंचित रहा है। गरीबी की अधिकता, प्रति व्यक्ति कम आय, औद्योगीकरण का निम्न स्तर और सामाजिक–आर्थिक आधार के पिछड़ेपन के कारण बिहार राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय मात्र 23,436 रूपया है जबकि राष्ट्रीय औसत 60 हजार है। संविधान के अनुच्छेद 38(2) ने केन्द्र को ऐसी जिम्मेवारी सौंपी है कि राज्यों के बीच की असमानता दूर करे। केन्द्रीय सरकार द्वारा लगातार बिहार की उपेक्षा के निराकरण के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दी जाय। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए गाडगिल फार्मूले में आज के परिप्रेक्ष्य में संशोधन किया जाना आवश्यक है। असमानता को दूर करने, बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में लाने के साथ–साथ राष्ट्रीय औसत के समरूप लाने के लिये सकारात्मक नीतिगत पहल की जरूरत है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम स्तर पर रहने तथा यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ–साथ सामाजिक आर्थिक व्यय सबसे निचले पायदान पर है। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन और विकासात्मक घाटे के कारण विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिये बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के पीछे बिहार की जनता का समर्थन प्राप्त है। 4 नवम्बर, 2012 को पटना के गांधी मैदान में बिहार की जनता ने एकजुटता प्रदर्शित की। केन्द्रीय मंत्री की इस घोषणा से विशेष राज्य की दर्जा के शर्त्तों में बदलाव लाने की घोषणा ने बिहार की जनता की भावना को केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अभियान को बल प्रदान किया है। 17 मार्च, 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार की जनता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपनी भावना की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेगी।

समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र से जद (यू.) उम्मीदवार श्रीमती मंजू कुमारी की जीत पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बधाई दी।

बिहार में विकास की गति लगातार बनाये रखने, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि में लगातार हो रहे बदलाव एवं सामाजिक समरसता को बनाये रखने के साथ–साथ बिहार की संभावनायें और भविष्य को श्री नीतीश कुमार के हाथों में संरक्षित करने के लिये 2010 के विधान सभा चुनाव के बाद हुए सभी उप–चुनावों में जद (यू.) उम्मीदवारों की जीत और अभी कल्याणपुर उप–चुनाव में जद (यू.) उम्मीदवार की जीत से बिहार की जनता ने यह प्रदर्शित किया है कि बिहार की सभी क्षेत्रों में हो रहे विकास में तीव्रता लाने एवं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने वाले अभियान को इस उप–चुनाव ने विशेष बल प्रदान किया है।

डा॰ मिश्र ने कल्याणपुर विधान क्षेत्र के सभी मतदाताओं एवं जद (यू.) कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया।

समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र में 24 फरवरी को होने वाले उप–चुनाव में जद (यू.) उम्मीदवार श्रीमती मंजू कुमारी को समर्थन देने की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डा॰ जगन्नाथ मिश्र की मतदाताओं से अपील।

श्री नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले सात वर्षों में बिहार में विकास की नई संभावना बनाई है। बिहार की दिशाहीनता, विकासहीनता और उद्योगविहीनता समाप्त हुई है और क्षत–विक्षत प्रशासकीय ढांचें में परिवर्त्तन हुआ है। सामाजिक समरसता स्थापित हुई है। इन सात वर्षों में विकास की बुनियादी संरचनायें सृजित हुई हैं। सरकार के प्रयत्नों से बिहार एक क्रियाशील राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ है। राज्य की आर्थिक विकास पिछले सात सालों में मजबूत हुई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 11.95 प्रतिशत की औसत विकास दर प्राप्त हुई है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर में लगातार गिरावट होने के साथ राजकोषीय घाटा, निर्माण एवं कृषि की चुनौतियों के साथ–साथ महंगाई लगातार बढ़ती गई है। इस बीच बिहार में अनाज के उत्पादन 2011 के मुकाबले 104 हजार मैट्रिक टन से बढ़कर 172 मैट्रिक टन पहुँच गया है। प्रति व्यक्ति आय में करीब 10 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जो बढ़कर 25,653 रूपये पहुँच गया है। इन उपलब्धियों को देखते हुए श्री नीतीश कुमार की सरकार को व्यापक जन समर्थन दर्शाने और विकास की सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। क्षेत्र की जनता अपनी सकारात्मक भूमिका को निर्वहन के लिये जद (यू.) के उम्मीदवार को विशाल बहुमत से इस उप–चुनाव में विजयी बनावें।

डा॰ मिश्र ने जन विकास मंच, भारतीय जन कांग्रेस और मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के सदस्यों से विशेष रूप से अपील की है कि वे सभी अपने स्तर पर सकारात्मक योगदान देते हुए जद (यू.) उम्मीदवार को विजयी बनावें साथ हीं श्री नीतीश कुमार को अधिक बल प्रदान करें।

बिहार विधान सभा में आज राजग सरकार की ओर से उप–मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा उपस्थापित नवाँ बजट (2013–14) पर समीक्षा।

आज बिहार विधान सभा में उप–मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा उपस्थापित नवाँ बजट 2013–14 का बजट में 92,087 हजार करोड़ का 34,000 हजार करोड़ योजना उद्व्यय से आर्थिक विकास में तेजी से बढ़ोतरी होगी। बजट में प्रस्तावित पूंजी योजनाओं को प्राथमिकता दी गयी है। इसकी वजह से पूंजी सृजन होगा तथा पूंजी निवेश आकर्षित होगा। 2013–14 का बजट राजकोषीय अनुशासन को भी दर्शाता है जिससे विश्वास किया जा सकता है कि राज्य विकास की ऊंचाईयों पर पहुँचेगा। राज्य में हुए विकास समृद्धि के लिये राजकोषीय अनुशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बिहार का यह बजट यह भी दर्शाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर देश के विकास दर में गिरावट के बावजूद बिहार में सकल घरेलू विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि जारी है। केन्द्र में राजकोषीय घाटा, का निर्माण है। कृषि की चुनौतियाँ एवं बढ़ती महंगाई देश के समक्ष बड़ी चुनौती है। राजकोषीय घाटा अनियंत्रित है। इस पृष्ठभूमि में नये वित्तीय वर्ष की संभावना ने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को विशिष्ट स्थान प्राप्त कराया है। बिहार की उपलब्धि और पिछले वर्ष की उपलब्धि उत्तरोत्तर और राष्ट्रीय चुनौतियाँ के बाद इसके बावजूद बिहार ने विकास के क्षत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। गत 7 वर्षों के दौरान बिहार के विकास में गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। बिहार अपने निवेश रडार पर प्राथमिक स्थान दे रखा है। भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में बिहार की गिनती रही है। राज्य का माखौल उड़ाया जाता था, परंतु ताजा सर्वे के मुताबिक बिहार में 11वीं योजना के दौरान 11.95 प्रतिशत की औसत विकास दर प्राप्त हुई है। इस बीच बिहार में अनाज के उत्पादन 20.11 के मुकाबले 104 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 172 लाख मैट्रिक टन पहुँच गया है। प्रति व्यक्ति आय में करीब 10 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। यह बढ़कर 25,653 रूपये पहुँच गया है। बिहार में व्यवसायिक पूंजी लगाने और देश में काम करने से डरते थे। पिछले वर्षों में श्रम, पूंजी और प्रतिभा तीनों के पलायन के बावजूद अभीतक बिहार ने 11वीं योजना अवधि में विकास दर का कीर्तिमान बनाया, जबकि इस दौरान विश्व व्यापी मंदी और घरेलू मांग में कमी का असर भी भुगतना पड़ा। बिहार का ताजा आर्थिक सर्वे बताता है कि बिहार विकास की ओर अग्रसर है। गत सात वर्षों के दौरान राजस्व लेखे में लगातार प्रचुर अधिशेष कायम रख पाने के कारण राज्य सरकार अब अपनी ऋण समस्या का अच्छी तरह प्रबंधन करने में सक्षम हो गई है। अपने वित्तीय प्रशासन में काफी अनुशासन लाते हुए यह केन्द्र सरकार से अच्छा–खासा ऋण राहत पाने में सफल हो गई है। पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय के 10वें हिस्से से भी कम से लगभग 5वें हिस्से तक पहुँच गया है, वहीं राजस्व व्यय का हिस्सा कुल व्यय के 76 प्रतिशत आसपास ही स्थिर रहा है; शेष हिस्सा लोक ऋण की अदायगी तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का रहा है। शिक्षा के सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कृषि, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, आवास, सिंचाई, सड़क आदि की बेहतर उपलब्धता आज आर्थिक विकास और मानव कल्याण के बीच संपर्क स्थापित करने के लिहाज से अधिक महत्वपूर्ण है। बिहार में विकास की चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ गरीबी बेहद और लगातार बनी हुई रही है। इस बजट की रणनीति के अंतर्गत भूख, कुपोषण, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों की समावेशी विकास गरीबी खत्म करने, रोजगार, जीवन यापन के साधनों का सृजन, आर्थिक आधारभूत ढांचे का निर्माण, मानव संसाधन के विकास की क्षमताएं विकसित करने एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने, वित्तीय सुधारों के साथ प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाकर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा कमजोर तबके विशेषकर अल्पसंख्यक, दलित, अत्यंत पिछड़ी जाति एवं महिलाओं का विशेष ध्यान रखने का स्पष्ट संकल्प इस बजट से प्रदर्शित हुआ है। बजट में योजना आयोग द्वारा वर्ष 2013–2014 के लिए 34,000 करोड़ की वार्षिक योजना की मंजूरी दी है। योजना आयोग ने बिहार की 2012–2013 की तुलना में 6 हजार करोड़ की वृद्धि की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने योजना आयोग को संतुष्ट किया है कि उनकी सरकार का मुख्य केन्द्र गरीबी निवारण और मानवीय विकास है। इसलिए उन्होंने संरचना के विकास के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता बतायी है। योजना आयोग इस बात से संतुष्ट दिखाई दी है कि बिहार में बदलाव आने से बड़े पैमाने पर निजी पूंजी निवेश की संभावना बढ़ रही है। बिहार की विकास योजनाओं के जिस खाके को योजना आयोग ने मंजूरी दी है उसका सार यह है कि राज्य में फिलहाल उपलब्ध सभी आर्थिक संसाधनों का पूरी ईमानदारी के साथ इस्तेमाल हो रहा है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, चीनी पैकेज करों का सरलीकरण एवं अन्य कर सुधार के कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हो रहा है। पूंजीगत व्यय को उपयोगी बनाया जा रहा है जिससे कि आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने और गरीबी की संख्या घटाने में सफलता मिल सके। उद्यमियों को बढावा मिल रहा है। सभी नीतियों के दूरगामी दृष्टिकोण से प्रभावकारी परिणाम हो रहे हैं। बिहार में सार्वजनिक वित्त व्यवस्था सही दिशा में जा रही है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि दर के रूप में इसके परिणाम भी निस्संदेह दिखने लगे हैं। सामाजिक क्षेत्र के विकास की राज्य सरकार की चिंता इस क्षेत्र हेतु बढ़े आवंटन से काफी हद तक अभिव्यक्त होती है।

बजट में कृषि रोड मैप साथ हीं सिंचाई, बाढ़–नियंत्रण और शिक्षा के साथ–साथ पथ एवं विद्युतीकरण पर पिछले वर्षों के मुकाबले इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है।

कुलपतियों की नियुक्ति संवैधानिक अवधारणा, विश्वविद्यालयी नियमों एवं प्रावधानों के विरूद्ध

बिहार के तीन बार मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्री रहे और शिक्षाविद् के रूप में प्रख्यात् डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कुलाधिपति द्वारा बिहार राज्य के 8 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पर विस्मय और आपत्ति प्रकट करते हुए कहा है कि भारत के संविधान में राज्यों में एक ही सरकार का प्रावधान है और सत्ता का दो केन्द्र न संवैधानिक और न हीं लोकतंत्र के लिए उसे स्वस्थ कहा जा सकता है। जनता द्वारा सरकार निर्वाचित की जाती है, जो विधान सभा के प्रति सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री हीं विधान मण्डल और जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज भवन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है और न हीं उनके कार्यो की किसी स्तर पर औपचारिक रूप से समीक्षा या चर्चा की जाती है। लोकतंत्र में सरकारी कार्यो की समीक्षा अथवा आलोचना करने की स्वस्थ परंपरा कही जाती है। इसलिए संविधान में कार्यपालिका की शक्तियाँ औपचारिक रूप से राज भवन में निहित मानी जाती है परंतु राज्यपाल को सभी कार्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही करना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णय हो चुके हैं जिसमें राज्यपाल अपने विवेक से कोई कार्यपालक अथवा सरकार में निर्णय नहीं ले सकता। वह मंत्रिपरिषद् जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है का परामर्श बंधनकारी है। परंतु इस समय राज भवन द्वारा विश्वविद्यालयों के संबंध में और कुलपति एवं प्रतिकुलपति के संबंध में जो निर्णय राज्य सरकार के परामर्श के वगैर लिये जा रहे हैं वे निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से अनुचित तो हैं हीं साथ ही प्रशासनिक दृष्टि से भी अव्यवहारिक है। 1952 जबसे संविधान लागू है उस समय से ही कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा कुलाधिपति के रूप में अवश्य किये जाते रहे हैं परंतु ये नियुक्तियाँ राज्य सरकार के परामर्श से होती रही हैं। जो संवैधानिक के साथ-साथ विश्वविद्यालय नियम के अवधारणा में यह निहित है कि–कुलाधिपति जो राज्यपाल होते हैं वे मंत्रिपरिषद् के सलाह से ही कुलपति एवं प्रतिकुलपति की नियुक्ति करेंगे। विश्वविद्यालयी व्यय भार राज्य सरकार वहन करती है। राज्य सरकार ही विधान मंडल की प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसे में अगर कुलपति एवं प्रतिकुलपति की नियुक्तियाँ सरकार से स्वतंत्र होकर कुलाधिपति करेंगे तो फिर सरकार विधान मंडल के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कैसे कर पायेगी? सरकार, कुलाधिपति और विधान मंडल के बीच समन्वय बनाये रखने के लिए ही विश्वविद्यालय अधिनियम में यह प्रावधान है कि कुलपति एवं प्रतिकुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से ही किया जायेगा। राज्य सरकार की उपेक्षा अथवा अनदेखी करके स्वतंत्र रूप से कुलपति अथवा प्रतिकुलपति की नियुक्ति होगी तो विश्वविद्यालय प्रशासन पर सरकार का न नियंत्रण न अधीक्षण संभव हो सकेगा, जो लोकतंत्र में संभव नहीं हो सकता क्योंकि विश्वविद्यालय का पूरे व्यय के लिये राज्य सरकार विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी है। शैक्षणिक स्तर और शैक्षणिक कैलेण्डर का पूर्ण रूप से अनदेखी की जा रही है। वित्तीय और शैक्षणिक स्तर में लगातार अराजकता व्याप्त होती रही है। राज्य सरकार के नियंत्रण नहीं होने के कारण बिहार के विश्वविद्यालयों की अवस्था लगातार अस्त-व्यस्त और अराजक होती गयी है। राज भवन और सरकार के बीच टकराहट–तनाव का सीधा प्रभाव बिहार के विश्वविद्यालयी शिक्षा पर पड़ रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत प्रख्यात विद्वानों को ही कुलपति की नियुक्यिों के लिए अनिवार्य शर्त बना रखा है। परंतु जैसी व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श के वगैर किये गये हैं उन्हें प्रख्यात शिक्षाविद् के रूप में नहीं जाना जाता है। बिहार के विश्वविद्यालयों में पूर्व में विशेषकर उनकी सरकार (डा॰ मिश्र) प्रख्यात विद्वान डा॰ सुदर्शन प्रसाद सिन्हा, डा॰ रामावतार शुक्ला, डा॰ गणेश प्रसाद सिन्हा, डा॰ ए॰के॰ धान, डा॰ डी॰एस॰ नाग, डा॰ वाई बस्ती, डा॰ नर्मदेश्वर झा, डा॰ एल॰के॰ मिश्रा, डा॰ शालीग्राम सिंह, डा॰ तौहिद, डा॰ ए॰एस॰ यादव जैसे राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त विद्वान कुलपति नियुक्ति होते रहे हैं। वैसी व्यक्तियों की तुलना में जैसी नियुक्तियाँ होती रही हैं, वह स्वतः दर्शाता है कि उत्कृष्ट प्रख्यात विद्वानों की परिभाषा राज भवन की दृष्टि में बदल गयी है। बिहार ही नहीं अपितु अन्य सभी राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से होती रही है। ऐसी अवस्था में बिहार जिस तरह संविधान एवं विश्वविद्यालयी अवधारणा के विरूद्ध नियुक्तियाँ की है वह बिहार की विश्वविद्यालयी शिक्षा में उत्कृष्टता लाने की दृष्टि से अनुचित है। राज भवन और सरकार के बीच टकराहट विश्विद्यालय के लिये और लोकतंत्रीय परंपराओं के लिए बड़ा ही घातक होगा और यह परंपरा विश्वविद्यालयी प्रशासन को क्षत-विक्षत करते हुए विधान मंडल के प्रति बिहार विश्वविद्याय को उत्तरदायित्व विहीन कर देगा। राज्य के राजनीतिक दल, विचारक, शिक्षक, छात्र और अविभावकों के लिये यह चिन्तन का विषय है।